लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खंड 39, 1965/1886 (शक)

Volume, XXXIX, 1965/1886 (Saka)

[3 से 16 मार्च, 1965/12 से 25 फाल्गुन, 1886 (शक)]

[March 3 to 16, 1965/Phalguna 12 to 25, 1886 (Saka)]

ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)

Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

[खंड 39 में अंक 11 से 20 तक हैं]

[Vol. XXXIX contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 19--सोमवार, 15 मार्च, 1965/24 फाल्गुन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
425	अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	1717--20
426	अखबारी कागज की कमी	1721--25
427	अबाडी में टैंकों का निर्माण	1725--27
430	संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जेट विमानों का निर्माण	1728--30
431	परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकना	1730--33
432	दलाई लामा	1733--34
433	संयुक्त राष्ट्र निधि को चन्दा दिया जाना	1735--37
434	सेना अधिकारियों के वेतन में वृद्धि	1737--40
435	पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन	1740

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या		
428	चीन द्वारा वायु सीमा का उल्लघन	1741--42
436	कीनिया में भारतीय	1742
437	कोलया-क्षेत्र भर्ती संगठन	1742--43
438	पाकिस्तानी समाचारपत्रों में भारत विरोधी विज्ञापन	1743
439	न्यूनतम मजूरी अधिनियम	1743--44
440	मद्रास में डाक तथा तार सम्पत्ति को हुई क्षति	1744
441	नागा विद्रोही	1744--45
442	काहिरा में शेख अब्दुला का स्वागत	1745
443	विश्व मुस्लिम सम्मेलन	1746
444	नागालैंड में युद्धविराम	1746--47
445	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उचित मूल्य की दुकानें	1747
446	टेलीविजन	1748--49
447	गणतंत्र दिवस परेड	1749
448	पाकिस्तानियों द्वारा भारतवासियों का अपहरण	1750
449	चीनी क्षेत्र में भारतीय विमानों की कथित घुसपैठ	1750
450	दिल्ली छावनी व्हिकल डिपो	1751
451	दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से विदेश मंत्री को आमंत्रण	1751

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 19—*Monday, March* 15, 1965/*Phalguna* 24, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Question Nos.*	*Subject*	PAGES
425	International Film Festival	1717—20
426	Shortage of Newsprint	1721—25
427	Manufacture of Tanks at Avadi	1725—27
430	Manufacture of Jets with U.A.R. Collaboration	1728—30
431	Prevention of Dissemination of Nuclear Weapons	1730—33
432	Dalai Lama	1733—34
433	Contribution to U.N. Funds	1735—37
434	Increase in Pay of Army Officers	1737—40
435	Air Space Violations by Pakistan	1740

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
428	Air space Violations by China	1741—42
436	Indians in Kenya	1742
437	Coalfields Recruiting Organisation	1742—43
438	Anti-Indian Advertisements in Pak. Papers	1743
439	Minimum Wages Act	1743—44
440	Damage to P. & T. Property in Madras	1744
441	Naga Hostiles	1744—45
442	Reception accorded to Sheikh Abdullah in Cairo	1745
443	World Muslim Conference	1746
444	Cease-fire in Nagaland	1746—47
445	Fair Price Shops for Industrial Workers	1747
446	Television	1748—49
447	Republic Day Parade	1749
448	Kidnapping of Indians by Pakistanis	1750
449	Indian Aircraft's Alleged Intrusions into China	1750
450	Vehicle Depot, Delhi Cantt.	1751
451	Invitation to Foreign Minister from South-East Asian Countries	1751

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Membeers

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1123	आसाम राइफल्स फंड	1751–52
1124	सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय	1752
1125	वेल्स में भारतीय शिल्पकार की मृत्यु	1752–53
1126	उड़ीसा में पढ़े-लिखे बेरोजगार व्यक्ति	1753
1127	बोलपुर डाक घर	1753
1128	आकाशवाणी के कार्यक्रमों में उर्दू का प्रयोग	1754
1129	मास्को में नेहरु प्रदर्शनी	1754
1130	नौसेना जहाजों की सेवाओं के लिये प्रार्थनापत्र	1754
1131	ब्रिटिश गायना में भारतीय उद्भव के व्यक्ति	1755
1132	प्रतिरक्षा उत्पादन	1755–56
1133	पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना	1756
1134	माइकेल स्काट की प्रधान मंत्री से भेंट	1756
1135	भूमिहीन श्रमिक	1757–58
1136	लद्दाख में सड़कों से मिली चौकियां	1758
1137	सुरक्षा परिषद् में मलयेशिया का लिया जाना	1758–59
1138	तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास	1759
1139	परमाणु खतरा	1759–60
1140	सुरक्षा परिषद् का विस्तार	1760
1141	चीनी घुसपैठ	1760–61
1142	त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान सीमा	1761
1143	अन्दमान में नाविक अड्डा	1761
1144	सिंथेटिक ड्रग्स प्राजेक्ट, हैदराबाद	1761–62
1145	भारतीय राजदूतावासों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	1762
1146	भारतीय अर्थ-व्यवस्था का विकास	1762–63
1147	विशेष मुहर	1763
1148	छावनी निधि कर्मचारी	1763–64
1149	पंजाब में छावनी बोर्ड कर्मचारी	1764
1150	छावनी निधि का दुरुपयोग	1764–65
1151	नेफा में जीप दुर्घटना	1765–66
1152	पंजाब में बेरोजगार व्यक्ति	1766
1153	डाक के थैले	1766
1154	सेना में तकनीकी व्यक्ति	1767–68
1155	संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों पर पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना	1768–69
1156	उत्तरी कोरिया का वाणिज्य दूतावास	1769
1157	कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पेंशन	1769
1158	टैंक निर्माण एकक	1769–70
1159	निशान जीप	1770
1160	तोपखाना केन्द्र तथा प्रशिक्षण स्कूल	1770

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
1123	Assam Rifles Funds	1751—52
1124	Collected Works of Mahatma Gandhi	1752
1125	Death of Indian Sculptor in Wales	1752—53
1126	Educated Unemployed in Orissa	1753
1127	Dolpur Post Office	1753
1128	Use of Urdu in A.I.R. Programmes	1754
1129	Nehru Exhibition in Moscow	1754
1130	Request for Navy Ship	1754
1131	People of Indian origin in British Guiana	1755
1132	Defence Production	1755—56
1133	Firing by Pakistanis	1756
1134	Michael Scott's meeting with Prime Minister	1756
1135	Landless Labour	1757—58
1136	Posts in Ladakh linked by Roads	1758
1137	Malaysia's inclusion in Security Council	1758—59
1138	Rehabilitation of Tibetan Refugees	1759
1139	Nuclear Terror	1759—60
1140	Expansion of Security Council	1760
1141	Chinese Intrusions	1760—61
1142	Tripura-East Pakistan Border	1761
1143	Naval Base in Andamans	1761
1144	Synthetic Drugs Project, Hyderabad	1761—62
1145	S. C. Employees in Indian Missions	1762
1146	Growth of Indian Economy	1762—63
1147	Special Stamps	1763
1148	Cantonment Fund Employees	1763—64
1149	Cantonment Board Employees in Punjab	1764
1150	Misuse of Cantonment Funds	1764—65
1151	Jeep Accident in NEFA	1765—66
1152	Unemployed persons in Punjab	1766
1153	Postal Bags	1766
1154	Technical Hands in Army	1767—68
1155	Firing on U.N. Observers	1768—69
1156	North Korean Consulate	1769
1157	Pensions to Commissioned Officers	1769
1158	Tank Manufacturing Unit	1769—70
1159	Nisan Jeeps	1770
1160	Artillery Centre and Training School	1770

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतरांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1161	औद्योगिक विवाद अधिनियम . .	1771
1162	आकाशवाणी में संसद् सदस्यों के प्रोग्राम .	1771
1163	उड़ीसा में डाक तार कर्मचारी	1771–72
1164	आकाशवाणी के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी	1772
1165	उड़ीसा में डाकघर .	1772
1166	उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन	1773
1167	उड़ीसा में टेलीफोन केन्द्र	1773
1168	उड़ीसा में डाक घर . . .	1774
1169	कीनिया-एशियावासियों का व्यापार से अलग होना	1774
1170	बिहार में मजदूर संघों को मान्यता .	1774–75
1171	रात्रिकालीन डाक घर . .	1775
1172	काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज उम्मीदवार .	1775
1173	उत्तर प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र . .	1776
1174	उत्तर प्रदेश में काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज उम्मीदवार	1776
1175	प्रश्नों की सूचनायें डाक द्वारा भेजना .	1777
1176	जवानों का अनिवार्य जीवन बीमा .	1777
1177	जम्मू तथा काश्मीर में सैनिक स्कूल .	1777
1178	नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन में मानचित्र .	1777–78
1179	भारी जल संयंत्र	1778
1180	वस्तुओं को अणु प्रक्रिया द्वारा ठंडा करके सुरक्षित रखना	1778
1181	डाक घर जीवन बीमा निधि	1778
1182	आई० एन० एस० वारक्कल .	1779
1183	रेलवे डाक सेवा कर्मचारी द्वारा आत्महत्या	1779
1184	भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना	1780
1185	अंगहीन भूतपूर्व सैनिक	1780
1186	लोक सहायक सेना . . .	1781
1187	दिल्ली के काम दिलाऊ दफ्तर में दर्ज कलाकार	1781–82

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में 1782–83

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . 1783–84

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग, के बहुमत प्रतिवेदन में संयुक्त राज्य अमरीका, द्वारा उत्तर वियतनाम पर की गई बमवर्षा की आलोचना के समाचार 1783–84

श्री कपूर सिंह . 1783

श्री स्वर्ण सिंह . . . 1783–84

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
1161	Industrial Disputes Act .	1771
1162	M.Ps. Programmes on A.I.R.	1771
1163	P. & T. Employees in Orissa .	1771—72
1164	S.C. & S.T. Employees of A.I.R.	1772
1165	Post Offices in Orissa . .	1772
1166	Telephone connections in Orissa .	1773
1167	Telephone Exchanges in Orissa . .	1773
1168	Post Offices in Orissa	1774
1169	Withdrawal of Kenya Asians from Business .	1774
1170	Trade Union Recognition in Bihar	1774—75
1171	Night Post Offices	1775
1172	Candidates Registered in Employment Exchanges .	1775
1173	Automatic Telephone Exchanges in U.P. . . .	1776
1174	Candidates Registered in Employment Exchanges in U.P.	1776
1175	Mailing of Notices of Questions . .	1777
1176	Compulsory Life Insurance of Jawans	1777
1177	Sainik School in J. & K. . .	1777
1178	Map in National Geographic Magazine	1777—78
1179	Heavy Water Plant	1778
1180	Refrigeration through Atomic Radiation	1778
1181	P.O. Life Insurance Fund . .	1778
1182	'I.N.S. Varakkal' . . .	1779
1183	Suicide by R.M.S. Employee . .	1779
1184	I.A.F. Plane Crash .	1780
1185	Disabled Ex-Servicemen . . .	1780
1186	Lok Sahayak Sena	1781
1187	Artists registered in Delhi Employment Exchange . .	1781—82

Re: Point of Order . . . . . 1782—83

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . 1783—84

Reported criticism of U.S. bombings of North Vietnam in the majority report of I.C.C. . . . . 1783—84

Shri Kapur Singh 1783

Shri Swaran Singh . . . . . 1783—84

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	1784–85
विधेयक पर राय	1785
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	1785
उनसठवां प्रतिवेदन . .	1785
कार्य मंत्रणा समिति	1785
पैंतीसवां प्रतिवेदन	
विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1965—	
पुरःस्थापित और पारित . .	1785–86
विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1965 — . . .	
पारित . .	1786–87
मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव	
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी . .	1787–93
श्री मु० क० चागला .	1793–96
श्री प्र० के० देव . .	1796–98
श्री भागवत झा आजाद . . .	1798–1800
श्री इन्द्रजीत गुप्त .	1800–02
श्री मुरारका . . .	1802–04
श्री उ० मू० त्रिवेदी .	1804–06
श्री कृ० चं० पन्त .	1806–08
श्री नी० श्रीकान्तन नायर . .	1808–10

Subject	PAGES
Papers laid on the Table	1784—85
Opinion on Bill	1785
Committee on Private Members' Bills and Resolutions	1785
Fifty ninth Report	1785
Business Advisory Committee	1785
Thirty-fifth Report	
Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1965—introduced and passed	1785—86
Appropriation (Railways) Bill, 1965—passed	1786
Motion of No-Confidence in the Council of Ministers	
Shri Surendranath Dwivedy	1787—93
Shri M. C. Chagla	1793—96
Shri P. K. Deo	1796—98
Shri Bhagwat Jha Azad	1798—1800
Shri Indrajit Gupta	1800—02
Shri Morarka	1802—04
Shri U. M. Trivedi	1804—06
Shri K. C. Pant	1806—08
Shri N. Sreekantan Nair	1808—10

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 15 मार्च, 1965/24 फाल्गुन, 1886 (शक)
Monday, March 15, 1965/Phalguna 24, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह

\+

*425. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :
श्रीमती अकम्मा देवी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि जिन सिनेमा घरों में अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह की फ़िल्में दिखाई जा रही थीं उनकी खिड़कियों पर बहुत थोड़े ही टिकट उपलब्ध थे जिससे सिनेमा जाने वाले लोगों को बड़ी असुविधा हुई ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच आरम्भ करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख). जी, हां । यह शिकायत की गई थी कि भारत के तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में दिखाई गई फ़िल्मों के टिकट हासिल करने में कठिनाई हुई । ख्याल है कि इस मामले में जांच करवाने से कोई खास फ़ायदा न होगा ।

Shri Yashpal Singh: Is it a fact that, on one side, blackmarketing was going on and on the other side, seats were lying vacant in the Cinema halls ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): Some seats were vacant because of the fact that they had been reserved for our guests who had come from outside and we were not aware as to which show they liked to see.

Shri Yashpal Singh: May I know the number of passes issued to Government employees and the number of seats left for the use of public ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : सीटों की कुल क्षमता 4,110 थी और 650 सीटें प्रेस, फ़िल्म आलोचकों, भारतीय तथा विदेशी शिष्टमंडलों, जूरी के सदस्यों और विदेशी राज दूतावासों के लिए सुरक्षित रखी गई थीं । जनता के लिए लगभग 3,460 सीटें रह गई थीं ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि संसद् के कुछ सदस्यों ने अपने परिवार के सदस्यों के लिए 21 निशुल्क टिकटों तक के लिए प्रार्थना की थी; यदि हां, तो क्या सरकार ने पास देते समय इस बात की संभाव्यता को ध्यान में रखा कि संसद् के किसी सदस्य के पास 20 बच्चों की एक फौज भी हो सकती है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : हमें इस बारे में जानकारी नहीं है । हमने केवल सदस्यों को परिवार सहित आने का निमंत्रण दिया था ।

श्री हेम बरुआ : अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के मंत्रणा बोर्ड के एक सदस्य ने 'इलेस्ट्रेटेड वीकली आफ इंडिया' में इस प्रकार का एक लेख दिया हुआ था ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Is it a fact that the tickets sold in the black market were sold at a price eight or ten times higher than their actual price ? Have Government conducted any inquiry and detected such cases ? The hon. Minister has stated that seats were reserved for foreign guests. Is it a fact that the seats were vacant till the end of the show and they did not come by that time ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : सन्तोष केवल इस बात का मालूम होता है कि ऐसी घटना केवल हमारे ही देश में नहीं हुई है, अन्यत्र भी ऐसा हो रहा है । किन्तु, जहा तक सिनेमा व्यवसाय अथवा व्यापार का सम्बन्ध है, हम टिकटों के बेचने पर किसी विशेष सीमा तक ही प्रतिबन्ध लगा सकते हैं ।

Shrimati Indira Gandhi: I would like to add further that as soon as we came to know about blackmarketing in tickets, we reported the matter to authorities of Delhi Administration, for we have no control over Cinema Houses and they can sell tickets to any body they like. We had, however, told them not to sell more than four tickets, as far as possible, to one person.

श्रीमती सावित्री निगम : यद्यपि, सभी बातों को ध्यान म रखते हुये, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तथापि मैं यह जानना चाहती हूं कि कभी-कभी जनता को गलत सूचना क्यों दी जाती थी जिसका परिणाम यह होता था कि लोग आते थे और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता था ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मुझे इस प्रकार की छोटी-छोटी सूचनाओं के बारे में जानकारी नहीं है । यह प्रतिस्पर्धा स्वरूप का पहिला ही अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह था ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Mr. Speaker, Sir, the latter part of my question has not been answered.

Shri Onkar Lal Berwa: Are the Government aware of the fact that 800 tickets were already given to the blackmarketeers; if so, the number of persons arrested by the police in this connection?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैंने उस प्रश्न का उत्तर पहिले दे दिया है । किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं है । जैसा कि मंत्री महोदया ने बताया कि हमने सिनेमा वालों का ध्यान इस ओर खींचा था और इस बात का प्रयत्न किया कि किसी व्यक्ति को चार से अधिक टिकट न दिये जायें ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को यह जानकारी है कि जब संसद् सदस्यों को निःशुल्क टिकट (कॉम्प्लिमेंटरी टिकेट्स) दिये गये थे, सभी उपलब्ध फिल्में दिखायी जा चुकी थीं ताकि गुमराह करने वाले स्वरूप के तथा वयस्क वर्ग के चलचित्रों को संसद् सदस्यों की दृष्टि से बचाया जाये; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : केवल तीन अथवा चार फिल्में जो बाद में आई थीं, उन्हें शामिल नहीं कियां गया था । ऐसी कोई बात नहीं थी कि गुमराह करने वाली फिल्मों को, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, संसद् सदस्यों को न दिखा कर उन्हें अलग रख दिया गया था । किन्तु उन फिल्मों को छोड़कर, उन्होंने अधिकांशतः उन सभी फिल्मों को, जो कुछ समय बाद आईं, देखा ।

श्रीमती अकम्मा देवी : क्या यह सच नहीं है कि कई पास वालों को सिनेमा हाल में प्रवेश करने में बहुत कठिनाई ही नहीं हुई अपितु उन्हें फिल्म समाप्त होने तक खड़ा भी रहना पड़ा ? सरकार ने सिनेमा हाल की सीटों की क्षमता मालूम होते हुए भी इतनी अधिक संख्या में पास क्यों दिये थे जिसके कारण जनता को असुविधा हुई ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मुझे ऐसी असुविधा के बारे में जानकारी नहीं है । यह सच है कि वहां भीड़ अधिक थी किन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वहां पर ऐसी असुविधा भी हुई है ।

श्री तिरुमल राव : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि यहीं नहीं, अपितु मद्रास तथा अन्य स्थानों में भी इस सम्बन्ध में जो प्रबन्ध किया गया था उसके बारे में एक आम असन्तोष फैला हुआ है । और क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है कि ये टिकट उन लोगों के हाथों में कैसे पहुंच गये थे जो उन्हें अधिक कीमत पर बेच सकते थे ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैंने पहिले ही यह बता दिया है कि यह काम सरकार का नहीं है । यदि सिनेमा हाल सरकारी होते, तब यह मामला हमारे हाथ में हो सकता था । किन्तु ये सिनेमा हाल गैर-सरकारी थे, सरकार कोई जांच नहीं करा सकती है । किन्तु मैं यह बताना चाहती हूं कि कुछ असन्तोष फैला हुआ था । वास्तव में यह असन्तोष कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता था और हम यह प्रयत्न करेंगे कि ऐसी स्थिति फिर उत्पन्न न हो । किन्तु इस असुविधा अथवा असन्तोष को काफी सीमा तक रोका भी नहीं जा सकता था ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि दिल्ली में व्यावहारिक रूप से 50 प्रतिशत टिकट राजदूतावासों को दिये गये थे--कुछ लोगों ने राजदूतावासों के नाम पर इन टिकटों को प्राप्त कर लिया और यदि हां, तो क्या वे टिकट उन लोगों के हाथ में पहुंच गये थे जो कि उन्हें चोर बाजारी से बेच सकते थे ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : हमने सांस्कृतिक सहचारियों और प्रेस सहचारियों तथा स्वयं राजदूतों को टिकट दिये थे ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ निःशुल्क टिकट संसद् सदस्यों को दिये गये थे और जब वे वहां गये तो उन्हें बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ा क्योंकि सीटें उपलब्ध नहीं थीं--वे श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी, श्री जगजीवन राम तथा अन्य सदस्य थे--और उन्हें बहुत कठिनाई के साथ सिनेमा हाल में धकेला जा सका ?

श्रीमती इंदरा गांधी : मैं माननीय सदस्यों को हुई असुविधा के लिए क्षमा याचना करती हूं । किन्तु इसका एक कारण यह भी है कि हमें सदैव उत्तर भी नहीं मिलते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह हमारा काम है ।

Shortage of Newsprint

+

*426. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Yashpal Singh:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri P. H. Bheel:
Shri U. M. Trivedi:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Maheshwar Naik :
Shri Sham Lal Saraf :
Shrimati Johraben Chavda:
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Solanki:
Shri Shinkre:
Shri Vishram Prasad:
Shri Yudhvir Singh:
Shri S. C. Soy:
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:
Shri D. C. Sharma:
Shri Brij Raj Singh:
Shri Y. D. Singh:
Dr. M. S. Aney:
Shri Gokaran Prasad:
Dr. Chandrabhan Singh:
Shri Gauri Shankar Kakkar:
Shri Bade:
Shri N. Dandekar:
Shrimati Maimoona Sultan:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the progress made in tiding over the shortage of newsprint;

(b) whether any representations have been received from the Newspapers' Associations asking for an increased availability of foreign exchange for importing more newsprint;

(c) if so, the action taken in the matter?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (c). At present the newsprint industry is largely dependant on imported newsprint. The present critical situation of scarcity can not improve until indigenous production rises to meet the entire requirements of newspapers.

Government have received representations from newspaper organisations for increasing newsprint imports. Despite the requirements of food and defence imports and despite the drastic cuts imposed in imports for other industries, newsprint imports have been kept up at a steady level. In the present

context of foreign exchange stringency, it will not be possible for Government to provide substantial additional foreign exchange for this purpose. However, a marginal increase of 2% over the average import levels of the last two years will also be allowed in 1965-66, in spite of the fact that Government will have to provide additional foreign exchange to meet an increase in the price of newsprint during the coming year.

As regards indigenous production, it is at present 30,000 metric tonnes, out of which only 25,000 metric tonnes is available for the newspaper industry. Steps are being taken to increase indigenous production. Until this materialises the present difficult position is likely to continue.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: In view of the situation of scarcity of newsprint in our country, what steps the Government have taken to tide over the situation? Whether the Government have enquired about the fact that the quota received by certain newspaper is sold in the back market?

Shrimati Indira Gandhi: In the private sector, two schemes have been approved for indigenous newsprint, wherein the annual production will be 65,000 metric tonnes and apart from this one will also be set up in the public sector. Its report has not yet been received and is likely to be received in April-May.

Regarding selling of quota in black market, whenever information is received, it is immediately sent to the State Governments, who try to make enquiries.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: There are many weeklies who publish very obsence matter. Is Government going to ban them? Have the Government got any information that they can procure as much newsprint as they require through black market?

Shrimati Indira Gandhi: Information has been received about these newspapers and I myself have seen them and we are thinking whether some action can be taken under the existing law and if no action would be possible to be taken then we shall see whether some new provision would be necessary. All these aspects are being considered.

श्री हरि विष्णु कामत : इस बात का ध्यान रखते हुए कि बड़े बड़े समाचार-पत्र संसद् और जनता के बीच प्रभावी सम्पर्क स्थापित करते हैं और वे शक्तिपूर्ण संसदीय प्रजातंत्र का एक अत्यावश्यक अंग है, क्या सरकार एक संसदीय समिति अथवा आयोग द्वारा संकट की स्थिति तक पहुंच चुके अखबारी कागज के अभाव की जांच कराएगी ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): : प्रैस परिषद् विधेयक पर संयुक्त समिति पहले ही अपना प्रतिवेदन दे चुकी है । प्रैस परिषद् हमें सलाह देगा । इसके अतिरिक्त अखबारी कागज सलाहकार समिति भी है जिसमें सम्पादक तथा समाचार-पत्रों के हित होंगे और वह वास्तव में इसी सायं एक बैठक में आ रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रश्न विशेष था । मैं ने अपना पहला प्रश्न स्थिति की गम्भीरता के कारण पूछा था जो मंत्री महोदया ने, अपने मूल उत्तर में स्वयं स्वीकार की थी । क्या सरकार अपने प्रैस सलाहकार परिषद् की अखबारी कागज की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता के बारे में जांच ही पर्याप्त समझती है अथवा संकट की गम्भीरता से एक संसदीय समिति अथवा आयोग द्वारा जांच आवश्यक हो गई है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मेरा सादर निवेदन है कि मेरे विचार में इस मनोरथ के लिये एक संसदीय समिति आवश्यक नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्यों नहीं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : हमारी दृष्टि हर समय स्थिति पर ही केन्द्रित है । जहां हर अन्य क्षेत्र के मामले में आयात घटा दिया गया है । इस मामले में, आयात घटाया ही नहीं गया परन्तु वास्तव में हमें कुछ अधिक ही प्राप्त हुआ है ।

श्री अन्सार हरबानी : क्या सरकार जानती है कि तीन अथवा चार वर्ष पूर्व कलकत्ता के एक बड़े समाचार-पत्र को अखबारी कागज का काला बाजार करते हुए पकड़ा गया था ? क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार की प्रार्थना करने पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की ? इस मामले में भारत सरकार और आगे क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तीन अथवा चार वर्ष पूर्व की घटना की ओर संकेत कर रहे हैं । इस समय हमें वर्तमान अभाव की चिन्ता है ।

Shri Bade : Is it a fact that the distribution of newsprint at NEPAis not based on any criterion and is not done according to circulation ? Are Government going to revise their procedure ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : यह नहीं कहा जा सकता कि "नेपा" का कागज बहुत बढ़िया है परन्तु इसमें संदेह नहीं कि यह अपना मनोरथ पूरा करने में सफल है । 30,000 टनों में से हमें 25,000 टन इस कारखाने से प्राप्त होता है ।

Sphri Sheo Narain: One Newspaper is published from Delhi.....

Mr. Speaker: How can we take up each and every newspaper. I cannot allow that.

Shri Sheo Narain: It is published under the very nose of the Government—from Delhi itself—and it is 'Observer'. I want to know whether, government propose to take any action against it ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Observer is a very dirty paper.

Mr. Speaker: I cannot allow questions on each and every newspaper.

Shri Yashpal Singh: May I know whether attenion of the Government has been drawn to the fact that the main cause of shortage of newsprint for language papers is the excessive use of newsprint by big newspapers to cover advertisements and is it a fact that if advertisement space is reduced the shortage of newsprint for language papers can be met ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अज्ञात समाचार-पत्र राजनीतिक दबाव द्वारा कुछ कोटा प्राप्त कर लेते हैं और अपना निर्धारित कोटा काले बाजार में बेच देते हैं; यदि हां, तो यह कार्यवाही रोकने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर उस ने अभी अभी दिया है ।

श्री उ० मू० त्रिवदी : मैं ने सुना नहीं है ।

Shri K. N. Tiwary: Just now hon. Minister has said that there is shortage oi newsprint. I want to know the extent of shortage and time to be taken for the newsprint which is going to be produced in the Private and Public sector to be ready and the reason why this is not being expedited?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : निस्संदेह अभाव है । परन्तु न केवल वितरण में वृद्धि हो रही है . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या यह कमी पूरी कर ली जाएगी ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जैसा माननीय मंत्री ने बताया कि चौथी योजना में हमें 'नेपा' के विस्तार की मात्रा 45,000 टन तक जाने की आशा है । गोपाल मिल्ज, पंजाब लगभग 60,000 टन तथा बिरला मिल्ज ग्वालियर लगभग 30,000 टन का उत्पादन करेंगी । इसके होते हुए भी कुछ अभाव बने रहने की सम्भावना है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: May I know whether the Government have held talks with Nepal Government regarding procurement of wood from the jungle of Nepals to manufacture paper from its pulp in order to increase production in NEPA mills?

Shrimati Indira Gandhi: It has no relation to Nepal. NEPA Mills are in M.P.

Shri Jagdev Singh Siddhanti: To procure wood from Nepal Government for NEPA Mills.

Shrimati Indira Gandhi: We can draw the attention of Commerce Ministry towards this.

Shri Gulshan: Whether it is not a fact that there is shortage of newsprint for regional newspapers and it is quite evident from regional newspapers of Punjab. What efforts the Government are making to remove the shortage of newsprint for these regional newspapers ?

Mr. Speaker: When shortage as a whole will be removed, the shortage experienced by regional newspapers will also be covered.

श्री दाजी : क्या यह सच है कि मांग पूरी करने के लिये विदेशी मुद्रा की कुल आवश्यकता 4 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की है ? यदि हां, तो समाचार-पत्र उद्योग तथा प्रजातंत्र के लिये स्वतंत्र समाचार-पत्रों के बहुत आवश्यक होने की दृष्टि से क्या हम यह राशि नहीं बचा सकते ?

श्री चे० रा० पट्टभिरामन मैं ने अधिमान दिये जाने की सूची की ओर पहले ही संकेत कर दिया है । परन्तु हमें व्यवस्था करने से पूर्व देश की समस्त आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : सरकार की प्रादेशिक भाषाओं की विकास नीति के देखते हुए क्या सरकार अंग्रेजी समाचार-पत्रों को अधिक कोटा देने की इस नीति पर पुनर्विचार करेगी और सुनिश्चित करेगी कि इस कोटे को भाषाई पत्रों की ओर मोड़ा जा सके ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वास्तव में ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजी पत्रों को ही अतिरिक्त कोटा दिया जाता है । लघु समाचार-पत्रों के लिये श्री दिवाकर जी की अध्यक्षता में एक समिति की बैठक होती है । वह इसी प्रश्न पर अपनी सिफारिशें पेश करती हैं ।

श्रीमती मैमूना सुल्तान : इस तथ्य की दृष्टि से कि हमारे समाचार-पत्रों को अपनी आवश्यकता का 30 प्रतिशत भाग नेपा मिल्ज से मोल लेना होता है जबकि उसके लिये उन्हें विदेशी अखबारी कागज की अपेक्षा 50 प्रतिशत अधिक मूल्य देना पड़ता है और यह देखते हुए कि इस प्रकार लघु समाचार-पत्रों पर भार पड़ रहा है, 'नेपा' अखबारी कागज के मूल्य घटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : यह निस्संदेह सच है कि वर्तमान विश्व मूल्य की अपेक्षा 'नेपा' के अखबारी कागज का मूल्य लगभग 40 प्रतिशत अधिक है। परन्तु हमने देशी उद्योग के हितों पर भी विचार करना है । हमें आशा है कि कुछ समय उपरान्त मूल्य घट जाएंगे।

श्री शिंकरे : अखबाजरी कागज के अभाव का एक कारण यह है कि बहुत से तथा-कथित बड़े बड़े राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में 70 प्रतिशत से अधिक स्थान प्रचार सामग्री छापने और केवल 30 प्रतिशत समाचार और विचार आदि पर खर्च करते हैं । क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या सरकार प्रचार सामग्री छापने के स्थान की अधिकतम सीमा निर्धारित करने और यह विशेष उपबन्ध रखने की इस सीमा के अतिक्रमण करने पर उस पत्र को अखबारी कागज का कोटा नहीं दिया जाएगा ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : निस्संदेह यह सच है कि बहुदा 60 प्रतिशत स्थान प्रचार सामग्री छापने पर और केवल 40 प्रतिशत ही समाचार तथा विचार छापने में ही व्यय होता है--परन्तु सभी-समाचार-पत्रों के मामले में ऐसा नहीं है । हमें इस पहलू का भी ध्यान है । समाचार पत्रों के पंजीकार इस मामले की ओर ध्यान देते हैं ।

अवाड़ी में टैंकों का निर्माण

\+

*427. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मुरली मनोहर :
श्री राम हरख यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवाडी (मद्रास) में टैंकों के निर्माण के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या यह कारखाना चालू वर्ष में उत्पादन आरम्भ कर देगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) लगभग 80 प्रतिशत संयन्त्र और साज सामान स्थान पर प्राप्त हो चुका है और स्थापित किया जा चुका है ।

(ख) जी हां । आशा है कि पहले टैंक का 1965 के अन्त से पहले उत्पादन हो जाएगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : इस परियोजना की क्षमता क्या होगी ; और इसमें कितने आदमियों को रोज़गार दिया जा सकेगा ?

श्री अ० म० थामस : जब यह पूर्ण उत्पादन होने लगेगा तो प्रतिवर्ष 100 टैंक बनने लगेंगे। जहां तक रोज़गार देने का सम्बन्ध है पूर्ण उत्पादन होने पर एक पारी के आधार पर 3000 व्यक्तियों को रोज़गार दिया जा सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय : कितनी अवधि में 100 टैंक बनाये जायेंगे ?

श्री अ० म० थामस : एक वर्ष में ।

श्री स० मो० बनर्जी : अवादी में कारखाने के अलावा, क्या टकों के पुर्ज़े अन्य युद्ध-सामग्री कारखानों में भी बनाये जायेंगे और अवादी में जोड़े जायेंगे अथवा क्या सब चीजों का निर्माण अवादी में ही किया जायेगा ?

श्री अ० म० थामस : एक युद्ध-सामग्री कारखाने में तो तोपों के उत्पादन की व्यवस्था की गई है । टैंकों की उपलब्धता के अनुसार वहां पर तोपें बनाई जायेंगी । अन्य चीजों के बारे में इंजिनों तथा स्वयं बदलने वाले गियरों का निर्माण अवादी में ही किया जायेगा, परन्तु इलेक्ट्रानीय उपकरणों का निर्माण भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड, बंगलौर में किया जायेगा ।

Shri Yashpal Singh: Are the Government in a position to tell us whether the imported tank would be cheaper or the indigenous one?

श्री अ० म० थामस : इस बारे में अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी तो हमें कई पुर्ज़े बाहर से ही मंगाने पड़ेंगे । हमारा विचार 41 वें टैंक से उत्पादन आरम्भ करने का है । पहले 40 टैंक सर्वश्री विकर्ज़ आर्मस्ट्राग से आयात किये जायेंगे और हम अवादी में 41वें टैंक से उत्पादन आरम्भ करेंगे । इस 41वें टैंक से 28 प्रतिशत पुर्ज़े भारत में ही बनाये जायेंगे और शेष पुर्ज़े आयात किये जायेंगे और फिर देशीय पुर्जों में धीरे धीरे वृद्धि की जायेगी ।

श्री मं० रं० कृष्ण : जब जिगें और भवन आदि 1963 में ही तैयार कर लिये गये थे, तो टैंकों का निर्माण करने में इतनी देर क्यों हो गई है ?

श्री अ० म० थामस : परियोजना का कार्य सूची के अनुसार चल रहा है । मूल सूची के अनुसार वर्ष 1965 के अन्त तक एक टैंक का उत्पादन होना चाहिये और हमारा अब भी यही विचार है कि एक टैंक बन जायेगा । शायद तारीख को कुछ आगे बढ़ाना पड़े ।

श्री हिम्मतसिंहका : शेष 20 प्रतिशत उपकरण कब आ जायेंगे ?

श्री अ० म० थामस : वे प्राप्त किये जा रहे हैं ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : टैंकों के लिये जिन विशेष प्रकार की कवच चादरों की आवश्यकता होती है क्या उनको देश में बनाया जा सकता है अथवा क्या हम इसके लिए विदेशों पर ही निर्भर करते रहेंगे ?

श्री अ० म० थामस : हम इसके निर्माण के लिए स्वदेशी क्षमता अधिष्ठापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु हम ऐसा कर नहीं सके हैं। हमारा विचार है कि हम इसको कर लेंगे, परन्तु शायद आरम्भ में हमें कुछ कवच चादरों का आयात करना पड़ेगा ।

Shri A. S. Saigal: Shall we be able to meet our requiremen t of tanks by this Project of Avadi; if so, the arrangements being made for this?

श्री अ० म० थामस : हमारे पास दोनों कार्यक्रम हैं, आयात कार्यक्रम भी और स्वदेश में निर्माण का कार्यक्रम भी। जैसा कि मैंने बताया पहले 40 टैंक सहयोगकर्ताओं से आयात करने पड़ेंगे । प्रतिरक्षा दल के रूस के दौरे के बाद हमने कुछ हल्के टैंक आयात करने क लिए प्रबन्ध किया है । अतः हम अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे हैं ।

श्री मेलकोटे : क्या यह सच है कि कुछ गोला बारूद कारखानों को मद्रास से अन्य स्थानों पर ले जाना जायेगा और यदि हां, तो क्या इन कारखानों के उन मज़दूरों को जो टैंक के कारखाने में जाना चाहें वहां ले जाया जायेगा ?

श्री अ० म० थामस : मद्रास से किसी गोला बारूद कारखाने को किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जाया जा रहा है । अवाडी में एक फौजी वर्दी बनाने का कारखाना है । उस कारखाने को किसी अन्य स्थान पर ले जाने का विचार नहीं है । कुछ गोला बारूद कारखानों में से हमें वे वैयक्तिक मजदूरों को निकालना पड़ेगा और हम उनको अन्य कारखानों में लगाने का प्रयत्न करते हैं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : 1966 में कितने टैंक बन जाने की आशा है ?

श्री अ० म० थामस : हम निश्चित रूप से अभी कुछ भी नहीं कह सकते । मैंने कहा है कि टैंक संख्या 41 से उत्पादन यहां होगा ।

श्री कपूरसिंह : क्या सरकार इस धारणा की पुष्टी कर सकती है कि चीन ऐसे क बना रहा है जिस में आण्विक तोपखाने लगे हुए हैं और यदि हां, तो हम जो टैंक बनाने जा रहे हैं क्या हम उनसे ऐसी स्थिति का मकाबला कर सकते हैं ?

श्री अ० म० थामस : हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि चीन द्वारा निर्मित टैंकों में आण्विक तोपखाने लगे हुए हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : आपको कभी किसी बात की जानकारी नहीं होती ।

संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जेट विमानों का निर्माण

+

*430. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री रा० बरूआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरुवा :
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य से कुछ विशेषज्ञ दल भारत की एच० एफ० 24 परियोजना को उनके अपने देश में इस समय विकास किये जा रहे सुपरसोनिक विमान इंजन के साथ जोड़ने की सम्भावना की जांच करने के उद्देश्य से दिसम्बर, 1964 में भारत आये थे, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में संयुक्त अरब गणराज्य से आये दलों तथा भारत सरकार के बीच हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां। एच० एफ० 24 विमान की विशेषताओं और अभिनय का अध्ययन करने के लिए गत दिसम्बर-जनवरी में यू० ए० आर. का, इंजीनियर अफसरों का एक दल एक पखवाड़े के लिए भारत में था ।

(ख) अध्ययन अभी सम्पूर्ण नहीं हुए। तकनीकी अध्ययन सम्पूर्ण हो जाने के पश्चात् यू० ए० आर. प्राधिकरणों से बातचीत की जाएगी ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : एक बार सहयोग की शर्तें तय हुई थीं, तो ये इंजन भारत में बनाये जायेंगे अथवा संयुक्त अरब गणराज्य में बनाये जायेंगे ?

श्री अ० म० थामस : इन सब बातों का अभी तय किया जाना है। अभी तकनीकी अध्ययन किये जा रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : संयुक्त अरब गणराज्य के साथ सहयोग के इस प्रस्ताव के अतिरिक्त क्या किसी अन्य देश अथवा देशों से भी इंजन प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री अ० म० थामस : संयुक्त अरब गणराज्य के साथ इस प्रस्ताव .र अन्तिम निर्णय करने के पश्चात ही हम अन्य बातों पर विचार कर सकते हैं। संयुक्त अरब गणराज्य का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : संयुक्त उपक्रम में कुल कितना पैसा लगाया जायेगा ?

श्री अ० म० थामस : इसका अनुमान अभी लगाया जायेगा ।

Shri D. N. Tewari: Has the site for this factory been selected by the team which visited Indian recently or whether only the technical Cooperation has been discussed?

श्री अ० म० थामस : किसी स्थान के चुनने का कोई प्रश्न नही है । हमारे पास पहले ही बंगलौर में एच० एफ० 24 परियोजना है ।

श्रीमती सावित्री निगम: यह सर्वेक्षण कब पूरा हो जायेगा और क्या इस परियोजना के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई थी और उनको अन्तिम रूप दिया गया था ?

श्री अ० म० थामस : संयुक्त अरब गण-राज्य का तथ्यों का पता लगाने सम्बन्धी प्रतिनिधि मण्डल पिछली जनवरी के पहले पखवाड़े में भारत ाया था और हम ने उनको उत्तर दे दिया है । हमने प्रतिवेदन भेज दिया है । मामले में अग्रेतर कार्यवाही अब तो संयुक्त अरबगणराज्य को करनी है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि संयुक्त अरब गणराज्य के साथ इस सहयोग की जरूरत इसलिये पड़ी है कि वह मूल योजना, जिसके अन्तर्गत एच०एफ० 24 में आर्फियस बी० दो अंग्रेजी सुपर सोनिक इंजन लगाये जाने थे बीच ही में छोड़ दी गयी थी, और ब्रिटिश निर्माताओं से इस बातचीत को छोड़ने के क्या कारण थे ?

श्री अ० म० थामस : दो और प्रस्ताव थे, एक रोल्स रायस से और दूसरा सिउल्व्स से । विचाराधीन प्रस्ताव केवल संयुक्त अरबगणराज्य का ही प्रस्ताव है . . .

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । वह उत्तर देने से बचना चाहते हैं । पहले इस सभा को बताया गया था कि एच०एफ० 24 में सुपर सोनिक इंजन आर्फियस बी० 12 टरबो जेट लगाया जायेगा । वह बातचीत क्यों छोड़ दी गई है ?

श्री अ० म० थामस : रोल्स रायस पर विचार किया गया था, हमारा विचार था कि हमारे एच०एफ० 24 एयर फ्रेम के लिये रोल्स रायस उपयुक्त नहीं होगा । रूस के आर० डी० 9 इंजिन को लगाने का भी प्रस्ताव था परन्तु रफ्तार से मेल खाने के लिये वह भी उपयुक्त नहीं था, और इस लिये उसे भी छोड़ दिया गया था ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग को छोड़ कर अन्य कौन से देश हैं जिनके साथ हम सुपर सोनिक इंजिनों के लिये बातचीत कर रहे हैं ?

श्री अ० म० थामस : हम किसी अन्य देश से बात चीत नहीं कर रहे हैं ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या यह सच नहीं है कि लगभग 7 वर्ष पहिले एयर फ्रेम का डिज़ाइन तैयार किया गया था उसका निर्माण किया गया था और इन सातों वर्षों में सरकार यह निर्णय नहीं कर पाई है कि कौन सा इंजिन लगाना चाहिये?

श्री अ० म० थामस : एच०एफ० 24, मैच एक के निर्माण के सम्बन्ध में काम चल रहा है; यह एक उपयुक्त 'ग्राउंड लड़ाकू विमान' होगा। जहां तक मैच दो रफ्तार का सम्बन्ध है, हमें इंजिन बनाना है।

Shri Onkar Lal Berwa: Have any conditions been laid in this negotiation?

श्री अ० म० थामस : शर्त का कोई प्रश्न नहीं है। हम ने मिश्र के साथ करार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह उपबन्ध किया गया है कि हम उनके इंजिनों में रुचि रखते हैं और वे हमारे एयर फ्रेमों में, इस प्रकार न्यूनाधिक यह एक पारस्परिक ठहराव होगा। इस करार के सम्बन्ध में हमें अभी आगे बातचीत करनी है।

परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकना

\+

*431. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री ज० ब० सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने के लिये भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अथवा बाहर कोई शुरूआत की है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(ग) उस पर अन्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मैनन): (क) और (ख). जी हां। जेनेवा में 18 राष्ट्रों के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत ने यह प्रस्ताव किया था कि एटमी हथियार वाले देशों को अणु-अस्त्र का विस्तार न करने के विषय पर एक करार करने के लिए बातचीत शुरु कर देनी चाहिए। भारत के अनुरोध पर एटमी हथियारों का उत्पादन न करने से सम्बद्ध मद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19 वें सत्र की कार्य सूची में शामिल कर दिया गया था। इस मद पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि महासभा में स्थगन से पूर्व कोई सामान्य कार्रवाई नहीं हुई।

(ग) हालांकि गत कुछ समय में एटमी हथियारों का विस्तार न करने के विषय पर करार करने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, तो भी इन सुझावों का सामान्य तौर पर स्वागत किया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह देखते हुए कि अन्य राष्ट्रों में परमाणु हथियारों का ज्ञान पहले ही फल चुका है, क्या सरकार परमा णु हथियारों के निर्माण और उनका स्टाक बनाने पर पूर्ण रोक लगाने के लिये मास्को में हुई परीक्षण रोक संधि को बढ़ावा देने में प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहती है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस मामले पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह केवल विचार का ही प्रश्न नहीं है । क्योंकि मामला अब गंभीर बन गया है मैं जानना चाहती हूं कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर--अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस मामले पर चर्चा करने के लिये हम कोई कदम उठाना चाहते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : परमाणु हथियारों के प रीक्षण तथा उनके जमा करने पर रोक लगाने के लिये, सरकार, राजनयिक स्तर पर तथा अनौपचारिक बातचीत द्वारा बराबर प्रयत्न कर रही है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इन परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने के लिये परमाणु शस्त्रों रहित एक क्षेत्र बनाने में क्या प्रगति की हुई है जैसा कि गत 5 वर्षों में संसार के अनेक देशों ने सुझाव दिया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : ऐसा क्षेत्र बनाने में अभी कोई खास प्रगति नहीं हुई है ।

Shri K. N. Tewari: Since China is not a member of the United Nations, what effect it will have on China and how a nuclear-free zone will be created?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : चीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, इसलिए वह संयुक्त राष्ट्र के किसी निर्णय से बाध्य नहीं है ।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya: What are those nations that have supported our porposal of banning the nuclear weapons and whether this support is going to bring a change in China's attitude of manufacturing atom bombs?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस बात पर सामान्य रूप से सहमति है कि परमाणु शस्त्रों के परीक्षण और उनके जमाव को रोकने के लिये कोई प्रभावशाली कदम उठाया जाये क्योंकि यह कठिनाई और बढ़ती जायेगी यदि अधिक व्यक्तियों के पास परमाणु हथियार होंगे। इसलिये, जैसा कि मूल उत्तर में बताया गया है निशस्त्रीकरण सम्मेल और संयुक्त राष्ट्र और उसके बाहर प्रत्येक स्थान पर हमने इस विचार को रखा है ; सामान्य रूप से इस पर सहमति है कि कुछ किया जाना चाहिए । परन्तु जब तक प्रस्ताव तैयार न किया जाये, हम नहीं जानते कि अन्य सदस्यों से हम किस प्रकार का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं ।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya: What countries have supported our proposal?

Mr. Speaker: All other countries support it, but it is not having any effect on China.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह एक विशिष्ट प्रश्न है जिसका माननीय मंत्री ने उत्तर नहीं दिया है ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैंने बता दिया है कि जब तक हम संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव नहीं रखते हमें पता नहीं लग सकता कि कौन देश हमारे प्रस्ताव का समर्थन करता है । इस समय चर्चा से पता चलता है कि इसके सम्बन्ध में हमारे विचार पर सामान्य रूप से सहमति है ।

Shri Onkar Lal Berwa: Atomic power stations are being built at the expense of crores of rupees. What weapons will be manufactured there which can be equally forceful to counter atom bombs successfully?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): This does not relate to the main question.

श्री हेम बरुआ : क्योंकि चीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है और उसको रोकना कठिन है जैसा कि माननीय मंत्री ने माना है, और सम्भव अन्य ऐसे राष्ट्रों को रोकना भी कठिन होगा जिन पर चीन का प्रभाव है, सरकार किस प्रकार यह समझती है कि संयक्त राष्ट्र का निर्णय क्रियान्वित किया जायगा । जबकि ये देश मिल कर संयुक्त राष्ट्र के निर्णय को अवहेलना करते हैं और क्या सरकार का यह प्रयत्न केवल दिखावा मात्र ही नहीं है ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य के दिमाग में यह धारणा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में, जो स्वयं परमाणु शस्त्र बनाने वाले देश हैं, परमाणु शस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगाने का करार हुआ है । केवल मास्को में आंशिक परीक्षण रोक संधि है जिसमें भूमिगत परीक्षणों को भी शामिल नहीं किया गया है और दूसरे इस पर भी कोई सहमति नहीं है कि बड़े परमाणु राष्ट्र परमाणु शस्त्र नहीं बनायेंगे । निशस्त्रीकरण सम्मेलन में इसी मूल बात पर विचार किया जा रहा है । जहां तक चीन का सम्बन्ध है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है । चीन और फ्रांस ने मास्को परीक्षण रोक संधि पर हस्ताक्षर तक नहीं किये हैं। दोनों अपने विकास कार्यक्रम में लगे हुए हैं।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । क्योंकि बहुत से राष्ट्रों ने परिक्षण रोक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और कुछ राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के निर्णय को नहीं मानेंगे, फिर भारत क्यों संयुक्त राष्ट्र के निर्णय पर इतना भरोसा कर रहा है जब कि कुछ राष्ट्र इसको क्रियान्वित नहीं करेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमन् यह एक आशा है जो संसार को जीवित रख सकती है । इसलिए निशस्त्रीकरण के प्रयत्न जारी रहेंगे । चीन की और भी कठिनाइयां हैं और अन्य बड़े राष्ट्र की भी अपनी

कठिनाइयां हैं। परन्तु निशस्त्रीकरण का एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हमें काम करते रहना चाहिए और संसार को करते रहना चाहिये चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों।

डा० सरोजिनी महिषी : यह देखते हुए कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में भी आपसी अविश्वास और डर है, क्या सरकार गंभीर रूप से यह आशा करती है कि परीक्षण रोक संधि को क्रियान्वित किया जा सकता है और क्या इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाये जा सकते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : परीक्षण रोक संधि में जो बातें थी उनका आदर किया गया है। इसलिए ये आशा है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय करार किये जायेंगे तो उनका सम्मान किया जायेगा। यह सच है कि भूमिगत परीक्षणों को रोकने, उनके निर्माण को रोकने अथवा ऐसा वातावरण बनाने में--जिसमें बड़े बड़े परमाणु शस्त्रों वाले राष्ट्र अपने हथियारों को नष्ट कर दें--कोई अधिक प्रगति नहीं हुई है। यदि अविश्वास और भय न होता तो प्रश्न और सरल हो जाता। विश्वास की कमी और आपसी शक के कारण यह जटिल बन गया है।

दलाई लामा

+

*432. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंह का :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलाई लामा ने कुछ विदेशों की यात्रा करने की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) दलाई लामा के विदेश जाने के इरादे की सूचना विदेश मंत्रालय को पिछले वर्ष मार्च में दे दी गयी थी।

(ख) दलाई लामा एशिया के कुछ देशों की यात्रा करना चाहते हैं : जैसे, श्रीलंका, बर्मा, कम्बोडिया, जापान, थाइलैंड, मलेशिया और फिलिपीन।

(ग) यह संकेत दे दिया गया था कि भारत सरकार को कोई आपत्ति न होगी।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं कि दलाई लामा ने स्वयं या अपने मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि द्वारा यह इच्छा प्रकट की है कि वह इन एशियाई देशों के अतिरिक्त यूरोप और अमरीकी देशों की भी यात्रा करना चाहते हैं, यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने उन्हें यूरोपीय तथा अमरीकी देशों में जाने की अनुमति नहीं दी। इस के क्या कारण हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : दलाई लामा ने यूरोप या अमरीकी देशों में जाने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की है। हमारी जानकारी के अनुसार उन्होंने केवल उन्हीं देशों के बारे में कहा है कि जिनका उल्लेख उत्तर में है।

श्री हरि विष्णु कामत : गृह-कार्य मंत्री के श्वेत-पत्र में देश के वाम पन्थी साम्यवादियों के विरुद्ध एक बड़ा आरोप यह है कि उनका तिब्बत के प्रति दृष्टिकोण देश की भावनाओं के विरोध में है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार तिब्बत को मुक्त कराने के बारे में अपनी नीति बदलेगी ? और दलाई लामा और तिब्बत के राष्ट्रवादियों को सहायता देगी ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । इस का सम्बन्ध दलाई लामा की यात्रा से है ।

श्री हरि विष्णु कामत : हम सुन नहीं सके । वह कुछ ऊंचा बोलें ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो दलाई लामा की यात्रा के बारे में है और आप तिब्बतियों की सहायता और उनके प्रति सहानुभूति की बात कर रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा निवेदन है कि दलाई लामा कोई मनोरंजन की यात्रा पर नहीं जा रहे हैं । वह तो अपने ध्येय की पूर्ति के लिए संसार की सहानुभूति प्राप्त करने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री की बात मानता हूं कि इसका यहां कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : आप उनकी बात मानते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्री हरि विष्णु कामत : बहुत खेद है ।

श्री शिंकरे : श्रीमान्, क्या जब अध्यक्ष महोदय कहें कि वह उनकी बात मानते हैं तो सदस्यों को आक्षेप करने और मुझे खेद जैसे शब्द प्रयोग करने की आज्ञा है ?

श्री हरि विष्णु कामत : मैं आप का विनिर्णय स्वीकार करता हूं । परन्तु यह खेदजनक है ।

अध्यक्ष महोदय : जब भी मैं ठीक समझूं मैं सदस्य को झाड़ दूंगा ;

श्री बड़े : समाचार पत्रों में आया है कि दलाई लामा ने पश्चिमी देशों में जाने की इच्छा प्रकट की है और अब मंत्री ने कहा है कि उन्होंने आज्ञा नहीं मांगी है । परन्तु यदि भविष्य में दलाई लामा यूरोपीय तथा अमरीकी देशों में जाने की आज्ञा मांगें तो क्या सरकार उनको आज्ञा देगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह काल्पनिक प्रश्न है । इस के उत्तर की जरूरत नहीं ।

श्री राम सहाय पांडे : क्या मैं जान सकता हूं कि विशेष व्यक्तियों को विदेश में जाने के लिए पारपत्र और आज्ञा लेनी होती है । . . .

अध्यक्ष महोदय : विशेष व्यक्तियों का यहां सम्बन्ध नहीं । प्रश्न दलाई लामा के बारे में है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : जो लोग विदेशों को जाते हैं उनको आज्ञा तथा पारपत्र देते समय क्या शर्तें लगायी जाती हैं । इस संदर्भ में प्रतिदिन शेख अब्दुल्ला वक्तव्य दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप दलाई लामा के बारे में नहीं पूछ रहे । अगला प्रश्न ।

संयुक्त राष्ट्र निधि को चन्दा दिया जाना

*433. श्री रा० गि० दुबे :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सदस्य राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र को दिए जाने वाले चन्दे की बकाया राशि तथा इन बकाया राशियों के भुगतान न किये जाने पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 को लागू करने के बारे में कोई विशेष रवैया अपनाया है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(ग) क्या भारत सरकार इस मामले में संयुक्त राष्ट्र में दो परस्पर विरोधी विचार-धाराओं के बीच के अन्तर को समाप्त करने के लिये प्रयास कर रही है । और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). हालांकि हमने संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा कार्यों के लिए सम्मिलित जिम्मेदारी के सिद्धान्त का समर्थन किया है और सिफारिश की है कि सभी सदस्य राज्य इसे स्वीकार करें, तो भी हम इस में विश्वास नहीं करते कि किसी भी राज्य को उसकी मर्जी के खिलाफ इस प्रकार के कार्यों में धन अथवा सैनिक देने के लिए मजबूर किया जा सकता है ।

संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा कार्यों के लिए अदायगी न करने के बारे में अनुच्छेद 19 (अनुच्छेद 99 नहीं) को लागू करने का जहां तक प्रश्न है, हमने बार-बार इस पर जोर दिया है कि बाकाया रकम की समस्या आर्थिक होने की बजाय राजनीतिक है और बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जाना चाहिए । दबाव डालने अथवा तावान डालने से समस्या पेचीदी हो जायेगी और उसका समाधान खोजने में और कठिनाईयां पैदा हो जायेगी ।

(ग) अन्य सदस्य राज्यों के साथ, खास तौर से एशियाई और अफ्रीकी राज्यों के साथ-साथ, भारत ने हल निकालने में सहायता देने की कोशिश की है । ये कोशिशें नाकामयाब नहीं हुई हैं । पहले तो, महासभा में अनुच्छेद 19 को नहीं उठाया गया ; दूसरे, एक विशेष समिति द्वारा संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा कार्यों की, उसके सभी पहलुओं के

साथ, विस्तारपूर्वक समीक्षा कर लेने तक, महासभा ने अपना अधिवेशन 1 सितम्बर, 1965 तक स्थगित कर देने का निर्णय किया है ; यह समिति इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित की गई है । इस विशेष समिति का सदस्य होने के नाते, भारत कोई मुनासिब और रचनात्मक समाधान खोज निकालने में सहायता देने का प्रयत्न करता रहेगा ।

श्री रा० गि० दुबे : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संयुक्त राष्ट्र में गम्भीर अवस्था खड़ी हो गई है क्या सरकार ने समस्या के समाधान के लिये कोई विशेष प्रयत्न आरम्भ किया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मूल उत्तर मे मैंने भारत सरकार के विशेष प्रयत्नों का उल्लेख कर दिया है ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या सदस्य राष्ट्रों के कि जिन के नाम बकाया चन्दा है, के अपने भुगतान न करने के पृथक् पृथक् कारण है या कोई एक ही कारण है । यदि पृथक् है तो फ्रांस और रूस के क्या कारण हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इन बड़े देशों में कुछ का शांति रक्षा के लिये चन्दा न देने का कारण है कि उन के विचार में महासभा ने इस कार्य में निर्णय करके सुरक्षा परिषद् की उपेक्षा की है । अतः इस भुगतान के लिये वे बाध्य नहीं हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : बहुत से निर्णय औपचारिक बैठकों तथा स्थानों पर नहीं लिये जाते । वर्तमान स्थिति में हमारी सरकार ऐसे क्या उपाय कर रही है कि देश बकाया चन्दा देने के लिये सहमत हो जायें ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैंने पहले ही कहा है कि 33 देशों की एक समिति गठित कर दी गई है जो शांति रक्षा के लिये व्यय के समूचे प्रश्न पर विचार करेगी ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : बकाया चन्दा इक्ठ्ठा हो जाने के कारणों की क्या कोई जांच की गई है ? क्या यह काम के असंतोषजनक तरीके से होने के कारण है और क्या संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान असंतुलित गठन भी इसका एक कारण है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जैसा मैं ने कहा है यह राजनीतिक प्रश्न है । उन का विचार है कि शांति रक्षा कार्यों पर व्यय करना संयुक्त राष्ट्र का कार्य नहीं । और इस आशय का निर्णय सुरक्षा परिषद् को करना चाहिये जिसका यह कार्य है । वे देश समझते हैं कि उनका दृष्टिकोण ठीक है क्योंकि यह निर्णय "शान्ति के लिए एकता" के संकल्प के अधीन किया गया था ।

Shri K. N. Tiwary: What is the number of Agro-Asian countries who have objected to it? Has our Prime Minister taken any initiative in the matter?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : ऐसे 16 देश हैं जिन्होंने 2 वर्ष तक चन्दा नहीं दिया । इन में से 3 ने भुगतान कर दिया है शेष ने नहीं किया ।

Shri Siddheshwar Prasad: It has been said that the reasons for non-payment are political and not financial. On account of non-payment of contribution there is apprehension of U.N.O. going ineffective. In such circumstances what efforts are being made by the Government of India to remove those political reasons?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह नियमित चन्दा नहीं कि जिसका भुगतान नहीं हुआ । यह तो शांति रक्षा के बारे में विशेष चन्दे की बात है । यदि यह नियमित चन्दे की बात हो और उस के बकाया के दो साल की बात हो तो कार्यवाही हो सकती है । इस बारे में कोई शिकायत नहीं है ।

श्री कपूर सिंह : सक्षम प्रेक्षकों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र भी अपने पूर्वाधिकारी लीग आफ़ नेशन्स की भांति समाप्त होगी । क्या सरकार को इस की जानकारी है, यदि हां, तो इस प्रकार इस को चालू रखने से क्या लाभ है ?

अध्यक्ष महोदय : चन्दे का न भुगतान करने का इस से क्या सम्बन्ध है ?

श्री कपूर सिंह : माननीय मंत्री उत्तर देने वाले थे ।

अध्यक्ष महोदय : जो प्रश्न किया गया है उसका चन्दा न दिये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री शिंकरे : इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से देशों ने चन्दा नहीं दिया और हमारे देश में सदैव विदेशी मुद्रा की कमी रहती है, क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र से कहेगी कि हमारा चन्दा रुपये में स्वीकार किया जाये या हमें दीर्घ अवधि के लिये कर्जा दे दिया जाये ताकि हम विदेशी मुद्रा की स्थिति ठीक होने पर भुगतान कर सकें ?

अध्यक्ष महोदय : एक अच्छा सझाव ।

सेना अधिकारियों के वेतन में वृद्धि

+

*434. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुरली मनोहर :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाडेय :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री प्र० क० देब :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री ब० ब० राघवन :
श्री कोया :
श्री रामपुरे :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेना अधिकारियों के वेतन में वृद्धि करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी (श्रेणी-वार); और

(ग) वेतन वृद्धि का फैसला किन बातों को ध्यान में रख कर किया गया ?

श्री स० चं० सामन्त : इस बारे में वेतन आयोग की सिफारिशें क्या थीं ? और क्या उनको ध्यान में रखा गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : यह विषय वेतन आयोग की सिफारिशों का भाग नहीं था । हां, श्री रघुरामैया, जो उस समय प्रतिरक्षा उपमंत्री थे, की अध्यक्षता में एक वेतन समिति मंत्रालय में गठित की गई थी । यह सिफारिशें मंजूर कर ली गई थीं । बाद में जब असैनिक सेवाओं के लिये सामान्य प्रश्न पर विचार हुआ तो इन शिफारिश की कार्यान्विति के साथ साथ कुछ वेतन वृद्धि की गई थी सेना अधिकारियों के लिये और वेतन वृद्धियां मंजूर की गई थीं । यह 1962 में किया गया था और इसको भूतलक्षी तिथि से लागू किया गया था । यह अप्रैल 1960 से था ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इस वेतन वृद्धि से हमारे देश के अधिकारियों के वेतन अन्य देशों के इन्हीं पदों अधिकारियों के वेतनों से तुलनात्मक दृष्टि से अच्छे हैं ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हम तुलना नहीं कर सकते । तुलनायें वास्तविक नहीं होतीं ।

श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या इस में भारतीय प्रतिरक्षा आकादमी के अधिकारी भी आते हैं और जे० सी० ओ० भी इस में आते हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जे० सी० ओ० और अन्य लोग जब इस पदाली में आयेंगे तो उन के बारे में भी विचार होगा ।

Shri D. N. Tiwary: Increase was effected in 1962 on the basis of 1959 report. As a result of steep rise in 1963-64 has there been any demand for increase, if so, have the Government appointed a committee to consider that demand?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मांग का कोई प्रश्न नहीं है । परन्तु एसे चर्चा चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Shri Daljit Singh : I want to know whether the question of removing big disparity in the pay of officers and Jawans is being considered?

Shri Y. B. Chavan : No, There is no proposal to remove it.

Shri A. P. Sharma: How far the recommendations regarding dearness of Das Commission have been implemented in Army ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उठाया गया प्रश्न अधिकारियों के बारे में है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : सेना में 600 रुपये से 1200 रुपये तक वेतन पाने वाले अधिकारी हैं । उन के बारे में क्या य सिफारिशें लागू की गई हैं ।

डा० द० स० राजू : यह सेना के अधिकारियों (ब्रिगेडियर तक के पद) को लागू होता है।

Shri Yashpal Singh : Have the Government ever considered the question of the pay of a Jawan who is guarding peaks in Ladakh and who gets less pay than horse allowance of a Superintendent of Police ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार में यह सच नहीं ।

Sri Yashpal Singh : The horse allowance of a Superintendent of police is Rs. 85.00 whereas the pay of a Jawan is Rs. 65.00.

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या सरकार को मालूम है कि सैनिक अधिकारियों को न केवल मंहगाई से कठिनाई है बल्कि मकानों की मुश्किल, स्कल सुविधाओं की कठिनाई आदि भी होती हैं? क्या सरकार इन कमियों को दूर करेगी यदि वेतनक्रम ठीक नहीं कर सकती ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जाय ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हर समय आप मंत्री की सहायता करते हैं । यह विषय . . .

अध्यक्ष महोदय : आप ने सुझाव दिया हैं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी । मैं क्या कर सकता हूं ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : सरकार कब विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं था । अब आप बदलें नहीं ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Keeping in view the rising prices will the Government consider the question of raising pensions of armymen?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हाल ही में इस पर विचार हुआ था और बढ़ौतरी की गई थी ।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : सरकार की यह सामान्य नीति मालूम होती है कि अधिकारियों के वेतनों में तुरन्त बढ़ौतरी न की जाय । क्या मैं जान सकता हूं कि हाल ही में चोटी के सैनिक अधिकारियों जैसे सैना कमान्डर, वायु सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते बढ़ा दिये गये हैं ? इस का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : केवल दो मामलों में जहां भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारी सेना कमांडर उनके बारे मे भत्ते पर विचार किया गया था । पहली बार भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारी सेना कमांडर बने अतः इस ओर ध्यान दिया जाना था ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : नियमित वेतन के अतिरिक्त अधिकारियों को भत्ते भी मिलते हैं । जवानों को दिये जाने वाले भत्तों की तुलना में वह कैसे हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हां, कुछ और भत्ते हैं और वह जवानों को भी मिलते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : जब अन्य केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है विशेष रूप रक्षा मंत्रालय के अधीनअसैनिक कर्मचारियों का तो सैनिक जवानों जो 600 रुपये तक वेतन पाते हैं के भत्ते में अनुपात से वृद्धि की जाती है । क्या हाल की बढ़ौतरी का प्रभाव उन पर ी पड़ेगा और 600 रुपये तक पाने वालों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया जायेगा?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जवानों के बारे में इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है । इस पर हाल ही में विचार हुआ था । और अन्य असैनिक कर्मचारियों के साथ साथ इन की भी वेतन वृद्धि को गई थी ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न मंहगाई भत्ते के बारे में था ।

Shri A. S. Saigal: Shri Raghuramiah gave the report in 1959 and on the basis of the same increment was given in 1962. I want to know all the recommendations of that committee were implemented or not?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जैसा मैं ने प्रथम उत्तर में कहा है कि रघुरामेया रिपोर्ट को 1961 में कार्यान्वित किया गया था । परन्तु बाद में अन्य असैनक–अधिकारियों के वेतनक्रमों का पुन ीक्षण किया गया तो सैनिक अधिकारियों के वैतन क्रमों में इस प्रकार परिवर्तन अवश्य समझा गया । अत: और वेतन वृद्धि 1962 मैं की गई और और यह अप्रैल 1962 से थी :

पाकिस्तान द्वारा वायु सेना का उलंघन

*435. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ पाण्डय :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने 15 जनवरी, 1965 के बाद कितनी बार भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया है ; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) सरकार को आज तक प्राप्त सूचना के अनुसार, 15 जनवरी, 1965 से भारतीय वायु क्षेत्र का पाकिस्तानी विमानों द्वारा कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, सिवाए 27 जनवरी 1965 के, जब एक हेलिकाप्टर जो पाकिस्तानी ख्याल किया गया था, दो बार त्रिपुरा राज्य में उतरा था । दोनों बार विमानचालक यह जानने के बाद, कि यह भारतीय क्षेत्र में है, पुन: उसे शीघ्र ही ले उड़ा था ।

(ख) इस मामले की परिस्थितियों से ऐसा जान पड़ता है, कि हेलिकाप्टर दिकसंचालन में स्खलन के कारण, त्रिपुरा राज्य की पाकिस्तान से लगती सीमा के पास, भारतीय वायु-क्षेत्र में उड़ने लगा था, और यह इस तरह भ्रम के कारण, भारतीय वायु क्षेत्र का उल्लंघन हो गया । इसलिए, फैसला किया गया है कि पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेजा जाए ।

श्री दलजीत सिंह : पाकिस्तान द्वारा किये गये ऐसे वायु सीमा के उल्लंघनों के विरुद्ध क्या उपाय किये जा रहे हैं अथवा किये जायेंगे ?

श्री द० स० राजू : जब कोई विमान अवैध रूप से हमारे राज्य क्षेत्र में घुस आता है तो हमें पहले यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि क्या यह हमारा अपना विमान है अथवा किसी शत्रु का। जब यह किसी शत्रु के राज्य क्षेत्र से आता है और यदि यह सैनिक विमान हो तो हम उसे नीचे उतरने का आदेश देते हैं और यदि वह हमारे आदेश की अवहेलना करता है तो हमें अधिकार है कि उसे गोली मार कर नीचे गिरादें। परन्तु हम सामान्यतया प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं का अनुसरण करते हैं और इस बारे में हम पूरी सावधानी बरतते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि चीनी प्रविधिज्ञ तथा विशेषज्ञ पूर्व में भारत-पाक सीमा पर हवाई अड्डों के बनाने में पाकिस्तान सरकार की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं; और क्या इस बारे में कोई एसी गुप्त सूचनायें प्राप्त हुई हैं कि चीन और पाकिस्तान मिल कर इस वर्ष अगस्त के पश्चात् किसी समय भारत पर हमला करने का षड्यन्त्र रच रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न वायु-सीमा के उल्लंघन के बारे में है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सीमा पर हवाई अड्डे बनाये जा रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत महसूस करेंगे कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से अलग है।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या कोई ऐसे अवसर भी आये हैं जब पाकिस्तान सरकार ने भी किसी उल्लंघन का, यदि भारत द्वारा कोई किया गया हो, अर्थ इतना उदारता से लिया हो अथवा इस पर इतनी अधिक रियायत से विचार किया हो ?

अध्यक्ष महोदय : उनका निर्वचन अथवा निर्माण सुसंगत नहीं है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इन सभी वायु-सीमा के उल्लंघनों को निरुत्साहित करने के लिये क्या सरकार ने सीमा पर अपने जवानों को ऐसे विमानों को गोली से नीचे गिराने के लिये निश्चित अनुदेश जारी किये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : जैसा कि उपमन्त्री जी ने बताया, इन मामलों के बारे में कुछ स्थायी अनुदेश जारी किये हुए हैं। परन्तु जब भी कोई विमान वायु-सीमा का उल्लंघन करके हमारे क्षेत्र में आ जाता है तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि क्या वह विमान सैनिक है अथवा असैनिक। तब उन्हें नीचे उतरने के लिये नोटिस देना पड़ता है और यदि वह नीचे उतरने से इंकार कर दे तो सैनिक विमानों के सम्बन्ध में निःसन्देह ऐसे अनुदेश हैं कि उन्हें गोली से नीचे गिराया जाये। परन्तु सभा ने यह नोट किया होगा कि पिछले वर्ष में वायु-सीमा क्षेत्र का उल्लंघन कम होता गया है और मेरे विचार में ऐसा इसलिये है कि हमने कुछ पर्याप्त कदम उठाये हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चीन द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन

*428. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 दिसम्बर, 1964 के बाद चीनी विमान द्वारा वायु सीमा का कितनी बार उल्लंघन किया गया है ;

(ख) ऐसी घुसपैठों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार को अब तक प्राप्य सूचना के अनुसार 24 दिसम्बर 1964 से चीनियों द्वारा भारतीय अन्तरिक्ष क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं हुआ ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

कीनिया में भारतीय

*436. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कीनिया में सरकारी नौकरी में लगे हुए भारतीय उद्भव के कुछ लोग, सरकारी नौकरियों का अफ्रीकीकरण किये जाने के कारण, बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) सरकार ने उनके हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वैदशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). लगभग 50।

(ग) जो लोग स्थायी रूप से बसने के लिए वापस आना चाहते हैं, उन्हें उदारतापूर्वक चुंगी की सुविधाएं दी गई हैं। इस प्रकार प्रभावित लोगों को सरकार रोजगार की कुछ सुविधाएं भी दे रही है।

केन्द्रीय भर्ती संगठन

*437. **श्री प्रभात कार :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन :
श्री दाजी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती रणु चक्रवर्ती :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन औद्योगिक समिति के नव अधिवेशन के निर्णय के अनुसार सरकार ने केन्द्रीय भर्ती संगठन पद्धति का अन्त करने के प्रश्न पर इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया): (क) और (ख). कोयला खान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के 9 वें अधिवेशन का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित कर दिया गया है । गोरखपुर

श्रम डिपो को राष्ट्रीय रोज़गार सेवा का अभिन्न अंग मानने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इसे अन्तिम रूप दिए जाने पर इस प्रश्न पर उत्तर प्रदेश सरकार का परामर्श लेकर निर्णय किया जायगा।

पाकिस्तानी समाचारपत्रों में भारत विरोधी विज्ञापन

*438. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिसम्बर, 1964 में कराची के एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित भारत विरोधी विज्ञापनों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां। सरकार ने इन आपत्तिजनक विज्ञापनों को देखा है।

(ख) कराची-स्थित भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान सरकार का ध्यान इन विज्ञापनों की ओर खींचा है। पाकिस्तान के चुनावों के सन्दर्भ में वहां भारत के प्रति घृणा का जो प्रचार किया गया, उसके ख़िलाफ़ भारतीय हाई कमीशन ने कराची-स्थित विदेश कार्यालय के पास 17 और 23 नवम्बर, 1964, 30 दिसम्बर, 1964 और 20 फरवरी, 1965 को औपचारिक रूप से विरोध-पत्र भेजे।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

*439. **श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में विभिन्न अनुसूचित उद्योगों में पिछली बार न्यूनतम मजूरी कब निर्धारित की गई थी ;

(ख) क्या सरकार का विचार अत्यावश्यक वस्तुओं के आज कल बहुत अधिक बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए उनका पुनरीक्षण करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) विभिन्न अनुसूचित रोज़गारों में न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 'उचित सरकारों' के रूप में राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी के बारे में सूचना श्रम ब्यूरो के निदेशक, शिमला द्वारा प्रकाशित न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 की कार्यान्विति सम्बन्धी रिपोर्ट में दी गई है। आखिरी रिपोर्ट 1961 वर्ष के बारे में है, जिसकी प्रतियां संसद् सचिवालय के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ;

केन्द्रीय सरकार ने ऐसे अनुसूचित रोज़गारों के, जो कि केन्द्रीय कार्य-क्षेत्र में आते हैं, कामगरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 1951, 1952, 1954, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 और 1964 में अधिसूचनाएं जारी करके न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित की।

(ख) और (ग). राज्य सरकारें, जो कि राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित रोज़गारों के लिए उचित सरकारें हैं, उन द्वारा पहले निर्धारित की गई न्यूनतम मज़दूरी का पुनर्विलोकन और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन करती हैं। विभिन्न अनुसूचित रोज़गारों में उचित सरकारों के रूप में राज्य सरकारों द्वारा संशोधित न्यूनतम मज़दूरी सम्बन्धी सूचना श्रम ब्यूरो के निदेशक द्वारा हर साल एकत्र और प्रकाशित की जाती है। आखिरी रिपोर्ट 1961 की है।

(2) केन्द्रीय सरकार ने 1955, 59, 60 और 1964 में ऐसे अनुसूचित रोज़गारों के, जों कि केन्द्रीय कार्य क्षेत्र में आते हैं, कामगरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम मज़दूरी का पुनर्विलोकन किया और उसमें संशोधन किया।

(3) केन्द्रीय और राज्य सरकारें न्यूनतम मज़दूरी का पुनर्विलोकन और उसमें संशोधन करती रहती हैं।

मद्रास में डाक तथा तार सम्पत्ति को हुई क्षति

*440. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में हाल में हुए भाषा सम्बन्धी दंगों के कारण डाक सम्पत्ति को हुई क्षति का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति हुई ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) अब तक उपलब्ध सूचना के आधार पर 3,31,431.00 रुपये की क्षति हुई है।

नागा विद्रोही

*441. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि लगभग 1,700 नागा विद्रोही, जो हथियार तथा सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये गत अक्तूबर में पाकिस्तान चले गये थे; वापस नागालैण्ड आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें नागालैण्ड में अवैध रूप से घुसने तथा अवैध रूप से हथियार लाने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये ;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार से हथियारों के इस तस्कर व्यापार को रोकने में सहाता करने के लिये कहा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां। सरकार को प्राप्य सूचना के अनुसार, लगभग 1500 विद्रोही नागाओं का एक दल 13-12-1964 को, अथवा उसके लगभग, पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, और पूर्वी पाकिस्तान से लौट रहा है।

(ख) सुरक्षा सेवाएं इन सशस्त्र विद्रोही नागाओं को नागालैण्ड में दाखिल होने से रोकने के लिए उपयुक्त उपाय कर रही हैं।

(ग) विद्रोही नागाओं को प्रशिक्षण, तथा शस्त्र देने से शत्रुतापूर्ण पाकिस्तान सरकार के, कार्य के विरुद्ध, भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को मई, 1964 में विरोधपत्र भेजा गया था।

(घ) अगस्त 1964, के उनके उत्तर में, पाकिस्तान ने हमारे विरोध पत्र में दिए, तथ्यों से इंकार किया है, और उन्हें आधार रहित तथा घड़न्त बताया है।

Reception accorded to Sheikh Abdullah in Cairo

*442. **Shri Bade** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Y. D. Singh :
Shri Jaswant Mehta :
Shri D. N. Tiwary :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri A. S. Alva :
Shri Balkrishna Wasnik :
Shri Sheo Narain :
Shri Tulshidas Jadhav :
Shri Madhu Limaye :
Shri Kamble :
Shri Alvares :
Shri H. P. Chatterjee :

Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Indian Embassy at Cairo accorded an official reception to Sheikh Abdullah ;

(b) Whether it is also a fact that orders to this effect were given to the above Embassy by the Government of India ; and

(c) If so, the reasons for according an official reception in this way to a private person ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) : (a) to (c). No official reception was given to Sheikh Mohammad Abdullah by our Embassy on his arrival in Cairo. It is correct, however, that an official from the Indian Embassy was present at the Cairo Airport at the time of Sheikh Abdullah's arrival. It is the practice of Indian Missions abroad to extend reasonable courtesies and assistance to Indian nationals, more so in the case of those who have held responsible positions in the past.

World Muslim Conference

*443. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Y. D. Singh :

Will the Minister of **External Affairs** to pleased be state :

(a) Whether it is a fact that Government sent their representative to participate in the World Muslim Conference held on the 6th March, 1965 in Bandung ; and

(b) If so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) The Government of India have not sent any official representatives to participate in the Afro-Asian Islamic Conference which started at Bandung on 6-3-1965. However, some prominent Muslim Organisations in India have sent their representatives to the conference at the invitation from the Organising Committee of the Conference sent through the Indonesian Embassy in New Delhi. The delegation consists of :

1. Mufti-Atiq-ur-Rehman ;
2. Maulana Saeed Ahmed Akbarabadi ;
3. Mr. Mohammed Shafi Querashi ;
4. Maulana Abdul Wahab Bukhari ; and
5. Mrs. Qamar Ahmed.

(b) Does not arise.

Cease-Fire in Nagaland

*144. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether the state of cease-fire which is in existence now in Nagaland between the Hostile Nagas and the Government has been extended upto 15th April, 1965 ; and

(b) If so, the reason therefor ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) : (a) and (b). At the request of the Peace Mission, the suspension of operations has been extended to April 15, 1965. The discussions with the Underground Nagas Delegation are continuing and in the hope of arriving at a peaceful settlement, the request of the Peace Mission has been acceded to.

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उचित मूल्य की दुकानें

*445. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक उपक्रमों में श्रमिकों के लिए उचित मूल्य की दुकानें खोलने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस मामले में कुछ उपक्रमों ने तत्परता नहीं दिखाई है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) इस समय 2193 उपभोक्ता सहकारी भंडार और उचित मूल्य की दुकानें (1717 सहकारी भंडार और 476 उचित मूल्य की दुकानें) देश के ऐसे 3576 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम कर रही हैं, जिनमें 300 या उससे अधिक कामगर नियुक्त हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) कुछ नियोजकों ने स्थान, वित्त और माल प्राप्त करने के बारे में कठिनाइयों का वर्णन किया है। अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा इस प्रकार की दुकानें खोलने के लिए पर्याप्त प्राथमिकता दी गई मालूम नहीं होती । ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए विधान विचाराधीन है ।

टेलीविज़न

*446. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री म० रं० कृष्ण :
श्री भगवत झा आजाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री रामकृष्ण रेंड्डी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टेलीविज़न चालू करने सम्बन्धी योजना को विस्तार में तैयार कर लिया है;

(ख) क्या इसे धीरे धीरे लागू किया जायेगा, यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर कुल कितनी पूंजी व्यय होगी;

(ग) क्या कोई प्रारम्भिक अथवा प्रयोगिक परियोजना चालू की जाने वाली है; और

(घ) क्या भारत में टेलीविज़न चालू करने से पहले नवयुवकों तथा बच्चों पर इससे होने वाले बुरे प्रभावों पर, जैसा कि अमरीका तथा यूरोप के अनुभवों से सिद्ध हो गया है, अच्छी तरह विचार कर लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी, हां। सारे देश में टेलीविज़न चालू करने की योजना की रूपरेखा पर विचार हो रहा है। इसमें सारे देश में प्रत्येक प्रदेश में एक-एक टेलीविज़न कार्यक्रम दिखाने के लिए उच्च शक्ति के लगभग 250 ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है। योजना जब पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी तो इसे पूरा करने के लिए लगभग 20 साल लग जायेंगे और उस पर पूंजीगत व्यय 80--100 करोड़ रुपये होगा।

(ग) नई दिल्ली में 1959 से बहुत सीमित स्तर पर टेलीविज़न चालू है। दिल्ली में पूरे पैमाने पर टेलीविज़न चालू करने का फैसला हो चुका है और जल्दी ही इसे चालू करने के लिए प्रबन्ध किया जा रहा है।

(घ) टेलीविज़न के सम्बन्ध में विदेशों के अनुभवों को ध्यान में रखा जा रहा है और यदि इस योजना को चालू करने का निश्चय हो गया तो भारत में टेलीविज़न चालू करने में हम अपनी राष्ट्रीय नीति के अनुसार अपनी बुनियादी आवश्यकताओं और देखने वालों के व्यापक हितों को ध्यान में रखेंगे।

गणतंत्र दिवस परेड

*447. **श्री कपूर सिंह :**
श्री गुलशन :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष गणतन्त्र दिवस की परेड में भारतीय इतिहास के विभिन्न काल की सैनिक वेषभषा सम्बन्धी शोभा यात्रा में सिख सैनिकों को शामिल नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) भारतीय इतिहास के कुछ समयों के सैनिक वेषों के प्रदर्शन में, जिसका, इस वर्ष की दिल्ली में गणतन्त्र दिवस परेड के एक अंश के तौर पर आयोजन किया गया था, सिख सैनिकों की वर्दी शामिल नहीं की गई थी।

(ख) सर्वांगपूर्ण चयन सम्भव न था, और पहले ही प्रदर्शन में भारतीय इतिहास के सभी समयों या सभी सैनिक वर्गों को शामिल कर पाना सम्भव नहीं था। अगले वर्ष की, गणतन्त्र दिवस परेड में, सिख सैनिकों सहित, कई अन्य सैनिक वर्गों को शामिल करने का विचार है।

Kidnapping of Indians by Pakistanis

*448. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Yudhvir Singh:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Bade:
Shri Vishram Prasad:
Shri Y. D. Singh:
Shri Narendra Singh Mahida:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shrimati Maimoona Sultan:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that on the 23rd February, 1965 two Indian citizens were kidnapped by armed Pakistanis near Manawar, about 50 miles from Jammu ; and

(b) If so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). Government have received no report about this incident. Enquiries are being made of the State Government.

चीनी क्षेत्र में भारतीय विमानों की कथित घुसपैठ

*449. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय वायु विमानों द्वारा चीनी वायु सीमा के कथित उल्लंघन के विरुद्ध दिसम्बर, 1964 के अन्त में चीन से एक विरोध पत्र प्राप्त हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है !

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां । 28 दिसम्बर, 1964 को चीन सरकार की ओर से एक विरोध-पत्र मिला था जिसमें भारतीय हवाई जहाजों द्वारा चीनी वायु क्षेत्र का उल्लंघन किए जाने का आरोप था ।

(ख) भारत सरकार ने चीन के विरोध-पत्र को ठुकरा दिया क्योंकि चीन के आरोप बिल्कुल निराधार थे ।

Vehicle Depot, Delhi Cantt.

*450. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onker Lal Berwa :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Y. D. Singh :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Buta Singh :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri Nath Pai :
Shri Alvares :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that 350 trucks are missing since last year from there ehicle depot at Delhi Cantt; and

(b) if so, whether any investigations were made into it and the result thereof ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से विदेश मंत्री को आमंत्रण

451. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्हें हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों की सरकारों से उन देशों की यात्रा करने का निमंत्रण मिला है ;

(ख) यदि हां, तो निमंत्रण किन किन देशों से प्राप्त हुए हैं ।

(ग) क्या उन्हें स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका उन देशों की कब यात्रा करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). विदेश मंत्री का मलयेशिया, इन्डोनेशिया, लाओस, कम्बोडिया, थाईलैंड और फिलिपीन जाने का इरादा रहा है । संबद्ध सरकारों ने इसका स्वागत किया है कि वे उनके देशों की यात्रा करेंगे । लेकिन अंतिम रूप से यह अभी तय नहीं किया गया है कि विदेश मंत्री इन देशों की कब यात्रा कर सकेंगें ।

आसाम राइफल्स फण्ड

1123. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम राइफल्स की बटेलियन के एक हवलदार लेखापाल ने जाली बिलों पर धन लिया ;

(ख) क्या इस प्रश्न पर विचार करने वाले जांच मण्डल ने कमान अधिकारियों को घोर उपेक्षा के लिए दोषी ठहराया ;

(ग) क्या दोषी ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, संभावना के आधार पर ।

(ग) और (घ). हवलदार लेखाकार (एकाउंटेंट) का अभी तक पता नहीं है ।

सम्पूर्ण गांधी वाङमय

1124. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय के कितने खण्ड अब तक प्रकाशित हो चुके हैं ; और

(ख) प्रत्येक खण्ड में मुख्य-मुख्य क्या विषय हैं तथा उनकी अलग-अलग कीमत क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सम्पूर्ण गांधी वांङमय के अब तक अंग्रेजी में 13 खंड और हिन्दी में 11 खंड प्रकाशित हो चुके हैं ।

(ख) प्रत्येक खंड के विषयों को गिनना कठिन है, क्योंकि उन में गांधी जी के सभी उपलब्ध लेख, भाषण और पत्र तिथिक्रम से दिए गए हैं, विषयानुसार नहीं । इस प्रकार प्रत्येक खंड में उनके जीवन का एक भाग आ जाता है और उसमें अनेक विषय होते हैं । फिर भी, पहले बारह खंडों में जो सामग्री छपी है वह मोटे तौर से दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों पर प्रतिबंध, उनकी दशा सुधारने के लिए गांधी जी के प्रयत्न और दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा चलाए गए सत्याग्रह के बारे में है। 13वें खंड से भारत में उनकी गतिविधियों की शुरुआत होती है । इसमें साबरमती आश्रम की स्थापना और चम्पारन सत्याग्रह अन्दोलन विषयक सामग्री है ।

अंग्रेजी में प्रत्येक खंड के दो संस्करण हैं : एक साधारण जिसकी कीमत 9 रुपया और दूसरा स्टैंडर्ड जिसकी कीमत 15 रुपया फी कापी है । हिन्दी खंडों का केवल एक ही संस्करण है, जिसकी कीमत 9 रुपया फी कापी है ।

वेल्स में भारतीय शिल्पकार की मृत्यु

1125. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में एक नौजवान सफल शिल्पकार, श्री कमलेन्दु राय, जो ब्रिटेन में वेल्स में स्वानसी कालेज आफ आर्टस में काम कर रहे थे 18 फरवरी, 1965 को फांसी लगा कर मर गये ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। उनका शव 13 फरवरी, 1965 को स्वानसी लंडन ट्रेन में लटका पाया गया।

(ख) यह मृत व्यक्ति स्वानसी कालेज आफ आर्टस में लेक्चरर के पद पर था। इस कालेज में उक्त स्थान की छंटनी होने के बाद वह रेलगाड़ी से लंदन जा रहा था। ऐसा पता चला है कि वह कवेन्ट्री में वैसा ही काम लेने से पहले वहां जा रहा था। जब लंदन में पेडिंग्टन रेलवे स्टेशन के टरमिनस पर गाड़ी पहुंची, तो संडास में शव का पता चला और पुलिस उसे सेन्ट मेरीज़ अस्पताल में ले गई। मृत्यु परीक्षक (कोरोनर) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुमकिन है मृत्यु बेरोजगारी और निराशा के कारण हुई हो और उसने आत्महत्या किए जाने का निर्णय दिया।

उड़ीसा में पढ़े-लिखे बेरोजगार व्यक्ति

1126. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को उड़ीसा में पढ़े-लिखे व्यक्तियों की संख्या क्या थी ; और

(ख) उन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या क्या थी ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया): (क) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर मैट्रिक तथा इससे ऊंची शिक्षा पाए हुए उम्मीदवारों की संख्या 10,171 थी।

(ख) अनुसूचित जाति	256
अनुसूचित कबीले	311

बोलपुर डाक घर

1127. **डा० सारादीश राय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोलपुर डाक घर (पश्चिम बंगाल सर्किल) की इमारत बनाने के लिये भूमि प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इमारत के निर्माण में यदि कोई देर हुई है तो उसका क्या कारण है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं। टेलीफोन केन्द्र के अहाते में उपलब्ध विभागीय जमीन पर डाकघर की इमारत बन रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते। फिर भी, डाकघर की इमारत का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों में उर्दू का प्रयोग

1128. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ राज्यों में आकाशवाणी के कार्यक्रमों में उर्दू भाषा की उपेक्षा की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में इसकी उपेक्षा की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार उर्दू भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक केन्द्रों में अधिक कार्यक्रम चालू करने की व्यावहारिकता पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) उर्दू भाषी क्षेत्रों में आकाशवाणी के प्रादेशिक केन्द्रों से उर्दू के जितने अधिक कार्यक्रम उन केन्द्रों पर अनेक और विभिन्न मांगों को ध्यान में रखते हुए, हो सकते हैं, उतने हो रहे हैं ।

मास्को में नेहरू प्रदर्शनी

1129. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मास्को में नेहरू प्रदर्शनी फरवरी, 1965 में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रदर्शनी के आयोजन के लिये भारत ने कोई सहायता दी थी ; और

(ग) इस प्रदर्शनी के मुख्य उद्देश्य क्या थे ।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया था और इसमें विदेश मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी थी ।

(ग) इस प्रदर्शनी का मुख्य विषय था :—"नेहरू—भारत—सोवियत मैत्री का निर्माता" ।

नौसेना जहाजों की सेवाओं के लिए प्रार्थनापत्र

1130. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय ने भारतीय नौसेना से कर्मचारियों तथा सामान को ले जाने के लिये मंडापम तथा पम्बन के बीच एक नौका सेवा चलाने के लिये एक जहाज उपलब्ध करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) स्थानिक नौसैनिक अफसर मद्रास, मद्रास सरकार के अफसरों तथा दक्षिणी रेलवे अधिकारियों के दर्मियान बातचीत के पश्चात्, यह तय पाया, कि अपर्याप्त गहराई तथा पम्बन में घाट के अभाव के कारण, छोटे नौसैनिक-यानों को भी कम से कम, 400 से 500 गज़ परे लंगर डालना पड़ेगा, और इसलिए, वह उपयुक्त न होंगे । फैसला किया गया, कि इस उद्देश्य के लिए रेल अधिकारी, उस क्षेत्र में प्राप्य, थोड़ी गहारायों में चलने वाले, स्थानीय जलयानों का प्रयोग करें ।

People of Indian Origin in British Guiana

1131. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri P. R. Chakraverti :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the people of Indian origin in British Guiana have expressed their desire to come back to India ;

(b) If so, whether there has been any negotiations in this connection between the Government of India and the British Guiana ; and

(c) If so, the details thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Government have seen press reports of a demonstration by some persons of Indian origin in British Guiana demanding that they should be sent back to India. However there has not been any serious move in this direction.

(b) and (c). Do not arise.

प्रतिरक्षा उत्पादन

1132. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शस्त्रास्त्र उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त करने के भारत के प्रयास में 1962 से 1964 तक कुल कितनी सफलता मिली ; और

(ख) क्या भारत को अभी भी विदेशों से शस्त्रास्त्र तथा गोलाबारूद खरीदने की आवश्यकता है ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) इस अवधि में आयुधों का उत्पादन पर्याप्त तौर पर बढ़ा है और कई नई मदों का निर्माण स्थापित किया गया है, जिन में महत्वपूर्ण उदाहरण हैं ईशापुर अर्धस्वचालित राईफल, भारी मार्टर, पर्वतीय तोप और इससे संबद्ध गोलाबारूद ।

सशस्त्र सेनाओं के लिए आवश्यक अधिकतम आयुध सामान का उत्पादन अब अपने कारखानों में ही होता है । तदपि सेवाओं के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के आयुध सामान के एक साथ उत्पादन के लिए इन कारखानों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कई नए कारखानों के लिए स्वीकृति दे दी गई

है। इनमें से आयुध कारखाना वरंगांव अक्तूबर 1964 में चालू किया गया था, और आयुध कारखाना भण्डारा दिसम्बर 1964 में।

(ख) केवल बहुत सीमित मात्रा में ही।

पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना

1133. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने 7 जनवरी, 1965 को छम्ब सैक्टर में युद्ध विराम सीमा का उल्लंघन करके कुछ भारतीय चौकियों पर बिना किसी कारण के गोली चलाना शुरू कर दिया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक वारदात में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों पर भी गोली चलाई ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां।

(ख) युद्ध विराम रेखा के उस पार से पाकिस्तानी सनिकों द्वारा एक संयुक्त राष्ट्रों के पर्यवेक्षक पर भी गोली चलाई गई थी।

(ग) पाकिस्तानी सैनिकों की गोलाबारी से हमारी सुरक्षा सेनाओं ने सफलता से निपट लिया था। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रों के सैनिक पर्यवेक्षक को युद्ध-बन्दी उल्लंघन सम्बन्धी शिकायतें भी भेजी गई थीं, और इन घटनाओं के बारे में पाकिस्तान सरकार को विरोधपत्र भी।

माइकेल स्काट की प्रधान मंत्री से भेंट

1134. **श्री स० मो० बनर्जी ;**
श्री यशपाल सिंह ;
श्री उइके :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राधेलाल व्यास :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० चन्द्रभान सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1964 में रेव० माइकेल स्काट उन से मिले थे, और

(ख) यदि हां, तो नागालैण्ड के बारे में क्या चर्चा हुई थी ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) चर्चा सामान्य प्रकार की थी।

भूमिहीन श्रमिक

1135. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टीटिया :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हैदराबाद में हुए इन्टक के 15वें अधिवेशन में अपनाए गये संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें सरकार से भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का जीवन-स्तर सुधारने के लिए कहा गया है ;

(ख) क्या अधिवेशन में न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 की कार्यान्विति के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने तथा ऐसे श्रमिकों को अपनी आय में वृद्धि करने के अवसर देने की मांग की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने कृषि में न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 को कार्यान्वित करने के लिए पहले ही प्रवर्तन मशीनरी स्थापित कर दी है। जहां कहीं आवश्यक और सम्भव हो वहां केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तन मशीनरी को मजबूत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है और भविष्य में करने का विचार है।

कृषि-कामगरों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के प्रश्न पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय द्वारा 1960–61 के अन्त में शुरू किये गये ग्राम निर्माण कार्यक्रम में कृषि-कामगरों को मंदी के समय में अतिरिक्त रोजगार के अवसर देने की व्यवस्था है––विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां बेरोजगारी, अपूर्ण रोजगार तथा सामान्य आर्थिक पिछड़ापन अधिक है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ से व्यय और रोजगार का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	व्यय (रुपये लाखों में)	रोजगार (श्रम दिन लाखों में)
1960–61	4.18	
1961–62	32.17	76.12
1962–63	110.88	
1963–64	413.50	173.00
1964–65 (प्रत्याशित)	748.77	350.00

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिकों को मंदी के समय की प्रचलित दर पर नकद राशि दी जाती है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों तथा रोजगार और प्रशिक्षण के महानिदेशक द्वारा किए गए रोजगार अध्ययनों से पता चलता है कि इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत अधिकांशतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि के भूमिहीन श्रमिकों ने लाभ उठाया है।

लद्दाख में सड़कों से मिली चौकियां

1136. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनियों ने भारत के लद्दाख क्षेत्र की सीमा से मिले क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया है और लद्दाख के अधिकृत क्षेत्र में उन्होंने जो सात सैनिक चौकियां बनाई थीं उन्हें सहायक सड़कों से मिला दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सात चीनी चौकियां भारत की, चीन द्वारा इन चौकियों से खाली किये जाने के आधार पर, उनसे बातचीत करने की घोषणा से पहले सहायक सड़कों से मिलाई गई थीं अथवा बाद में ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चीन सरकार ने लद्दाख के 20 किलोमीटर के विसैन्यीकृत क्षेत्र में छः "नागरिक जांच चौकियां" स्थापित कर ली हैं। (सातवीं चौकी सिंकियांग में कराकोरम दर्रे के उत्तर में है)। इन चौकियों को जोड़ने वाली सड़कें विसैन्यीकृत क्षेत्र से चीनी चौकियां हटाने का सुझाव देने से पहले बनाई गई थीं। फरवरी 1962 और सितंबर 1962 के बीच चीन सरकार के साथ जिन विभिन्न नोटों का आदान-प्रदान हुआ, उनमें भारत सरकार ने लद्दाख के अधिकृत क्षेत्र में चीनी सेनाओं की ग़ैर-कानूनी कार्रवाइयों तथा सड़कें साफ करने और बनाने के खिलाफ़ विरोध प्रकट किया था।

सुरक्षा परिषद् में मलयेशिया का लिया जाना

1137. **श्री प्रभात कार** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वैदशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलयेशिया को सुरक्षा परिषद् में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने के प्रश्न का फैसला करने के लिये संयुक्त राष्ट्र में विचार जानने की कोशिश की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारत की राय मांगी गई थी ; और

(ग) इस प्रश्न पर भारत ने क्या रवैया अपनाया था ?

वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने चालू सत्र में केवल वही कार्य करने का निर्णय किया था जो औपचारिक मतदान के बिना पूरा किया जा सके। इस निर्णय के अनुसार, सुरक्षा परिषद् में रिक्त स्थानों को भरने के लिए सलाह-मशविरा किया गया। इसके परिणामस्वरूप, अध्यक्ष ने घोषणा की और महासभा ने कोई आपत्ति किए बगैर इस पर सहमति दी कि जनवरी 1965 से एक वर्ष की अवधि के लिए मलयेशिया सुरक्षा परिषद् का सदस्य होगया।

(ख) भारत ने भी उक्त कार्रवाई में भाग लिया जिसके द्वारा मलयेशिया सुरक्षा परिषद् का सदस्य हो गया।

(ग) भारत ने मलयेशिया के उम्मीदवार होने का समर्थन किया।

तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास

1138. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अब्दुल गनी गौनी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामपुरे :

क्या **वैदशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे तिब्बती शरणार्थियों की संख्या क्या है जो अभी तक बसाए नहीं गये हैं ; और

(ख) उनको फिर से बसाने का वर्तमान कार्यक्रम क्या है ?

वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) लगभग 30,000। इनमें से लगभग 15,000 व्यक्ति अस्थायी तौर पर सड़क बनाने के काम पर लगे हुए हैं। 2,000 भिक्षु हैं और 1,500 बूढ़े तथा अपाहिज हैं। इनके अलावा, विभिन्न संप्रदायों से संबंध छोटी-छोटी टोलियों के दल हैं जो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और कभी-कभी सरकार की सहायता लेते हैं।

(ख) इन शरणार्थियों के लिए दो और कृषि बस्तियां स्थापित करने का ईरादा है; ये बस्तियां उन पांच के अतिरिक्त होंगी जो पहले से वर्तमान हैं।

तिब्बती लोगों को बसाने की दिशा में भारत सरकार भी कुछ छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ भी लिखा-पढ़ी की गई है।

परमाणु खतरा

1139. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु खतरे का अन्त करने के लिये विश्व कार्यवाही करने की प्रधान

मंत्री की अपील के कोई परिणाम निकले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष के अवसर पर प्रधान मंत्री ने 31 दिसम्बर 1964 के रेडियो संदेश में भुखमरी, अज्ञानता और रोग जैसी पुरानी बुराइयों और आणविक महानाश के नए खतरे से संसार को बचाने के लिए सभी के सम्मिलित प्रयत्न करने का आह्वान किया था। प्रधान मंत्री की अपील सामान्य रूप से की गई थी और उसे आणविक हथियार-परिहार के प्रश्न पर कोई विशेष पहल करने का आधार बनाने का इरादा नहीं था। सरकार सभी समुचित मंचों से सामान्य और संपूर्ण हथियार-परिहार के प्रश्न पर सहमति प्राप्त करने की कोशिशें कर रही हैं।

सुरक्षा परिषद् का विस्तार

1140. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने सुरक्षा परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़ा कर 15 करने वाले संयुक्त राष्ट्र चार्टर के संशोधन को अपनी स्वीकृति दे दी है ;

(ख) क्या संशोधन में आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़ा कर 18 से 20 करने की व्यवस्था भी है ; और

(ग) क्या सदस्यों ने आवश्यक दो तिहाई बहुमत से इस संशोधन को अपनी स्वीकृति दे दी है ताकि इस पर अमल किया जा सके ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) जी नहीं।

चीनी घुसपैठ

1141. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 नवम्बर, 1964 के बाद चीनियों द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र में नई घुसपैठ के कोई समाचार मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा कहां ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कायवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) और (ख). 1 नवम्बर, 1964 से चीनियों ने सिक्किम में तीन बार बलात् प्रवेश किया है। 25 और 26 दिसम्बर, 1964 को नाथूला के पास, और 19 जनवरी, 1965 को कोंगराला के पास।

(ग) तमाम आवश्यक एहतियाती कदम उठा लिए गये हैं। इसके अलावा, इन बलात प्रवेशों के बारे में चीन सरकार के पास कड़े विरोध-पत्र भेजे गये हैं।

त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान सीमा

1142. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान सीमांत क्षेत्र की विशेषकर फैनी नदी के ऊपरी क्षेत्र की जिसके बारे में पाकिस्तान ने विवाद खड़ा किया था, सीमा निर्धारित करने के लिये क्या नये कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के फेनी नदी क्षेत्र में रेखांकन का कार्य करने के लिए पूर्व पाकिस्तान के भूमि अभिलेख निदेशक (डाइरेक्टर आफ लैंड रेकार्डस) को राजी करने की कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हुई हैं।

(ख) वर्तमान हालत यह है कि त्रिपुरा-पूर्व पाकिस्तान सीमा की 550 मील की कुल लम्बाई में से त्रिपुरा–नोआखाली/कोमिल्ला सब-सैक्टर में 184 मील की लम्बाई तक खंभे लगाकर रेखांकिन का कार्य किया गया है।

अन्दमान में नाविक अड्डा

1143. **महाराजकुमार विजय आनन्द** :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान में नाविक अड्डा बनाने की योजना का विवरण क्या है ; और

(ख) इस कार्य को कार्यान्वित करने के कार्यक्रम को निर्धारित समय में किस प्रकार लिया जायेगा और किस प्रकार पूरा किया जायेगा।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक नौसैनिक अड्डे का विकास किया जा रहा है। योजना के विस्तार सरकार के विचाराधीन हैं।

सिंथेटिक ड्रग्स प्रोजेक्ट्स, हैदराबाद

1144. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंथेटिक ड्रग्स प्रोजेक्ट, हैदराबाद के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि तथा काम की अन्य शर्तों के बारे में राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल का पंचाट प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पंचाट को किस सीमा तक कार्यान्वित किया जा रहा है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

S. C. Employees in Indian Missions

1145. Shri Naval Prabhakar: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) The number of Scheduled Castes employees working in Indian Missions/Embassies abroad ; and

(b) The particulars of the posts held by them in each of the Missions ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) and (b). According to replies received from 88 Indian Missions/Posts abroad, there are 49 Scheduled Castes employees working in Indian Missions/Embassies aborad. The particulars of posts held by them are given in the attached statement. [*Placed in Library. See No. LT* 3994/65]

2. Replies from 16 Missions are still awaited. The information, if any, will be laid on the Table as soon as possible.

भारतीय अर्थ-व्यवस्था का विकास

1146. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री वै० तेवर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने चालू वर्ष में भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति का कोई फौरी अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो 1964–65 में राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी का अनुमान क्या है ; और

(ग) कृषि तथा उद्योग की क्या दर होने की आशा है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने चालू वर्ष 1964–65 के लिए भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति का भी फौरी अनुमान अभी तक तैयार नहीं किया है, क्योंकि इस काम के लिए अपेक्षित अधिकांश सामग्री अभी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार का अनुमान सम्बद्ध वर्ष की समाप्ति के बाद प्रायः सितम्बर में तैयार किया जाता है ।

(ग) इस अवस्था में 1965–66 में कृषि की संभावित बढ़ोतरी की दर का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कुल फसल उत्पादन के सही अनुमान भी जून, 1965 में समाप्त होने वाले कृषि-वर्ष से पहले नहीं उपलब्ध हो सकेंगे। फिर भी मौसम तथा

वर्षा के आंकड़ों एवं बोये गये क्षेत्रफल और फसल की हालत पर तैयार की गई प्रारंभिक रिपोर्टों के आधार पर अस्थायी अनुमान यह है कि 1964–65 में कुल कृषि उत्पादन के सूचकांक में 5 से 7 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर बिजली सहित संगठित विनिर्माणकारी उद्योग क्षेत्र में 1964–65 के प्रथम आठ महीने की अर्थात् अप्रैल 1964 से लेकर नवम्बर 1964 तक की अवधि में उत्पादन की बढ़ोतरी पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है।

Special Stamps

1147. { **Shri Bade**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Post and Telegraph Department introduced special pictorial stamps with effect from the 1st January, 1965 for defacing postage stamps on the mail posted by foreign tourists at some of the tourist Centres in the country ; and

(b) if so, the broad outlines of this scheme an the location of the Post Offices where it has been introduced at present ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) and (b). Yes Sir. The special pictorial date stamps containing outlines of the respective monuments have been brought into use in the post offices at Sanchi, Khajuraho and Mahabalipuram from 1-1-65 and at Ajanta and Ellora from 2-1-65. These special stamps will be used to deface postage stamps on mail posted by these offices and also on small-out-going parcels. The facility is available to everybody and not merely to foreign tourists.

छावनी निधि कर्मचारी

1148. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी कोष कर्मचारियों के बारे में न्यूनतम मजूरी दरें 1952 में निर्धारित हुई थीं और उसके बाद उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पांच वर्ष से अनधिक समय के पश्चात न्यूनतम मजूरी दरों का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है ;

(ग) क्या सरकार का विचार न्यूनतम मजूरी दरों का निरीक्षण करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) कैंटोनमेंट फंड कर्मचारियों में से अधिकतम के लिए, कम से कम मजदूरी की दरें, 1952 में निर्धारित की गई थीं और शेष कर्मचारियों के लिए 1954 में। वेतन दरें और भत्ते राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए निर्णय के अन्तर्गत 1–4–59 से संशोधित किए गए थे।

(ख) 1948 के कम से कम मजदूरी अधिनियम के अनुभाग 3(1)(ख) के अन्तर्गत, सम्बद्ध सरकार उपयुक्त समझे गए, अवधि कालों के पश्चात, जो पांच वर्ष से अधिक न होंगे इस प्रकार निर्धारित की गई, कम से कम, मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करेगी, और यदि आवश्यक हुआ तो, उन कम से कम दरों में, संशोधन करेगी। तदपि, उक्त अधिनियम के अनुभाग 3 के अन्तर्गत, उप-अनुभाग 2(क) के अधीन, जब तक कार्यवाही न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के विचाराधीन हो, अथवा निर्णय न दिया गया हो, जहां तक कि अनुसूचित नियुक्तियों में सेवा कर रहे सभी कर्मचारियों को दिये जाने वाली, मजदूरी की दरों का संबंध है, कम से कम मजदूरी की दरों को निर्धारित करने या, उनमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं।

(ग) और (घ): मामला विचाराधीन है।

पंजाब में छावनी बोर्ड कर्मचारी

1149. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला, फिरोजपुर तथा जालंधर के छावनी-बोर्ड कर्मचारियों ने अपने कर्मचारी संघों के माध्यम से एक वर्ष से भी अधिक पहले कुछ मांगें पेश की थीं और समझौता वार्ता असफल हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी तक उनकी मांगें मध्यस्थ निर्णय के लिए जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अपेक्षित है, नहीं सौंपी गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय ट्रिब्युनल नियुक्त करने अथवा उनकी मांगों को मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंपने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लाइज एसोसियेशन्स, अम्बाला फिरोजपुर और जालंधर तथा कैंटोनमेंट बोर्ड सफाई कर्मचारी यूनियन, फिरोजपुर ने कुल 50 मांगें उठाईं। इनमें से 16 मांगें समझौता कार्यवाही के दौरान निपटाई गईं और 24 जांच करने पर न्यायाधिकरण को भेजने के लिए उपयुक्त नहीं पाई गईं। दस मांगें अभी तक रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन हैं और उन पर शीघ्र निर्णय के लिए कार्यवाही की जा रही है। जो मांगें न्यायाधिकरण को भेजने के लिए उपयुक्त नहीं समझी गईं उनके सम्बन्ध में संबंधित यूनियनों को उत्तर भेज दिए गए हैं।

(ग) और (घ). रक्षा मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त होने पर इस मामले पर विचार किया जायगा।

छावनी निधि का दुरुपयोग

1150. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला, फिरोजपुर तथा फैजाबाद के छावनी-बोर्ड

कर्मचारियों के संघों ने प्रतिरक्षा मंत्रालय को एक्जिक्युटिव आफिसरों द्वारा छावनी निधियों के दुरूपयोग के आरोपों के बारे में ज्ञापन दिये थे और इस बारे में जांच किये जाने की मांग की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये मांगें दो तीन वर्ष पहले पेश की गईथीं परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ग) क्या सरकार उन आरोपों की जांच करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (घ). स्थिति इस प्रकार है :—

अम्बाला—

सितम्बर 1961 में अम्बाला छावनी की छावनी फण्ड कर्मचारी संस्था ने, छावनी बोर्ड हाई स्कूल तथा प्राथमिक स्कूलों के मुख्य अध्यापक, उपमुख्याध्यापक और अन्य कई अध्यापकों को, संस्था के अनुसार उनके लिए अधिकृत, वेतन दरों से उच्चतर वेतन दरें देते हुए, छावनी निधि के अतिक्षय की शिकायत की थी । ऐसे आरोप भी लगाए गए थे, कि कई अध्यापकों को कई ड्यूटि-पर्यवेक्षी भत्ते दिए गए थे, जो उन्हें देय न थे । इन आरोपों की जांच की गई थी, और रिपोर्ट मिली है कि कोई बेकायदगी नहीं की गई ।

फैजाबाद—

1962 वर्ष में फैजाबाद ज़िला सफ़ाई मज़दूर संघ के सचिव ने कैंटोनमेंट एक्सीक्यूटिव अफ़सर पर कुछ आरोप लगाए थे । इन आरोपों की जांच पड़ताल की गई है, और रिपोर्ट मिली है, कि सिवाए एक मामले के, जो भ्रमजनित था, आरोप सिद्ध नहीं हो सके ।

फिरोजपुर—

ऐसा कोई ज्ञापन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

Jeep Accident in NEFA

1151. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an elephant pushed down into a khud a vehicle belonging to personnel engaged in road construction in NEFA area sometimes in January, 1963 ;

(b) If so, the number of persons killed and injured as a result thereof ;

(c) Whether Government have since paid compensation to the families of the deceasesd ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) 23 persons including driver in the vehicle were involved. Nine were killed and fourteen received minor injuries.

(c) Compensation under the Workmen's Compensation Act has been sanctioned to the next of kin of the nine deceased individuals and deposited with the Workmen's Compensation Commissioner.

(d) Does not arise.

पंजाब में बेरोजगार व्यक्ति

1152. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को पंजाब में काम दिलाऊ दफ्तर के चालू रजिस्टर में कितने, मैट्रिकुलेट्स स्नातक, तथा स्नातकोत्तरों के नाम थे; और

(ख) 1964 में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख).

प्रवर्ग	31-12-64 को चालू रजिस्टर पर उम्मीदवारों की संख्या	1964 में रोजगार पाने वालों की संख्या
1	2	3
मैट्रिकुलेट्स तथा हायर सैकेण्डरी पास (इंटरमीडिएट्स सहित)	28,722	26,912
ग्रेजुएट्स (पोस्ट-ग्रेजुएट्स सहित) . . .	2,215	3,357

डाक के थैले

1153. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में डाक के थैलों के गुम होने की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक थैला जिसमें **25,000** रु० थे, **4** जनवरी, 1965 को बिहार में गुआ उपडाकघर से चौबासा ले जाते हुए गुम हो गया ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) विभागीय और पुलिस जांच की जा रही है और उसके परिणामों की प्रतीक्षा है ।

सेना में तकनीकी व्यक्ति

1154. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना में तकनीकी व्यक्तियों की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस विषय में प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) आपात स्थिति के पश्चात् भारी प्रसार तथा देश में उपयुक्त, अर्ह तकनीकी सेविवर्ग की व्यापक कमी के कारण, सेना में तकनीकी अफसरों की कमी है ।

अफसरों को छोड़ कर, तकनीकी सेविवर्ग के संबंध में, इन वर्गों के ताज़ा रंगरूटों की आवश्यकता पूरी करने में भीषण कठिनाई हुई है । तदपि, उन्हें प्रशिक्षण देने में कुछ समय लगता है, और इसलिए, सीधे ही कमियों को पूरा कर पाना संभव नहीं है ।

(ग) अफसर काडर में रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने क निम्न पग उठाए गए हैं :—

इंजीनियर

(1) विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना के अन्तर्गत कमीशन से पूर्व अवधि में प्रशिक्षण देकर चुने हुए तथा अध्ययन के दौरान में भी उसके अन्तिम वर्ष के इंजीनियरी छात्रों को कमीशन देना ।

(2) कमीशन से पूर्व के प्रशिक्षण की सफल सम्पूर्ति पर दो वर्ष का पूर्वदिनांक ।

(3) अतिरिक्त पूर्वदिनांक, जो दो वर्ष से अधिक न हो, उन उम्मीदवारों के लिए, जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों, अथवा राजकीय क्षेत्र के उपकरणों में सेवा में हों ।

(4) आपात, स्थिति के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन इंजीनियरी सेवाओं में से रिक्त होने वाले स्थानों में 50 प्रतिशत स्थानों का सुरक्षण, उन व्यक्तियों के लिए जो अस्थायी तौर पर सेना में आएं और बाद में सेवा से विमुक्त किए जाएं ।

(5) सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत चार वर्षों की अनिवार्य सेवाओं की देयता योजना के अन्तर्गत सेना में प्रतिनियुक्ति पर, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन इंजीनियरी सेवाओं में भर्ती किए गए अफसरों के कुछ अनुपात को कमीशन देना ।

सैनिक चिकित्सा कोर के अफसर

(1) खुली भर्ती के अतिरिक्त, राज्य सरकारों के डाक्टरों की सैनिक चिकित्सा कोर में प्रतिनियुक्ति जारी है ।

(2) भर्ती का काम तेज़ करने के लिए, विभिन्न राज्यों में विकेन्द्रित चयन बोर्ड अपना कार्य कर रहे हैं ।

(3) एम० बी० बी० एस० छात्रों को (परिवीक्षा पर) एस० एस० आर० सी० दी जाती है । एम० बी० बी० एस० की अन्तिम परीक्षा पास कर लेने के पश्चात् अस्थायी चिकित्सक

पंजीबंधन प्रमाणपत्र दिखाने पर उन्हें अल्पकालीन नियमित कमीशन प्राप्त अफ सरों के तौर पर ग्रहण कर लिया जाता है ।

(4) उन व्यक्तियों के लिए, जो अस्थायी तौर पर सैनिक चिकित्सक कोर में सेवा करने पर, बाद में सेवा से विमुक्त किए जाएं, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन चिकित्सा सेवाओं में, आपात स्थिति के दौरान, रिक्त होने वाले स्थानों में से 50 प्रतिशत का सुरक्षण ।

सैनिक उपचर्या सेवा अफसर

(1) पूना विश्वविद्यालय के बी० एस० सी डिग्री की शिक्षा देने के लिए आपात स्थिति अवधिकाल में दो और, परिवीक्षाधीन उपचारिका प्रशिक्षण स्कूल खोले गए हैं ।

(2) प्रशिक्षित असैनिक उपचारिकाओं की भर्ती जारी है ।

(3) एक और, योजना पुरःस्थापित की गई है, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय/राज्यों की चिकित्सा सेवाओं की, स्थायी तथा अस्थायी उपचारिकाओं की सैनिक उपचर्या सेवा में, तीन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति किया जाता है ।

(4) भर्ती को प्रोत्साहन देने के लिए, पात्रता की एक शर्त, अर्थात् धात्री विद्या में योग्यता, की छूट दे दी गई है ।

(5) चित्रित पुस्तिकाओं, इश्तहारों, प्रदर्शनों तथा वर्गीकृत विज्ञापनों और सिनेमा स्लाइडों द्वारा, सैनिक उपचर्या सेवा में भर्ती के लिए, पर्याप्त प्रचार किया गया है ।

संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों पर पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना

1155. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 जनवरी, 1965 को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू में चम्बा क्षेत्र के मायेल गांव से एक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक पर गोली चलाई ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस घटना के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) पाकिस्तानी सैनिकों ने 14 (न कि 18) जनवरी, 1965 को छम्ब क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षक पर गोली चलाई थी ।

(ख) यह घटना उस समय हुई जब पाकिस्तानी सैनिकों ने युद्धविराम रेखा के उस पार से, छम्ब क्षेत्र में हमारी चौकियों में से एक पर, और पास ही काम कर रहे कुछ असैनिकों पर गोलियां चलाई थीं । संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षक पर भी, जो उस समय उस चौकी में था, लगभग 80 मिनट के लिए गोलियां चलाई गई थीं । यह गोलाबारी केवल तभी बन्द हुई, जब प्रेक्षक, पाकिस्तान में अपने समतुल्य से सम्पर्क बनाने में सफल हो सका ।

(ग) अपने ऊपर गोली चलाए जाने पर, संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षक ने, युद्धविराम उल्लंघन की शिकायत स्वयं, मुख्य सैनिक प्रेक्षक को की थी । इसलिए, यह आवश्यक नहीं समझा गया था, कि संयुक्त राष्ट्रों के सैनिक प्रेक्षक को, मामले की रिपोर्ट की जाए। अनुमान किया जाता है कि मुख्य सैनिक प्रेक्षक ने, जिसे मामले से अवगत किया गया था, पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मामला चलाया है ।

उत्तरी कोरिया का वाणिज्य दूतावास

1156. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी कोरिया के साथ व्यापार करार को जिसकी अवधि हाल में समाप्त हुई है, फिर से नया करने के लिये नई दिल्ली स्थित उत्तरी कोरिया के वाणिज्य दूतावास के कई अभ्यावेदनों को अस्वीकार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पेंशन

1157. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना के उन अधिकारियों को जो रैंकों से पदोन्नति पाकर कमीशन प्राप्त करते हैं उतनी अधिक दर से पेंशन नहीं मिलती है जिस दर से लेफ्टिनेन्ट कर्नल को मिलती है ; और

(ख) यदि हां, तो अधिक दर से पेंशन देने के लिये उनकी रैंक की सेवा का हिसाब न लगाने के क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं । एक ले० कर्नल चाहे वह अवर श्रेणी सैनिक पदों से उन्नति करता उस पद तक पहुंचा हो, या उसे सीधे कमीशन प्राप्त हुई हो (निर्धारित शर्तों के अधीन) अपनी अर्हक सेवावधि के लिए लागू, दर पर पेन्शन का अधिकारी है । अवर श्रेणी पदों से उन्नत अफसर की हालत में, कनिष्ठ आयुक्तक अफसर के तौर पर सम्पूर्ण अर्हक सेवा और अवर श्रेणी सैनिक पदों की आधी अर्हक सेवा पेन्शन के लिए गिनी जाती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टैंक निर्माण एकक

1158. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 14 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 521 के

उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल द्वारा, जो भारत में टैंक निर्माण एकक स्थापित करने के प्रश्न पर बातचीत करने के लिए भारत आया था, पेश किये गये प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) भारत में उत्पादन किए जाने वाले हल्के टैंक का चयन अभी विचाराधीन है ।

निशान जीप

1159. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निशान जीपों तथा एक-टन के निशान ट्रकों को अधिक संख्या में बनाने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) 500 शक्तिमान ट्रकों और 600 निशान गाड़ियों के प्रतिमास उत्पादन के लिए, एक स्वयं निर्भर, यूनिट जबलपुर में स्थापित करने का विचार है ।

तोपखाना केन्द्र तथा प्रशिक्षण स्कूल

1160. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 14 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 523 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तोपखाना केन्द्र तथा क्लर्क प्रशिक्षण स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) और ख). आर्टिलरी सेण्टर खोलने का प्रस्ताव त्याग दिया गया है । क्लर्कों के सम्बन्ध में प्रस्ताव का संशोधन किया गया है और संशोधित प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम

1161. श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री अ० प्र० शर्मा :
श्री मधु लिमये :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 पूर्ण रूप से लागू होता है या केवल उसकी कुछ धारायें ही लागू होती हैं ; और

(ख) इस अधिनियम में ऐसे कौन से उपबन्ध हैं जो रेलवे पर लागू नहीं होते ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). अध्याय IIए को छोड़कर जोकि बदली के नोटिस के बारे में है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के सभी उपबन्ध रेलवे पर लागू होते हैं ।

M.Ps. Programmes on A.I.R

1162 **Shri P. L. Barupal :**
Shri Surya Prasad :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of Members of Parliament who had been given broadcasting programmes at various stations of the All India Radio from 1st January, 1962 to 1st January, 1965 ;

(b) the topics of the programmes and the criteria on which they were given ; and

(c) The amount paid per programme to each Member during the above period ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Members of Parliament are invited to broadcast talks, discussions, interviews on the various aspects of the National emergency, the eradication of corruption, national integration and other cultural and literary subjects. They are booked depending on their known interest in the topic selected for the talk.

उड़ीसा में डाक तार कर्मचारी

1163. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ऐसे कितने डाक तार कर्मचारी हैं जिन्हें 31 दिसम्बर, 1964 तक सरकारी मकान दिये गये हैं ; और

(ख) क्या 1965–66 में उड़ीसा राज्य में डाक तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही और उसे यथासंभव शीघ्र ही लोक-सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

आकाशवाणी के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी

1164. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के नई दिल्ली केन्द्र में 31 जनवरी, 1965 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के स्टाफ आर्टिस्टों तथा कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

	अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों की संख्या	अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या
स्टाफ आर्टिस्ट . . .	4	1
अन्य कर्मचारी	39	1

उड़ीसा में डाक घर

1165. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 31 दिसम्बर, 1964 को शाखा डाकघरों, उप-डाकघरों और सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) 1965–66 में इस प्रकार के कितने कार्यालय खोलने का विचार है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :

(क) (i) शाखा डाकघर . . .	4,084
(ii) उप-डाकघर	381
(iii) सार्वजनिक टेलीफोन घर	219
(ख) (i) शाखा डाकघर	215
(ii) उप-डाकघर	7
(iii) सार्वजनिक टेलीफोन घर . . .	11

उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन

1166. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को उड़ीसा में विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये कितने आवेदन पत्र बाकी थे ; और

(ख) इनका शीघ्र निबटारा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 1784 ।

(ख) शेष आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये नये टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने और उपलब्ध साधनों के अनुसार मौजूदा टेलीफोन केन्द्रों का यथासंभव अधिक से अधिक विस्तार करने की दिशा में लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

उड़ीसा में टेलीफोन केन्द्र

1167. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को उड़ीसा में कुल कितने टेलीफोन केन्द्र थे ;

(ख) क्या 1965–66 में इनमें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री विजय चन्द्र भगवती) : (क) सैंतालीस ।

(ख) जी हां ।

(ग) 1965–66 के दौरान स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन केन्द्र इस प्रकार हैं :

1 देवगढ़

2. रेंगाली

3. तिरुनित्तपुर

4. चन्द्रपारा

5. सोरो

6 चांदबली

7. जोदा

उड़ीसा में डाक घर

1168. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **संचार** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965–66 में उड़ीसा में कुछ उप-डाकघरों को मुख्य डाक घर तथा शाखा डाक घरों को उप-डाक घर बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री विजय चन्द्र भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 3995/65]

कीनिया-एशियावासियों का व्यापार से अलग होना

1169. **श्री रामसेवक :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीनिया भारत कांग्रेस के प्रेसीडेंट, श्री एस० जी० अमीन ने अपील की है कि कीनिया में रहने वाले एशियावासी आयोजित कार्यक्रम के अनुसार व्यापार तथा वाणिज्य से अलग हो जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) श्री एस० जी० अमीन ने नवम्बर, 1964 में एक बयान दिया था जिसमें यह सुझाव था "ग़ैर अफ्रीकनों को समुचित मुआविज़ा देकर वाणिज्य और उद्योग से क्रमिक रूप में हटाना और उनके स्थान पर अफ्रीकनों को लगाना । साथ ही प्रतिभा और योग्यता के आधार पर इस प्रकार प्रभावित लोगों को अन्य लाभकारी रोज़गार दिलाने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। इस तरह का पुर्नसमंजन कार्य 5 से 10 वर्ष की अवधि में किया जा सकता है और "कीनिया सरकार अफ्रीकनों को शुरू में धन देकर इस कार्य में वित्तीय सहायता दे सकती है।"

बिहार में मजदूर संघों को मान्यता

1170. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दाजी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जे० आर० डी० टाटा ने भारत सरकार से शिकायत की है कि बिहार सरकार राज्य में मज़दूर संघों को मान्यता सम्बन्धी मामलों में राजनीतिक उद्देश्य से हस्तक्षेप करती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

Night Post Offices

1171. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Night Post Offices have been opened in India ;

(b) If so, the number thereof ; and

(c) The number and location of Night Post Offices opened during the last two years ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) Yes Sir.

(b) Forty (40)

(c) *In* 1963

One .. .. Bhopal

In 1964

Thirteen—Vijayawada H.O.,
Kalakar Street S.O. (Calcutta), Howrah H.O.,
Poona Railway Station D.O., Nagpur City S.O.,
Karolbagh S.O. (Delhi), Lordganj S.O. (Jabalpur),
Navrangpura S.O. (Ahmedabad), Baroda H.O.,
Chickpet S.O. (Bangalore), Jullundur H.O.,
Ludhiana H.O. and Srinagar H.O. (Seasonal from 1st April to 30th October).

काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज उम्मीदवार

172. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री वारियर :
श्री महेश्वर नायक :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में देश भर में विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कुल कितने बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे; और

(ख) 1964 में इन काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला ?

श्रम और रोजगार मंत्री (डी संजीवैया) : (क) 38,31,904 ।

(ख) 5,44,818 ।

उत्तर प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन केंद्र

1173. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों और कस्बों में स्वचालित टेलीफोन केन्द्रों की व्यवस्था है;

(ख) क्या 1965–66 में उस राज्य में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां तो वे किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी, 1965 को चालू स्वचल टेलीफोन केन्द्रों की संख्या 60 थी, जिन की सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखियें संख्या एल० टी०—3996/65 ।]**

(ख) जी हां ।

(ग) 1965–66 के दौरान 88 स्थानों पर स्वचल टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। जिन का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—3996/65 ।]**

उत्तर प्रदश में काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज उम्मीदवार

1174. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को उत्तर प्रदेश में काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में दर्ज मट्रिकुलेट स्नातक तथा स्नातकोत्तर उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;

(ख) 1964 में कितने तकनीकी लोगों को रोजगार दिया गया; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1964 को चालू रजिस्टरों में दर्ज कितने तकनीकी व्यक्ति शेष रह गये थे ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क)

वर्ग	चालू रजिस्टर पर दिसम्बर, 1964 के अन्त में उम्मीदवारों की संख्या।
1	2
मैट्रीकुलेटस तथा हायर सेकेन्डरी पास (इन्टरमीडिएट्स सहित)	1,10,064
ग्रेजुएटस (पोस्ट-ग्रेडुएटस सहित)	9,551

(ख) 24,397 ।

(ग) 31,954 ।

Mailing of Notices of Questions

1175. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that notices of parliamentary questions on printed forms can be despatched by Members through book-post ;

(b) If so, whether it is also a fact that Post Offices at certain place object to accept them at book-packet rates due to which the Members of Parliament are put to inconvenience ; and

(c) If so, the steps proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) No Sir.

(b) and (c) Do not arise.

जवानों का अनिवार्य जीवन बीमा

1176. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी योजना लागू अथवा विचाराधीन है जिस से सेना, विमान बल तथा नौसेना के ऐसे जवानों का जो रणक्षेत्र सेवा पर होते हैं, स्वतः ही अनिवार्य रूप से जीवन बीमा हो जाये; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जम्मू तथा काश्मीर में सैनिक स्कूल

1177. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू में एक "सैनिक स्कूल" खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) और (ख) जी नहीं । शिक्षा निदेशक, श्रीनगर ने भारत में चल रहे सैनिक स्कूलों की तफसील मांगी थी और कुछ सैनिक स्कूलों की विवरणिकाएं भी हाल ही में जम्मू काश्मीर सरकार के शिक्षा विभाग ने, सैनिक स्कूलों में अनुकरण किये जाने वाले, पाठ्य विवरण की एक प्रति भी मांगी थी । सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव संबंधी विचरणीय, सभी आवश्यक सामग्री, राज्य सरकार को भेज दी गई है ।

नैशनल ज्योग्राफिक मैगजीन' में मानचित्र

1178. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि संयुक्त राज्य अमरीका के "नेशनल ज्योग्राफिक मैगज़ीन" के मई, 1963 के अंक में भारत का मान चित्र प्रकाशित हुआ था जिस में जम्मू तथा काश्मीर राज्य को भारत तथा पाकिस्तान के बीच "विवादास्पद राज्य" दिखाया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह मामला प्रकाशक के साथ उठाया गया था उन्हों ने खेद प्रकट किया और कहा कि भारत का अपमान करने का उन का इरादा नहीं था । प्रकाशक की प्रार्थना पर, भारत की सीमाओं को सही तौर से दिखाने वाला नक्शा उन के पास भेज दिया गया है । इस मामले पर अभी लिखा-पढ़ी हो रही है ।

भारी जल संयंत्र

1179. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कोर्बा, मध्य प्रदेश में भारी जल का एक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र कब तक स्थापित हो जायेगा ; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Refrigeration through Atomic Radiation

1180. Shri Baswant : Will the **Prime Minister** be pleased to state whether any experiment has been conducted by the Atomic Energy Establishment at Trombay regarding the preservation of fish, meat and vegetables for a longer period through the process of atomic radiation ?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : Yes, experiments have been conducted at the Atomic Energy Establishment, Trombay, on the extension of storage life of different varieties of marine as well as fresh water fish through irradiation. The Establishment has also been working on radiation preservation and disinfestation of fruits, and vegetables such as orange juice, mangoes, sapotam potatoes, peas and onions.

Details of some of these experiments were reported in the October 1964 issue of "Nuclear India" copies of which were sent to Members of Parliament and are also available in the Library of the House.

डाक घर जीवन बीमा निधि

1181. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक घर बीमा निधि के लिये कितनी ब्याज दर मंजूर की गई है ;

(ख) क्या ब्याज दर बदलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के किस तिथि से लागू किये जाने की सम्भावना है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) वार्षिक $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ।

(ख) जी हां ।

(ग) हमारा प्रस्ताव भी स्वीकृत नहीं हुआ है । इसे शीघ्र ही स्वीकृत करने के लिये जोर दिया जा रहा है और इसे लागू करने की तारीख तभी निश्चित की जाएगी जब कि इसे स्वीकृति मिल जाएगी ।

आई० एन० एस० बारक्कल

1182. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टकाट्ट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 7 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोजीकोड में आई०एन० एस० वारक्कल को स्थायी रूप से स्थित करने के मामले में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) पेटी अफसरों के नेतृत्व सम्बन्धी स्कूल के लिए स्थायी स्थान विचाराधीन है, और इसे कोजीकोट के कोयम्बटूर अन्तरित करने के प्रस्ताव का निरीक्षण किया जा रहा है।

रेलवे डाक सेवा कर्मचारी द्वारा आत्महत्या

118. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **संचार** मंत्री एर्नाकुलम के रेलवे डाक सेवा के एक कर्मचारी द्वारा की गई आत्महत्या के बारे में 16 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच जांच प्रतिवेदन की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां तो जाँच के क्या निष्कर्ष हैं और किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) मृतक के परिवार को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख) प्रारम्भिक रिपोर्ट की जांच करने पर यह उचित समझा गया कि किसी प्रवर अधिकारी द्वारा आगे पूरी पूरी जांच पड़ताल कराई जाए, जिस की रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जाने की आशा है ?

(ग) 16 नवम्बर, 1964 को अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर में लोक-सभा में पहले ही बताई गई मृतक की विधवा को अदा की गई रकम के अलावा उस की विधवा को 1650 रुपये मृत्यु एवं निवृति उपदान के दिए गए हैं। उस के लिए 22 सितम्बर, 1964 से 49 रुपये 50 पैसे प्रति मास की पारिवारिक पेंशन भी मंजूर की गई है। सामान्य भर्ती नियमों में ढ़ील दे कर उस की विधवा पत्नी को डाकघर में क्लर्क के पद पर नियुक्त करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

भारतीय वायु सेना क विमान की दुर्घटना

1184. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मुजफ्फरनगर में खेरी गांव के पास 26 फरवरी, 1965 को भारतीय वायु सेना के एक जहाज में उड़ते उड़ते आग लग गई और वह पूर्णत: नष्ट हो गया; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) भारतीय वायुसेना का एक विमान 26 फरवरी को जब कि वह प्रशिक्षण उड़ान पर था खतोली रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमानचालक जो उस में अकेला था छाता द्वारा अक्षत बच निकला था ।

(ख) दुर्घटना की छानबीन के लिए एक कोर्ट आव इन्क्वायरी का आदेश दे दिया गया है । पूरे विस्तार कोर्ट आफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जाने जा सकेंगे ।

अंगहीन भूतपूर्व सैनिक

1185. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंगहीन भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिरक्षा सेवाओं में नियुक्त अथवा पुनर्नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) जी हां । रक्षा सिब्बन्दियों में असैनिक स्थानों के लिये निर्योग्य भूतपूर्व सैनिकों के लिये, यदि वह अन्यथा योग्य हों, एक छोटा सा कोटा सुरक्षित रखने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) इस प्रस्ताव के व्यापक विस्तार इस प्रकार हैं :—

(1) यह सुरक्षण तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी स्थानों के लिये बड़ी यूनिटों में कुल असैनिकों का 5 प्रतिशत होगा, और 20 अथवा उस से कम असैनिकों वाली छोटी यूनिटों में 10 प्रतिशत ।

(2) जो स्थान निर्योग्य भूतपूर्व सैनिकों के लिये प्राप्त किए जायेंगे, सैनिक मुख्यालयों द्वारा केन्द्रीय रोजगार दिलाने वाले कार्यालय को सूचित किए जायेंगे, जो नियुक्त करने वाले प्राधिकरणों से सलाह मशविरे से उन रिक्त स्थानों पर नियुक्तियों के लिए उपयुक्त निर्योग्य भूतपूर्व सैनिकों को नामित करेंगे ।

(3) इन मामलों में सामान्य डाक्टरी मानदण्ड व्यवहार में नहीं लाए जायेंगे ।

(4) इस प्रकार नियुक्त निर्योग्य सैनिक अग्रिम क्षेत्रों में सेवा दायित्व से विमुक्त होंगे ।

Lok Sahyaak Sena

1186. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Gauri Shanker Kakar :
Shri U. M. Trivedi :
Shri Bade :
Shri Mate :
Shri Sinhasan Singh:
Shri S. M. Banerjee :
Shri Madhu Limaye :
Shri Sheo Narain :
Shri D. D. Mantri :
Shri D. S. Patil :
Shri P. H. Bheel :
Shri Sham Lal Saraf :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Y. D. Singh :
Shri Lahri Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that bonds for five years' service were got filled in by all the recruits at the time of their enrolment in the Lok Sahayak Sena ;

(b) If so, the number of persons so far discharged before the completion of five years' service ;

(c) The number of persons retained in service for ten years ; and

(d) The number of persons among them who are not pensioners ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju) : (a) Civilians trained under the Lok Sabha Sahayak Sena Scheme had no service liability. For the instructional staff of the Lok Sahayak Sena teams, ex-Servicemen were re-enrolled for a period of five years provided their services were required for so long. Neither the civilians nor the instructional staff were repuired to fill in any bond.

(b) and (d) : The information regarding the instructional staff is not readily available, and its collection will not be commensurate with the results likely to be achieved.

(c) None of the instructional staff was retained with the Lok Sahayak Sena teams for ten years.

Artists Registered in Delhi Employment Exchange

1187. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Buta Singh :
Shri Y. D. Singh :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri S. M. Banerjee :

Will the **Minister of Labour and Employment** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that some high class artists registered their names in the Employment Exchange, Delhi during 1958)

(b) Whether it is also a fact that the Employment Exchange has not so far managed to get them any placement ; and

(c) If so, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Employment (Shri Sanjivayya; : (a) to (c). No high class artist who registered his name in the Employment Exchange, Delhi, during 1958 is available on the Live Register of the Employment Exchange, Delhi.

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में

Re : POINT OF ORDER

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना । श्री कपूर सिंह ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : ध्यान दिलाने वाली सूचना से पहले मैं नियम 376 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । यह प्रश्न काल में प्रश्नों की सूची बनाने और उनमें परिवर्तन करने के सम्बन्ध मे नियमों को कार्यान्वित करने के बारे में है, जिनमें नियम 36, 44 और 50 भी शामिल हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री कपूर सिंह से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको इस प्रकार न करें । उन्होंने मुझ एक पत्र लिखा था जिसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं :

> "महोदय, प्रश्न काल के उपरान्त, आज मैं कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अध्याय 7 के कुछ उपनन्धों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध मैं कुछ कहना चाहता हूं ।"

अब अध्याय 7 में बहुत सी चीजें हैं जैसे प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, आदि उन्हें मुझे कुछ सूचना देनी चाहिये थी जिससे मैं तैयार हो कर आऊं । अत: मैंने उनको यह उत्तर दिया :

> "माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मुझसे बातचीत कर लें कि वह सभा में क्या उठाना चाहते हैं । यदि उनको सुविधाजनक हो तो मुझे दोपहर के 3.30 बजे मिलें ।"

उन्होंने यह उत्तर दिया :

> "मैं इस मामले में पहले जांच नहीं करवा सकता क्योंकि इससे मेरी मूलभूत विशेषाधिकारों को आघात पहुंचता है ।"

श्री कपूर सिंह : मैं किसी ऐसी चीज को मानने को तैयार नहीं जिससे मेरे संसद्-सदस्य होने के नाते मूलभूत अधिकार कम हों अथवा कम होने का आभास हो । आप जानते हैं कि मैं आपसे चर्चा करने के विरुद्ध नहीं हूं । परन्तु इस विषय में मैं इस नियम को नहीं मान सकता । यदि मुझे अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया गया तो इससे मेरे अधिकारों को कम किया जायेगा और संसद्-सदस्य होने के नाते मैं अपने कर्तव्य को भी पूरा नहीं करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह किसी चर्चा के प्रसंग में भाषण दे रहे होते तो मैं उनसे विषय को प्रकट करने के लिये कभी नहीं कहता । परन्तु यदि वह कार्यसूची के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे पूर्व सूचना अवश्य दें ।

श्री कपूर सिंह : नियम 376 बिल्कुल स्पष्ट है और सदस्यों को चुप कराने के लिये इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी ।

श्री ह० प० चटर्जी (नवद्वीप) : कठिनाई यह है कि आपके कक्ष में समाचारपत्रों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते । जनता को हमारे आपके बीच हुई बातों का पता नहीं चल सकता । इसलिये हमें सभा में अपनी बात कहने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । ध्यान दिलाने वाली सूचना । श्री कपूर सिंह ।

अविलम्बनयि लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के बहुमत प्रतिवेदन में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उत्तर वियतनाम पर की गई बमवर्षा की आलोचना के समाचार

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> "अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के बहुमत प्रतिवेदन में, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किये थे, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उत्तर वियतनाम पर हाल ही में की गई बमवर्षा की कटु आलोचना के समाचार ।"

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण कमीशन ने 13 फरवरी, 1965 को सह-अध्यक्षों के नाम उन घटनाओं पर एक विशेष सन्देश भेजा, जो फरवरी के दूसरे सप्ताह में वियतनाम में घटी थीं । मैं उस विशेष सन्देश की एक प्रति सदन की मेज़ पर रखता हूं जो कि यनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है ; यनाइटेड किंगडम जनेवा सम्मेलन के सह-अध्यक्षों में से एक है ।

विशेष सन्देश में, जो भारत-पोलैंड के बहुमत से स्वीकार किया गया था, कमीशन ने सम्बद्ध पक्षों द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रलेखों को सूचीबद्ध किया है और कहा है कि वह सन्देश स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रख कर सह-अध्यक्षों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेजा जा रहा है कि वे ईमानदारी से उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें । अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण कमीशन ने यह लिखने के बाद कि प्रलेखों में स्थिति की गम्भीरता बताई गई है और जनेवा क़रार के उल्लंघन का संकेत दिया गया है, सह-अध्यक्षों से प्रार्थना की है कि वे वियतनाम में तनाव कम करने और शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से सभी सम्बद्ध पक्षों से तत्काल अपील जारी करने की वांछनीयता पर विचार करें और ऐसे उपाय बरतें जो बिगड़ती हुई स्थिति को रोकने में सहायक हों ।

कनाडा के प्रतिनिधि ने विशेष सन्देश के साथ एक अल्पमत वक्तव्य जोड़ दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कनाडा का प्रतिनिधिमंडल यह आवश्यक समझता है कि ये घटनाएं अपने "सही रूप में" रखी जाएं । इस वक्तव्य में, कनाडा के प्रतिनिधि ने कमीशन की विधि समिति के तथाकथित "परिणामों"

[श्री स्वर्ण सिंह]

से उद्धरण दिये हैं। चूंकि ये उद्धरण कमीशन अथवा उसके किसी समिति के समक्ष न तो प्रस्तुत किए गए हैं और न उनकी मंजूरी ली गई है, इसलिए भारत के प्रतिनिधि ने कनाडा के वक्तव्य पर अपनी टिप्पणी देते हुए स्थिति को स्पष्ट किया है। पोलैंड के प्रतिनिधि ने भी कनाडा के प्रतिनिधिमंडल के वक्तव्य पर एक लेख दिया है ।

यह सन्देश भेजकर, कमीशन ने मुख्य रूप से सह-अध्यक्षों को कुछ ऐसी गम्भीर घटनाओं के सम्बन्ध में सूचना देने की कोशिश की है जो वियतनाम में घटी हैं और जिनसे बड़ी चिन्ता पैदा हुई है। कमीशन ने सह-अध्यक्षों को आश्वासन दिया है कि वह इन घटनाओं तथा गम्भीर बातों से सम्बद्ध शिकायतों पर विचार कर रहा है और उनकी जांच पड़ताल कर रहा है और वह, जहां तक हो सकेगा जल्दी ही, सह-अध्यक्षों के पास एक अन्तिम रिपोर्ट भेजेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन का अध्यक्ष होने के नाते, भारत ने सम्बंद्ध पक्षों द्वारा 1954 के वियतनाम सम्बन्धी जनेवा क़रार पर प्रभावकारी ढंग से अमल कराने की हमेशा कोशिश की है और कमीशन के सामने जो तथ्य और शिकायतें आई हैं, उन पर उसने हमेशा उद्देश्यपूर्ण तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया है। जब कभी कमीशन की जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप यह स्थिर किया गया कि क़रार की व्यवस्थाओं का उल्लंघन हुआ है तो अपना कर्तव्य निभाने की दृष्टि से उसने सम्बद्ध देश का नाम लेने में कभी झिझक नहीं की।

श्री कपूर सिंह : क्योंकि भारत ने कनाडा के युक्तियुक्त विचारों का समर्थन किया है, क्या हैनोई को कोई ऐसा सुझाव देने का भारत का विचार है कि आधुनिक संसार में आक्रमणकारी उपायों से समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के कार्यों से सम्बन्धित है और अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग जेनेवा समझौते के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्य करता है। जब भी जेनेवा समझौते के उल्लंघन के सम्बन्ध में किसी भी दल से आयोग को शिकायत मिलती है तो वह मामले की जांच करके उस पर अपनी सिफारिशें करता है। श्री कपूर सिंह ने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है कि यदि किसी शक्ति का कोई विशेष रवैया हो तो हमारा क्या रवैया होना चाहिये। यह अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के कार्य से बाहर है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

स्थायी श्रम समिति के बाईसवें अधिवेशन के निष्कर्ष

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) 9 तथा 10 दिसम्बर, 1964 को नई दिल्ली में हुए स्थायी श्रम समिति के बाईसवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखियें संख्या एल० टी०—3990/65 ।]

(2) 19 दिसम्बर, 1964 को नई दिल्ली में हुए पटसन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के तीसरे अधिवेशन (पहली बैठक) के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3991/65 ।]

(3) 15 जनवरी, 1965 को जमशेदपुर में हुए लोहा तथा इस्पात सम्बन्धी औद्योगिक समिति के पहले अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3992/65 ।]

(4) 25 जनवरी, 1965 को कलकत्ता में हुए पटसन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के तीसरे अधिवेशन (दूसरी बैठक) के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3993—65 ।]

विधेयक पर राय
OPINION ON BILL

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : मैं भारतीय दंड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक, जिसे 13 सितम्बर, 1963 को सभा के निदेश से इस पर राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

उनसठवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का उनसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पैंतीसवां प्रतिवदन

श्री राने (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक 1965
APPROPRIATION RAILWAYS) NO. 2 BILL. 1965)

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष, 1964–65 में रेलवे के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1964–65 में रेलवे के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री स० का० पाटिल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1965
APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL 1965

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1964–65 में रेलवे के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"वित्तीय वर्ष 1964–65 में रेलवे के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3 अनुसूची विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 1, 2 3, the Schedule, the Title and the Enacting Formula were added to the Bill.

श्री स० का० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1965

APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 2 BILL, 1965

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1964-65 में रेलवे के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1964-65 में रेलवे के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 1, 2, 3 अनुसूची, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Title and the Enacting Formula were added to the Bill.

श्री स० का० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

मंत्री-परिषद में अविश्वास प्रस्ताव

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : अब हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे । श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): इससे पहले कि वाद-विवाद आरम्भ हो, क्या आप सभा को यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने और कौन-कौन से मंत्री इस वाद-विवाद में भाग लेंगे और दूसरे, क्या चर्चा कल निश्चय रूप से समाप्त हो जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में कह सकता हूं कि चर्चा कल समाप्त हो जायेगी । पहले भाग के सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि जैसे ही वाद-विवाद आरम्भ होगा हमें इस सम्बन्ध में पता चल जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया ?

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं।

श्री शं० शा० मोरे (पूना): मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पिछला कार्य समाप्त हो गया है और अगला कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ। इसलिये व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं समय के बारे में सभा की राय जानना चाहता हूं। साधारणतया, 15 मिनट का समय दिया जाता है ; परन्तु कई वर्गों के नेताओं ने 30 मिनट की मांग की है। क्या यह ठीक रहेगा।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : (केन्द्रपाड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद् में अविश्वास व्यक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रस्ताव पहले सभा के सामने रख दिया जाये, उसके उपरान्त माननीय सदस्य अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी): मेरे विचार में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है और व्यवस्था का प्रश्न उठाने का यही उपयुक्त समय है।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह इस सम्बन्ध में है कि प्रस्ताव प्रस्तुत न किया जाय तो मैं सुनने को तैयार हूं।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): जी हां, यही व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मामले को सभा के सामने आने दीजिये, उसके पश्चात देखा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह आप मुझ पर छोड़ दीजिये। श्री मोरे।

श्री शं० शा० मोरे : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव तथा न्यायालय के निर्णय के बीच विरोध हो सकता है। मुझे बहुत ही विश्वासपात्र सूत्रों से पता चला है कि श्री पटनायक और श्री मित्रा ने इसी विषय को कलकत्ता उच्च न्यायालय में उठाया है। (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। मुझे उनकी बात को सुन तो लेने दीजिये।

श्री शं० शा० मोरे : (पूना) : परिणाम यह होगा कि न्यायपालिका और विधानमण्डल में फिर से झगड़ा उठ खड़ा होगा। इसलिये किसी भी ऐसे मामले पर इस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है जो न्यायाधीन है। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 58 में भी यह बात कही गई है कि किसी भी ऐसे मामले पर, चर्चा करने के लिये इस सभा में काम रोको प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है, जो किसी न्यायालय में विचाराधीन हो। अब यह मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में पड़ा है और हो सकता है यह न्यायालय इस सभा के निर्णय के प्रतिकूल कोई निर्णय दे दें। इसलिये हमें ऐसी स्थिति से बचना है।

नियम 59 भी इस प्रश्न पर लागू होता है और उसका निचोड़ यह है कि साधारणत: किसी ऐसे प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसमें कि किसी ऐसे मामले पर चर्चा करने का आशय हो जो किसी जांच न्यायालय के सामने हो और जांच न्यायालय के निर्णय पर उस चर्चा का असर पड़ता हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह एक साधारण प्रस्ताव नहीं है और इसपर केवल ये ही नियम लागू नहीं होते। दूसरे मैंने अविश्वास के प्रस्ताव की अनुमति दी है। अभी तक यह निश्चित नहीं है कि इस प्रस्ताव के अन्तर्गत किन-किन बातों को लाया जायेगा। जब मेरे सामने कोई चीज आयेगी केवल तब ही मैं कोई निर्णय कर सकता हूं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): मैं यह समझता हूं कि हमारी वर्तमान सरकार को देश के हित में अपना पदत्याग देना चाहिये। हमारी सरकार में नैतिक गिरावट आ चुकी है और यह अब देश को सही रास्ते पर नहीं लेजा सकती है और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको दोषी ठहरायेंगी।

मेरे इस प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य कांग्रेस दल अथवा किसी मंत्री को दोषी ठहराना नहीं है। हमारी कुछ परम्पराएं हैं जिन्हें हम बनाये रखना चाहते है। आज उन परम्पराओं को खतरा पैदा हो गया है और इसलिये मैं ने यह प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस दल का इस सभा में भारी बहुमत है इसलिये मैं जानता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव का क्या हशर होगा। परन्तु यह मेरा विश्वास है कि कांग्रेस के अनेक सदस्य वही अनुभव कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं कि मामला काफी खराब हो गया है और तुरन्त ही कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

हमारे सामने केवल एक ही उपाय है और वह यह कि सरकार को बदला जाये। यदि सरकार अपने आप नहीं जाती है तो जनता को उसे निकाल फेंकने का अधिकार है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही इस देश के प्रधान मंत्री थे और उनके समय में कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया गया था।

एक माननीय सदस्य : लाया गया था।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : उनके अन्तिम समय में केवल एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया था। परन्तु इस सरकार के आने के 9 महीनों के अन्दर अन्दर 2 अविश्वास प्रस्ताव लाये जा चुके हैं।

कुछ माननीय सदस्य : बड़ी शरम की बात है?

एक माननीय सदस्य : राजनैतिक प्रापेगेंडा।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्योंकि सरकार किसी भी राजनैतिक महत्व की समस्या को सुलझाने में बुरी तरह असफल रही है। हमारे देश की आर्थिक दशा बहुत खराब होती जा रही है। मध्य और निम्न श्रेणी के लोगों का बुरा हाल है। अमीर और गरीब के बीच का अन्तर बढ़ता जा रहा है। अच्छी फसल के होते हुए भी लोगों को अनाज नहीं मिलता है। मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है।

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

आज हमारे देश के जो नेता हैं वे देश की अखण्डता बनाये रखने में असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। मद्रास में एक ऐसा तत्व पैदा हो गया है जो राष्ट्र को कभी भी भारी चोट पहुंचा सकता है। आज मांग की जा रही है कि अंग्रेजी को राजभाषा बनाये रखने के लिये कानूनी गारन्टी दी जानी चाहिये। पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में ऐसी मांग कभी नहीं की गई थी। आज हमारे नेता कमजोर हैं इसलिये इस प्रकार की आवाज उठाई जा रही है।

इस देश में आपात की स्थिति का उपहास किया जा रहा है। सरकार ने आपात के नाम में ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो हमारे देश में शत्रु के लिये खुले तौर पर काम कर रहें थे। परन्तु लोगों ने उन्हीं व्यक्तियों को चुन कर विधान मण्डल में भेजा है। क्या इससे बढ़ कर भी हमारी सरकार के लिये कोई लज्जाजनक बात हो सकती है।

देश में विधि और व्यवस्था नहीं है। दिन दहाड़े लोगों को कत्ल किया जाता है। श्री सान्याल की हत्या की गई। श्री प्रताप सिंह कैरों का खून किया गया। सरकार क्या कर रही है? सरकार कहती है कि वह विवश है।

हमारे प्रधान मंत्री में वे सब खूबियां नहीं हैं जो एक प्रधान मंत्री में होनी बहुत आवश्यक हैं। उनके विचारों में अनिश्चितता है। उनमें दृढ़ संकल्प नहीं है। वह अपने साथियों को अपनी बात नहीं मनवा सकते। उनपर काबू नहीं रख सकते। एक मंत्री एक बात कहता है तो दूसरा दूसरी बात कहता है। उनमें साहस नहीं है, योग्यता नहीं है, सचाई नहीं है, दूर दर्शिता नहीं है।

संसद् के प्रति कैबिनेट ने उदासीनता का रवैया अपना रखा है। संसद् की पीठ पीछे महत्वपूर्ण निर्णय किये जाते हैं। उनके बारे मे संसद् को सूचित नहीं किया जाता है। वे अपने आपको संसद् और जनता से अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। इस प्रकार संसद् की प्रतिष्ठा और प्राधिकार को घटाया जाता है। मैं इस सरकार को चेतावनी देता हूं कि इस प्रकार संसद् की मान मर्यादा को कम करने से सरकार को एक दिन बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा :

हमारे गृह मंत्री ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा था कि वह 2 वर्ष में भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। क्या इसको दूर करने मे भी विदेशी मुद्रा की कठिनाई थी। सरकार के पास दिमाग नहीं है। सरकार में सोचने की शक्ति नहीं है। भ्रष्टाचार किसी एक दल का मामला नहीं है। इसको दूर करने में हम सब सरकार के साथ हैं।

सार्वजनिक रूप से जब भी कोई आरोप लगाया जाता है तो सरकार चुप हो जाती है। प्रधान मंत्री श्री शास्त्री के 22 फरवरी के वक्तव्य से पता चलता है कि यदि उनके दल के किसी व्यक्ति पर जरा भी आंच आती हो तो वह बड़े से बड़े अपराध को भी छिपाने के लिये तैयार हो जाते हैं।

बिहार और मैसूर के बारे मे प्रधान मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि केन्द्रीय सरकार अग्रेतर कार्यवाही करे। यह अजीब बात है। यह मामला मंत्री मण्डल की उसी उपसमिति को सौंपा गया था जिस को कि उड़ीसा काण्ड में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का दोषी पाया गया है। केवल अपराधी व्यक्तियों को वक्तव्य देने के लिये कहा गया और उसीके आधार पर प्रधान मंत्री ने यह घोषणा

की है । जहां तक उड़ीसा का संबंध है प्रधान मंत्री का वक्तव्य सही नहीं है । उन्होंने अपने शुरू के वक्तव्यों में राष्ट्रपति के सामने किये गये आरोपों का निर्देश किया है । राष्ट्रपति को जो दस्तावेज दिया गया था वह बहुत बड़ा था तथा उस में काफी गंभीर आरोप लगाये गये थे । उन के बारे में इस के अलावा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है ।

सभा कलिंग इंडस्ट्रीज तथा उड़ीसा एजेंट्स सम्बन्धी आरोपों के बारे में चिंतित है । 15 नवम्बर, 1963 को मैं ने इस मामले का सभा में उल्लेख किया था और प्रधान मंत्री श्री नेहरू को इस मामले में न्यायिक जांच कराने के लिये एक पत्र लिखा था । उन्होंने मुझे बताया था कि उड़ीसा की लोक लेखा समिति इस मामले की जांच करेगी । 18 महीने गुजर गये हैं परन्तु उड़ीसा के मुख्य मंत्री कहते हैं कि उन्हें अभी तक प्रतिवेदन नहीं मिला है । जब सरकार ने इस मामले मैं निर्णय लिया तो क्या उन्होंने उस प्रतिवेदन तथा उस जांच को भी ध्यान में रखा था ? देरी किये जाने के कारण ही हमने एक ज्ञापन दिया था । हमारी मांग यही थी कि एक जांच आयोग नियुक्त किया जाये । लेकिन उड़ीसा के दोषी व्यक्ति यह नहीं होने देना चाहते थे । क्योंकि इस तरह से उन की पोल खल जाती । और इसीलिये उन्हों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किये जाने की मांग की थी । स्वयं श्री नन्दा ने इस बात को स्वीकार किया है । सी०बी० आई० के प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् सही रास्ता यही था कि सरकार एक जांच आयोग नियुक्त करे । रिपोर्ट तथा सी० बी० आई० के रिकार्डों से यह सिद्ध हो जाता है कि जनता के धन को छलने का षडयंत्र रचा गया था । और इस म बीजू पटनायक तथा श्री बीरेन मित्र का ही हाथ नहीं था अपितु श्री सदाशिव त्रिपाठी तथा अन्य व्यक्तियों का भी ।

श्री मालवीय के मामले में महान्यायवादी की राय जानने पर आपत्ति की गई थी और हमने यह मांग की थी कि एक सार्वजनिक जांच होनी चाहिये । श्री नेहरू ने भी कहा था कि इस मामले में न्यायिक जांच अधिक वांछनीय होती । परन्तु वर्तमान नेताओं ने इस मामले को मंत्रिमंडल को सौंप कर बहुत ही आपत्तिजनक रास्ता अपनाया है क्योंकि राजनीतिक दबाव के कारण उसे कांग्रेस पार्टी की समिति ही कहा जायेगा । यह प्रतिवेदन 15 नवम्बर को दिया गया था और उस के पश्चात् रांची में इस सदन के एक सदस्य के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई । उन्होंने भी इसका विरोध किया और कहा कि इन मामलों पर पार्टी के अन्दर ही चर्चा की जानी चाहिये । यह सब सी० बी० आई० के प्रतिवेदन के दिये जाने के बाद ही हुआ है । क्या श्री नन्दा भी उस प्रतिवेदन को देखने के लिये तैयार नहीं हैं । मेरे पास पूरा प्रतिवेदन है और उसकी एक प्रति मैंने दे दी है । गृह मंत्री ने गलत वक्तव्य दिया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी केवल जानकारी प्राप्त करने के लिये ही भेजे गये थे तथा किसी औपचारिक जांच के लिये नहीं । यह वक्तव्य उन्होंने 4 मार्च को राज्य सभा में दिया था । उन्होंने एक बहुत ही गलत बात का समर्थन करने की कोशिश की है ।

श्री कामत ने सभा पटल पर जो चीज रखी वह प्रतिवेदन का केवल सारांश है । मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि मेरे हाथ में जो दस्तावेज हैं--यह प्रतिवेदन के साथ भेजा गया पत्र है और यह प्रतिवेदन है--वे सच्ची हैं या झूठी हैं ? क्या यह इन को सच मानने से इन्कार कर सकते हैं? क्या वह इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि 15 नवम्बर, 1964 को सी० बी० आई० के निदेशक श्री डी० पी० कोहली ने गृह-कार्य मंत्रालय के सचिव श्री एल० पी० सिंह को यह पत्र भेजा है, जिस पर यू० ओ० संख्या ओ--665/सी० बी० आई० / 64 दी गई है ।

मैं समझता हूं कि श्री नन्दा संसद् में गलत बयान देने के लिये माफी मांगेंगे उन का कहना है कि कोई जांच हुई ही नहीं । परन्तु यदि आप प्रतिवेदन को देखें तो पता लगेगा कि इस का शीर्षक है "उड़ीसा सरकार के कुछ मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की प्रारम्भिक जांच का प्रतिवेदन ।"

[श्री सरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

यदि आप पृष्ठ 3 को देखें तो पता लगेगा कि उनको अपने काम में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसमें कहा गया है : क्योंकि हमें आदेश दिया गया था कि मौखिक जांच नहीं की जानी चाहिये और न ही गैर-सरकारी पार्टियों अथवा फर्मों से अभिलेख प्राप्त किये जायें। सरकारी रिकार्ड भी पूरा नहीं था। बहुत से पृष्ठ निकाल लिये गये थे।

फिर भी श्री नन्दा कहते हैं कि सरकारी रिकार्डों को छेड़ा नहीं गया था। ऐसे व्यक्ति के लिये क्या दण्ड है जो जानबूझ कर सभा को गलत जानकारी देता है और सचाई को छिपाता है। प्रधान मंत्री को भी अंधेरे में रखा गया है।

प्रतिवेदन के पृष्ठ 1 पर यह दिया गया है कि सी० बी० आई० को जो शिकायतें आदि प्राप्त हुई थीं उन के आधार पर 58 आरोप बनते थे। इन में से किसी न किसी कारणवश 46 आरोपों की जांच नहीं की जा सकती थी। केवल 12 आरोपों की ही जांच की गई। यह देखते हुए एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किस प्रकार जांच कर सकते थे। इसी लिये उन्हों ने खुली जांच करने की सिफारिश की है।

यह तर्क दिया जाता है कि सी० बी० आई० का प्रतिवेदन पुलिस का प्रतिवेदन है और यह न्यायिक प्रतिवेदन नहीं है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि कैबिनेट उपसमिति है क्या ? श्री चागला यदि मुख्य न्यायाधीश होते और अपील उन के पास जाती तो वह क्या करते ?

प्रधान मंत्री की इस बात पर मुझे आश्चर्य होता है कि बिरेन मित्रा ने इस में से कोई आर्थिक लाभ नहीं उठाया। श्री कोहली ने अपने पत्र में पृष्ठ 2 पर श्री एल० पी० सिंह को लिखा है :

> "रिकार्डों से पता चलता है कि उड़ीसा एजेंट्स की मालिक उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री बीरेन मित्रा की पत्नी ही हैं। खुली जांच किये बिना यह कहना कठिन है कि क्या श्री बीरेन मित्रा ने भी इस सार्थ में पैसा लगाया है। कई पत्रों से पता चलता है कि श्री मित्रा इस सार्थ के प्रबन्ध आदि में रुचि रखते थे।

जिस समय सी० बी० आई० का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था तो सरकार को चाहिये था कि इस मामले को न्यायालय को भेज देती। परन्तु ऐसा नहीं किया गया और तथाकथित उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने का निर्णय किया गया।

श्री पटनायक के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि उन्हों ने सब कुछ स्वयं स्वीकार कर लिया है और उन की ही निन्दा भी हो चुकी है। मैं अन्य बातें करूंगा जिस में निम्न धमन भट्टी (ब्लास्ट फर्नेस) के बेचने की बात आती है। मुझे इस पर आश्चर्य है कि जिस समिति में श्री चागला जैसे व्यक्ति हैं वह भी इसी परिणाम पर पहुंचे कि उस धमन भट्टी की बिक्री से कोई लाभ नहीं उठाया गया है। श्री कोहली के प्रतिवेदन में इस मामले का स्पष्ट उल्लेख है। मुझे ऐसा लगता है कि श्री नन्दा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उस की बिक्री के लिए वचनबद्ध थे। उन्हों ने अपनी कमजोरी छिपाने के लिए यह सब कुछ किया। श्री कोहली के प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 4 को पढ़ने से बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है।

5 मार्च को श्री पटनायक ने श्री नन्दा से भेंट की और उन्हें सी० बी० आई० रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में 20 लाख रुपये के नफे की बात कही गई है। आज तक यह पता नहीं चल सका कि नफा कितना हुआ,

यह तो आज तक भी पता नहीं चल सका क्योंकि सब कुछ कलिंग इंडस्ट्रीज में मिला मिलाया हुआ था। अब तो विकास निगम को एक अलग एकक कहा जा रहा है। 5 मार्च को श्री नन्दा ने कहा था कि वह पूरी जांच चाहते हैं। करोड़ों रुपये उड़ीसा सरकार ने दिये थे। इस दिशा में यह भी उल्लेखनीय है कि श्री पटनायक ने एक जर्मन गुट से भी करार किया था। इस करार के अन्तर्गत उन्हें 10 "ब्लास्ट फरनेसों" के लिए स्वामित्व शुल्क लगातार मिलता रहेगा यदि उसे दस वर्षों की अवधि में सरकार अथवा काई अन्य व्यक्ति उड़ीसा में लगाये। इस बात का पूरा साक्ष्य है कि श्री त्रिपाठी को सिराजुद्दीन एंड कम्पनी द्वारा धन दिया गया। मेरा मत तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जांच आयोग इसलिये नहीं नियुक्त की गयी क्योंकि इस से डर था कांग्रेस का समूचा ढांचा ही इस से सारे संसार के सामने आ जाता। मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं प्रत्युत सारे देश के हित के लिए जांच आयोग की स्थापना चाहते हैं। और मैं इस बात को पुनः कहता हूं कि इस में कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। मेरा यह मत है कि इस विवाद से हमें कुछ व्यवहार के सिद्धान्त स्थापित करने का अवसर मिलेगा।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि मैं अपना अविश्वास प्रस्ताव वापिस लेने को तैयार हूं यदि सरकार हमारी चार बातों को स्वीकार कर ले। प्रथम यह कि उड़ीसा के मामले में सरकार के पास जितनी भी सामग्री है, उस पर आधारित एक श्वेत पत्र सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। दूसरी यह कि क्योंकि स्पष्ट गवाही उपलब्ध है, इसलिए उड़ीसा की वर्तमान सरकार को हटा दिया जाना चाहिए। सारे मामले की खुली जांच का आदेश दिया जान। चाहिए। और स्थायी तौर पर एक प्रविधिक स्वायत्त संस्था जैसे उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग अथवा चुनाव आयोग का निर्माण किया जाना चाहिए जो भ्रष्टाचार के मामलों को निपटा सके। यह मामले ऐसे भी नहीं हैं जो कि विवादस्पद कहे जा सकें, आशा है कि सरकार इसे स्वीकार कर लेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि विरोधी दलों को सरकार का विरोध करने का पूरा अधिकार है, परन्तु उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का अहसास जरूर होना चाहिए। सरकार संसद् के प्रति तथा देश के प्रति उत्तरदायी है। जिम्मेदार विरोधी दल के बिना संसदीय संस्थाओं का विकास नहीं हो सकता। विरोधी दलों का कर्तव्य है कि वे जागरूक तथा आलोचक बने रहें ताकि सरकार सतर्क रहे जिस से उचित प्रशासन चलता रहे। भूलें तो हो ही जाती हैं, यदि भूलों को बताया जाय तो उस के परिणाम अच्छे ही रहते हैं। हम अपनी भूलों को सुधारें, यह हमारा कर्तव्य है।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। परन्तु चिन्ता की बात तो यह है कि जनता भ्रष्टाचार को ही जीवन का सत्य मानने लगी है और वह इसे एक साधारण सी बात समझने लगी है। हमें इस झुकाव के विरुद्ध लड़ना है कि ताकि प्रशासन के उच्चतम स्तर बने रहें। हम म से वे व्यक्ति जो देश के ऊंचे पदों पर कार्य कर रहे हैं उनका आचरण असंदिग्ध होना चाहिये। परन्तु दुःख की बात है कि इस मामले में विरोधी दलों ने वह ऊंचे स्तर नहीं अपनाये जिनकी आशा वे स्वयं सरकार से करते हैं। जो पत्र विरोधियों के पास हैं वह चुराये हुये हैं और जिस व्यक्ति ने यह पत्र उन्हें दिये हैं उसने अपराध किया है। यदि यह पत्र रखने वाले सदस्य को प्रशासन के ऊंचे स्तरों पर विश्वास होता तो उसका नैतिक कर्तव्य यही था कि वह उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर देता।

[श्री मु० क० चागला]

संसद् उप-समिति एक सीमित उद्देश्य के लिये बनायी गई थी--याने प्रधान मंत्री को सलाह देने के लिये और यह बताने के लिये कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री तथा श्री पटनायक के विरुद्ध कोई प्रत्यक्षत: मामला है जिसके आधार तर वह कोई कार्यवाही कर सकें। इस उप-समिति ने प्रधान मंत्री को परामर्श दिया कि सर्वश्री बीरेन मित्र तथा पटनायक अनौचित्य के दोषी हैं तथा मुख्य मंत्री श्री मित्र यह ऊंचा पद सम्भालने के योग्य नहीं हैं। प्रधान मंत्री जी ने यह पारमर्श मान लिया तथा इसके अनुसार कार्यवाही करते हुए मुख्य मंत्री से अपना पद छोड़ देने का निवेदन किया। इस दस्तावेज को सभा-पटल पर रखना इस लिये स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह उप-समिति की रिपोर्ट का अंग होने के कारण इसे मंत्रिमण्डल की कार्यवही का अंग माना जिसे सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता था।

जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा था तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रविधि क कृत्य नहीं निभा रहा था। उन्होंने एक भी गवाह की मौखिक जांच नहीं की और न ही उन्होंने फर्म की किसी लेखा-पुस्तकों की जांच की। उन्होंने केवल उन्हीं दस्तावेज़ों की जांच की जो उड़ीसा सरकार ने उन्हें उपलब्ध किये। उड़ीसा सरकार द्वारा उपलब्ध की गई पुस्तकों की जांच पड़ताल के अतिरिक्त और कोई जांच नहीं की गई। केन्द्रीय जांच विभाग ने जो कुछ भी किया है वह केवल जांच है जांच-पड़ताल नहीं जैसा कि विधान अधीन समझा जाता है। इस लिये अधिक से अधिक यह रिपोर्ट एक पक्षीय, एक-तरफा ब्यान है जिसे केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा उड़ीसा सरकार की पुस्तकों की जांच के पश्चात् तैयार किया गया है।

परन्तु उप-समिति के समक्ष केवल यही सामग्री नहीं थी । उप-समिति ने श्री पटनायक, उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव तथा दूसरे सम्बद्ध अधिकारियों से भी पूछताछ की है। रिपोर्ट में लगाये गये आरोपों के बारे में और दस्तावेज पेश किये गये तथा उनके स्पष्टीकरण दिये गये। विरोधी दलों ने अपने सारे मामले का आधार केवल इस रिपोर्ट को ही बनाया है और बाद में होने वाली घटनाओं को जानने का प्रयत्न नहीं किया। उप-समिति को पेश की गई सामग्री के आधार पर अपने निर्णय तक पहुचने म कोई कठिनाई नहीं हुई और उसे विश्वास हो गया कि श्री पटनायक तथा श्री मित्र के विरुद्ध प्रत्यक्षत: एक मामला खड़ा हो सकता है, और इसलिये हमें एक जांच आयोग का सुझाव देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। परन्तु हमें इस बात पर कोई सन्देह नहीं था कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री तथा श्री पटनायक का व्यवहार एक मुख्य मंत्री के पद के अनुकूल नहीं है और हमने अपने रिपोर्ट में यही कहा है।

इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि यह मामला बहुत गम्भीर है। अब तो यह उड़ीसा की बात है, कल को किसी सैनिक मामलों में भी ऐसा हो सकता है। हम हर रोज पाकिस्तान की जासूसी की बात करते हैं। यदि लोगों को भेद और गोपनीयता को भंग करने की आदत हो गयी तो प्रशासन क्या कर सकेगा। सोचने वाली बात है, हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी। मैं इस सदन तथा विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि वे महसूस करें कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसके परिणाम क्या निकल सकते हैं। मैंने इस बात को काफी कहा है परन्तु आप सी० बी० आई० रिपोर्ट को ही ले लें। क्या कारण था कि हमने इसे सभा पटल पर नहीं रखा? इसका कारण यह है कि इस उपसमिति का प्रतिवेदन मंत्रिमंडल की कार्यवाही का एक अंग है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट क्या है, और किस तरह इसका

सभा पटल तर रखा जाना जन हित के विरुद्ध था। यह एक गोपनीय दस्तावेज थी और मंत्रीमंडल की कार्यवाही का अंग थी, अत: उसे सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह नियमित जांच नहीं थी केवल पूछताछ ही थी। उसे समझने के लिये किसी शब्द कोष को देखने की आवश्यकता नहीं प्रत्युत इसे समझने के लिये हमें दंड प्रक्रिया संहिता का अध्ययन करना होगा। जिस व्यक्ति को कानून का प्रारम्भिक ज्ञान भी है, वह जान सकता है कि मंत्रिमंडल की उपसमिति किसी प्रकार की फौजदारी जांच नहीं कर सकती।

हमें यह समझ लेना चाहिए कि मंत्रिमंडल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी प्रकार का भी साधन प्रयोग में लाकर जानकारी प्राप्त करे। मंत्रिमंडल का काम फौजदारी जांच करना तो है नहीं, उस प्रकार की फौजदारी जांच जो कि दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आती है। अब मैं इसे और स्पष्ट भी करता हूं। जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर के अर्थात् मंत्रिमंडल के सचिव अथवा संयुक्त सचिव किसी को भी भेजा जा सकता है। किसी अन्य अधिकारी को भी भेजा जा सकता है।

सी० बी० आई० ने कोई न्यायिक जांच नहीं की है। उसे तो केवल सरकार की किताबों से जिन बातों का पता चल सकता था उनके बारे में ही जांच करने के लिये कहा गया था। इसको कानूनी जांच नहीं कहा जा सकता है। अभियुक्त व्यक्ति का ब्यान नहीं लिया गया था और न ही कोई गारंटियां ली गई थीं। फर्मों के खातों को भी नहीं देखा गया था। कानून की दृष्टि में जिसको जांच कहना चाहिये यह वह जांच नहीं थी।

सी० वी० आई० का जो प्रतिवेदन था वह एकतरफा प्रतिवेदन था। और एकतरफा प्रतिवेदन पर किसी को भी दण्ड देना उचित नहीं है। मेरे माननीय मित्र एकतरफा प्रतिवेदन पर उनको दोषी ठहराना चाहते हैं।

उपसमिति ने बाद में उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव श्री पटनायक की प्रति परीक्षा की और और भी दस्तावेज पेश किये गये और उनके ब्यान लिये गये। विपक्ष के सदस्यों का पता नहीं है कि बाद में क्या हुआ।

अब यह प्रश्न उठाया गया है कि जांच आयोग क्यों नियुक्त नहीं किया गया। बात यह थी कि इस उपसमिति को अपने काम में किसी किस्म की कोई कठिनाई नहीं आई और न ही किसी बात पर सन्देह हुआ जो आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ती। उपसमिति अपना काम अच्छी तरह कर रही थी। अगर कोई कठिनाई अनुभव होती तो हम इसके लिये प्रधान मंत्री से कह देते।

श्री कैरों और श्री बख्शी के मामलों में जो आयोग नियुक्त किये गये थे उनमें फरक था। श्री कैरों के मामले में भूतपूर्व प्रधान मंत्री का ख्याल था कि श्री कैरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई प्रत्यक्ष मामला नहीं बनता था। वह जांच चाहते थे और जांच की गई। श्री बख्शी के मामले में जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने आयोग नियुक्त किया है। इस मामले में हमारे सामने कोई सन्देह नहीं है। फिर हमें आयोग की क्या जरूरत है ?

यदि मेरे माननीय मित्र यह समझते हैं कि कानून को तोड़ा गया है या अपराध किया गया है तो मैं आश्वासन देता हूं कि कानून की दृष्टि में सब एक हैं और अपराधी व्यक्ति को दण्ड अवश्य दिया जायेगा।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : श्री शास्त्री जिस समय गृह मंत्री थे तो उन्होंने वायदा किया था कि वे सन्थानम समिति की सिफारिशों से पूर्णतया सहमत हैं। उन सिफारिशों में से एक यह थी कि यदि किसी मंत्रि के विरुद्ध प्रत्यक्ष मामला बनता है तो सरकार तुरन्त ही उसको पदत्याग करने के लिये वाध्य करेगी और उसके विरुद्ध खुली जांच करेगी न कि कैबिनेट की जांच।

श्री मु० क० चागला : जी नहीं। खुली जांच करने का प्रश्न केवल तब ही उठ सकता है जब मुख्य मंत्री केन्द्रीय मंत्रिमंडल की उपसमिति के निर्णय को स्वीकार न करें। श्री मित्रा और श्री पटनायक ने मानहानि के मुकदमें दायर कर रखे हैं। वहां पर इन सब आरोपों की जांच की जायेगी।

मैं श्री द्विवेदी द्वारा लगाये गये इस आरोप का खंडन करना चाहता हूं कि इस उपसमिति पर राजनीति दबाव डाला गया। मैं नहीं जानता कि राजनीतिक दबाव क्या होता है। श्रीमान्, मुझे कई रोग लगे हैं परन्तु यह राजनीतिक दबाव का रोग मुझे कभी नहीं हुआ। यदि हम पर राजनीतिक दबाव होता तो हमने श्री पटनायक और श्री मित्र को निर्दोष क्यों नहीं ठहराया? भ्रष्टाचार को समाप्त करने में हम विपक्ष के साथ हैं। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि उड़ीसा के मामले में सरकार ने और प्रधान मंत्री ने वह सब किया है जो करना आवश्यक था।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मुझे याद है 1962 में एक दिन जब मैं ने प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य में गलती बताई थी तो उन्होंने बड़ी नम्रता से आपसे और इस सभा से क्षमायाचना की थी।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKR *in the Chair*)

परन्तु जो गांधी जी और नेहरू की कसमें खाते हैं, अपनी गलती को महसूस करने की बजाय और आयोग नियुक्त करके सचाई का पता लगाने की बजाय विपक्ष के सदस्यों द्वारा सरकारी भेदों का पता लगने पर उनपर परदा डाल रहे हैं। प्रतिवेदन के गलती से प्रकट हो जाने पर श्री डेल्टन ने त्यागपत्र दे दिया था। एक छोटे मामले पर सभा को गलत मार्गदर्शन देने पर श्री पसफूयो ने न केवल मंत्री पद को ही त्याग दिया अपितु हाउस औफ कॉमन्स से भी त्याग पत्र दे दिया।

मैं एक कागज से कुछ पढ़ना चाहता हूं जिस पर श्री चागला के हस्ताक्षर हैं :

> "संसदीय सरकार में मंत्रियों को संसद् से कोई बात छिपानी नहीं चाहिये। इससे बाद में बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं।"

क्या अब वह न्यायाधीश चागला को गिरफ्तार करने के लिये आदेश दे सकते हैं?

हम सब जानते थे कि सचाई को छिपाने की कोशिश की जा रही थी। हमें तब शक पैदा हो गया था जब श्री चागला को कैबिनेट समिति में बाद में शामिल किया गया था कि लोगों को धोखा दिया जा रहा है।

नन्दा जी ने 7 मई, 1964 को रेडियो पर भाषण देते हुए यह दावा किया कि वह 2 वर्ष के भीतर भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे अन्यथा अपना पद त्याग देंगें। उड़ीसा का मामला

उनकी सचाई और सदाचार की कसौटी है। हमने केवल जांच आयोग नियुक्त करने की मांग की थी और इसके मार्ग में कई अड़चनें पैदा की गईं। जब बात फैल गई तो श्री बीजू पटनायक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में मानहानि के लिये मुकदमा दायर कर दिया। ऐसा इसलिये किया गया कि चूंकि मामला न्यायाधीन है इसलिये इस पर चर्चा नहीं की जा सकती और कोई जांच नहीं हो सकती है। बाद में मामला श्री सन्याल को भेजा गया और उन्होंने यह राय दी कि जांच आयोग स्थापित किया जा सकता था। दो दिन बाद उनकी हत्या कर दी गयी थी।

हम यह पूछना चाहते हैं कि जांच करने के लिये एक जांच आयोग स्थापित करने की बजाये जांच का काम कैबिनेट ने स्वयं क्यों ले लिया है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध जांच होती है वह उन्हीं के दल का है। बाद में एक और बहाना गढ़ा गया कि राज्य के मंत्री केन्द्र के कर्मचारी नहीं हैं इसलिये सी० बी० आई० का राज्य के मंत्रियों से कोई सम्बध नहीं है। यदि हम सन्थानम समिति को देखें तो उसमें यह स्पष्ट दिया है कि राज्य के मंत्री भी सरकारी आदमी ही हैं। उनको सरकारी पैसा दिया जाता है।

जिन मंत्रियों के विरुद्ध अपराध थे इस कबिनेट उपसमिति ने उन सब को बरी करना शुरू कर दिया। श्री चागला जैसे स्वतन्त्र न्यायाधीश पर भी पार्टी के हित का कितना असर पड़ सकता है इसका अनुमान तो आप उनकी बातों से लगा सकते हैं। शिकायत करने वालों को अपने आरोपों की पुष्टि के लिये अवसर ही नहीं दिया जाता है।

इन सब दस्तावेजों को देखने से पता चलता है कि यह सारी साज़िश 17 नवम्बर, 1961 को गढ़ी गई थी। उसी दिन मिली जुली सरकार के उस परिपत्र को, जिसमें यह कहा गया था कि जो भी माल खरीदा जायेगा वह संभरण तथा निपटान के महानिदेशक के द्वारा खरीदा जायेगा, फाड़ दिया गया था और पटनायक सरकार द्वारा एक नया परिपत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि उड़ीसा एजेंट्स से माल खरीदा जाना चाहिये। इन दस्तावेज़ों से पता चलता है कि उड़ीसा एजेंट्स ने बताये गये मूल्य से भी काफी अधिक मूल्य पर ट्यूबें सप्लाई कीं। उसी दिन श्री बीजू पटनायक के कहने पर मुख्य सचिव श्री शिवरमन ने नीवेली कारपोरेशन को श्री श्रीनिवासन को, जिसके विरुद्ध मद्रास में कुछ मामले चल रहे थे, छोड़ने के लिये लिखा। पद के लिये कोई ज्ञापन नहीं दिया गया था और न ही नियुक्ति लोक सेवा आयोग के द्वारा की गई थी। श्री बीजू पटनायक के साथ पक्ष करने के लिये इस व्यक्ति को बहुत बड़े वेतन पर प्रदीप पत्तन में चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। पांच दिन के अन्दर ही उस व्यक्ति ने 16 लाख रुपये के मूल्य के ट्युबुलुर ढांचों की सप्लाई का क्रयादेश दे दिया और तुरन्त ही 14 लाख रु० की पेशगी दे दी गई थी। वे ढांचे अभी तक कलिंग इन्डस्ट्रीज़ के पास पड़े हैं। क्योंकि बाद में यह देखा गया कि उन ढांचों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

इस बीच एक पत्र परिचालित किया गया कि ये सब पेशगियां मिली जुली सरकार के समय में दी गई थीं। यह सब झूठ है। मिली जुली सरकार ने ही इन सब गलतियों का पता लगाया था। बाद में श्री बीजू पटनायक ने संविधान सभा के सदस्यों को खरीदना आरम्भ कर दिया और अन्त में उनको अपने इस खेल में सफलता मिली।

इस ओर के सदस्यों और देश के सभी समाचारपत्रों ने यह मांग की है कि इस मामले में जांच के लिये जांच आयोग बिठाया जाना चाहिये। सारी जनता सरकार के इस रवैये से असन्तुष्ट

[श्री पृ० के० देव]

है। सरकार ऐसे लोगों को शरण देना चाहती है जो जनता के धन को लूटते हैं। छोटी छोटी बातों की आड़ लेकर सरकार उनको बचाना चाहती है।

1960 में ही मैंने श्री लाल बहादुर शास्त्री को श्री बी० पटनायक एंड कम्पनी की कुछ ऐसी कार्यवाहियों के बारे में बताया था जो लोक हित में नहीं थीं और सुझाव दिया था कि उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स के प्रबन्ध को, उद्योग विकास तथा विनियम अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत, सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास को साथ लेकर हम श्री लाल बहादुर शास्त्री के पास यह कहने गये थे कि श्री पटनायक के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। परन्तु कुछ भी नहीं किया गया।

सी० बी० आई० ने चित्र खींचा है उससे पता चलता है कि हमारा सार्वजनिक जीवन कितना दूषित है। हम जांच आयोग की मांग करते रहे हैं। श्री पटनायक और उनके मित्र भी कैबिनेट उपसमिति के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हैं। उड़ीसा विधान सभा में भी लगातार मांग की गई है कि जांच आयोग स्थापित किया जाना चाहिये। फिर मैं नहीं समझता कि सरकार को जांच आयोग स्थापित करने में क्यों शरम आ रही है और क्यों सरकार एक गलत बात पर अड़ी हुई है। अब सरकार जांच आयोग स्थापित करके अपनी खोई हुई इज्ज़त को पुनः प्राप्त कर सकती है।

मैसूर में, यद्यपि 30 विधान सभा के सदस्यों और दो संसद सदस्यों ने एक अभ्यावेदन भेजा है, और जिसको अब तक 11 कांग्रेस विधान सभा सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त हो चुका है, फिर भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस मामले में भी गोपनीय जांच की गई थी और प्रधान मंत्री ने दोषी व्यक्तियों को साफ बरी कर दिया।

यदि इस देश में न्याय को स्थापित करना है तो जांच आयोग अवश्य स्थापित करना चाहिये।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) Sir, the main grounds for bringing the no-confidence motion are that the report of the Cabinet sub-committee is very small and that efforts have been made to put a mentle of protection on the charges levelled against Shri B. Mitra. Nowhere in the world a motion of no-confidence has been moved on such trivial things.

I take the Kalinga tubes. 100 wells had to be bored. Tenders were invited from 36 firms. Fortunately or unfortunately the lowest tender happened to be of the firm in which the wife of Shri Mitra was a shareholder. Now if that tender had been rejected and some higher tender accepted would not the Government have to sustain a loss to the tune of Rs. 8 lakhs. There is nothing wrong in it. An Exoecutive Engineer of the Government of India is authorised to award a contract of the value of Rs. 5 lakhs by calling only 4 tenders. Is it not that the Chief Engineer is authorised to give contract of the value of Rs. 50 lakhs by inviting only 4 tenders. The only impropriety in it was that this firm happened to be that in which the wife of Shri Mitra was a shareholder. Because of this administrative impropriety Shri Mitra resigned. Did he not lay high standards by resigning from Chief Ministership?

The tubes of the same very firm are sold like hot-cakes in the market of Calcutta. They are charging double that price for the same tubes from Hindustan Steel and other Steel Projects. Is it a crime to tender lowest rates for the same material to Orissa Government? The Chief Minister's wife

owns only 10 per cent shares in that firm. The opposition have not been able to establish that there was any other tender which was lower than this and that that was not accepted.

The second argument put forward by them was regarding the Supply of tubular structures by a firm in which Shri Patnaik has some shares. This contract was given in 1959-60 by Shri R. N. Singh Dev the then Finance Minister. This contract was given after considering all the things. Shri R. N. Singh Dev was not a Congressman. The contract was given because it was the lowest and Government was benefiting by it. But still the Cabinet Sub-Committee charged Shri Patnaik for impropriety as he was having 5 per cent shares in that firm. And Shri Mitra immediately resigned. Can opposition boast of such things.

The World Bank and the Vice Chairman of Planning Commission have said in unequivocal terms that the work done Paradip Port is wonderful because it has been executed in short time and at much lower cost. Now you are correct or they are correct?

The third argument is regarding Orissa Textiles. Our Mr. Patnaik is the Managing Director of Orissa Textiles. Government acquired some land on behalf of this firm. This land included Government as well as private lands. Compensation for the private lands was given at the rate of Rs. 100.00 per acre and when the question of giving compensation for Government lands the Government said that she would take at the rate of Rs. 400.00 per acre. The matter was brought to the notice of Chief Minister Shri Biren Mitra who said that uniform rates should be given that Govern nent should also be given compensation at the rate of Rs. 100.00 per acre and not at the rate of Rs. 400.00 per acre. Is it not a justified thing?

The fourth argument has been put forward regarding the circular. Why so much of fuss on this? The reason is that the local dealers of Orissa have to pay 6 per cent extra sales tax. Orissa is a backward area and it draws its requirements from Calcutta. The big industrialists of Calcutta have exploited the people of Orissa.

All the big newspapers such as Statesman, Indian Express, Hindustan Times, etc. are all run by big monopolists. Even the late Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru stated that if we had gone by the opinion of news papers we would not have won the elections. They had predicted that w would loose the elections.

The opposition members have now acclaimed the C.B.I. Report on Orissa but if C.B.I. is asked to report about them they will call it a "police report". The Cabinet sub-committee has put forward a very good example. They have told them that although they were not dishonest but since there was some "administrative impropriety", they should resign from their position.

In orissa there never was a congress government. But Mr. Patnaik gave a challenge to the opposition that Congress would win atleast 80 seats in the elections. Congress in fact won 84 seats. This whole fuss has been raised by a politician of Orissa who could not be successful there.

[Shri Bhagwat Jha Aazad]

This motion of no confidence is quite baseless, wrong and irresponsible and we cannot agree to it. It shows that the opposition parties do not be, lieve in principles but they bring small matters before the House. Hence we will reject it most vehemently.

Shri Rameshwaranand (Karnal) * * *

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे श्री चागला को सुन कर बहुत दुख हुआ क्योंकि वैसे उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है ।

श्री आजाद भी बोले और उन्हें सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मन्त्रिमण्डल की उपसमिति के निर्णय के विरुद्ध हैं और उन व्यक्तियों की जिन पर दोष लगाया है उनकी तो प्रशंसा करनी चाहिये ।

श्री चागला को सुन कर मुझे इसलिये भी दुःख हुआ कि वे एक अच्छे कानूनदाना हैं उनसे मैं आशा रखता था कि वे इस केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में जो परस्पर विरोधी बातें हैं उन पर प्रकाश डालें । कहा गया है कि श्री पटनायक ने स्वयं कोई रुपया पैसे का लाभ इस सौदे से नहीं उठाया । यदि इस प्रकार चलता रहा तो यह बहुत बुरा उदाहरण होगा ।

श्री कामत के यह दस्तावेज पेश करने से पूर्व श्री सन्थानम् ने एक लेख में कहा था कि श्री पटनायक और श्री मित्रा ने जो किया वह अपने पद का दुर्पोयोग है । जब श्री पटनायक मुख्य मन्त्री थे तो उनकी पत्नी कालिंग ट्यूब्ज़ के निर्देशकों की सभापति थीं और राज्य के लिये इस्पात का फर्नीचर, पाइप्स आदि सब कालिंग ट्यूब्ज़ से खरीदी गईं । ऐसे ही श्रीमती मित्रा भी एकमात्र बड़े बड़े कारोबार की एजेंट थीं ।

श्री पटनायक का कहना है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो तो केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में ही जांच कर सकती है । परन्तु यह बात ठीक नहीं है और अमरीका के प्रमुख समाचार पत्र ने कहा है कि ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार कार्यवाही कर सकती है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि श्री सदाशिव त्रिपाठी जो अब उड़ीसा के मुख्य मन्त्री हैं उनसे कोई उत्तर इस मामले में प्राप्त हुआ है क्योंकि वे भी उस समय वहां राजस्व मन्त्री थे ।

वैसे तो सिद्धान्त रूप से सरकार ने सन्थानम् समिति की रिपोर्ट को मान लिया है । इसलिये इस मामले में या तो बाकायदा मुकदमा दर्ज कराया जाये या फिर जांच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत एक आयोग बैठाया जावे । श्री चागला कहते हैं कि उस व्यक्ति ने त्यागपत्र दे दिया है इसलिये अब किसी आयोग की आवश्यकता नहीं है । मैं कहता हूं कि उन्होंने जनता के माल की चोरी की है और इन्हें इसका उत्तर देना चाहिये । केवल त्यागपत्र देना काफी नहीं है । इसीलिये हम चाहते हैं कि एक जांच आयोग नियुक्त किया जावे ।

कुछ सदस्यों ने इसे "उड़ीसा का छोटा सा मामला" कहा है । ऐसा कह कर इसे टालने का प्रयास मत करो क्योंकि यदि ऐसा किया तो आप देश से भ्रष्टाचार समाप्त न कर सकोगे । आज तो यह श्री पटनायक का मामला है, कल ऐसा ही कार्य कोई और कर सकता है । हमें श्री राम रतन गुप्ता का मामला नहीं भूलना चाहिये कि उन्होंने जीवन बीमा निगम से 13 लाख रुपया कर्ज पर लिया और

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded

उसे आज तक नहीं लौटाया। बाद सरकारी अधिकारियों से मिल कर वे चुनाव भी जीत गये। आखिर उनका ऐसा करने का कोई प्रयोजन तो था ही।

मैं और उदाहरण दूं कि जब श्री ति० त० कृष्णमाचारी वाणिज्य मन्त्री थे तो वे टी० टी० के० एण्ड सन्स के लिये बहुत सी एजेंसी ले आये। इनकी मेरे पास एक लम्बी सूची है और इसमें लगभग 17 या 18 आयात होने वाली वस्तुओं के नाम हैं। क्या यह सच नहीं है? यही बात कहते हैं श्री मोरारजी देसाई के लड़के ने किया जब श्री देसाई वित्त मन्त्री थे। उनके सपुत्र ने थोड़े से समय में बहुत धन कमा लिया। एक और उदाहरण मैं दूं और वह है आंध्र प्रदेश का। 29 मई 1964 को वहां के आवास बोर्ड ने कुछ मकानों को 6 व्यक्तियों को बांटा? मैं आपको अभी तो केवल चार नाम सुनाऊंगा जिन्हें वे मकान दिये गये और वे इस प्रकार हैं: श्रीमती संजीव रेड्डी अर्थात् केन्द्रीय इस्पात और खान मन्त्री की पत्नी, दूसरी वहां के वर्तमान मुख्य मन्त्री की पत्नी, तीसरा व्यक्ति वहां के एक मन्त्री के नजदीकी रिश्तेदार हैं और चौथे आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सचिव हैं। इन मकानों के बांटने के बारे में कोई अधिसूचना जनता को नहीं दी। क्या सरकार इस ओर कोई जांच करेगी?

कांग्रेस दल में ही एक बड़ा शक्तिशाली वर्ग है जिसे आप सिन्डीकेट कह लीजिये या कोई और नाम दे दीजिये। यदि ऐसा नहीं है तो अतुल्य घोष क्यों श्री पटनायक की हिमायत करते। केन्द्रीय जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में कांग्रेस में दो प्रकार की विचारधारायें हैं जो परस्पर विरोधी हैं।

कुछ लोगों का विचार है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में कही गई बातों को अनिश्चित काल के लिये गोपनीय रखा जाये जबकि दूसरे कहते हैं कि रिपोर्ट में श्री बीजू पटनायक की अनुचित बातें अधिक हैं। इस प्रकार दो विचारधारायें हैं। फिर यह रिपोर्ट मन्त्रिमण्डल की उपसमिति के सामने आयी। वहां पर दबाव डाला गया और स्थिति हमारे सामने है।

श्री अतुल्य घोष एक बड़े राजनैतिक नेता हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों से कांग्रेस पार्टी के लिये धन नहीं लिया गया जो सरकार की करनीतियों की आलोचना करते हैं। इस प्रकार यह एक काम करते भी हैं और उसे मानने से पीछे हट जाते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस बारे में बताये कि श्री घोष ने किस प्रकार धन का दुरुपयोग किया है। यह धन सार्वजनिक धन है। यह बंगाल बाढ़ सहायता निधि का धन है। यदि इस की जांच हो तो पता चल जायगा कि श्री घोष ने गांव में एक विशाल भवन बनाया है और वहां तक सरकारी खर्चे पर सड़क का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार इन्होंने श्री शान्तिप्रसाद जैन से मिल कर कलकत्ता से जनसेवक नाम का समाचार पत्र जारी किया है। श्री जैन पर "टाइम्स आफ इण्डिया" का 30 लाख रुपया गबन करने का आरोप लगा हुआ है। इस प्रकार श्री घोष ने ऐसे लोगों से गठजोड़ कर रखा है।

हमारे संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के अधीन उनके विपरीत जाना ठीक नहीं है। हमारा इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने में साथ देने का एक कारण यह भी है कि सरकार अपना कार्य करने में असफल रही है। यदि इस सरकार की असफलताओं को इकट्ठा किया जाये तो एक सूची तैयार की जा सकती है। मैं तो कहूंगा कि सरकार संवधिान के निदेशक सिद्धान्तों के विरोध में कार्य कर रही है।

ऐसी स्थिति केरल में भी है। वहां पर पहले तो सरकार ने लोगों के चुनाव में खड़े होने पर प्रतिबन्ध लगाये। उन्हें बन्दी बना रखा था। जब निर्वाचित हो गये तो उन्हें राज्य विधान सभा में अपना कार्य नहीं करने दिया गया। हमारी सरकार में बहुत बड़े बड़े विधिवेत्ता हैं। जो यह जानते हैं कि

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

संविधान का उल्लंघन हो रहा है परन्तु वह कुछ कहते नहीं हैं। आपने उन लोगों को चुनाव में खड़े होने की अनुमति और केरल के लोगों ने उन्हें चुन लिया है। अब आप राज्य विधान सभा में कार्य नहीं करने देते हैं। इस प्रकार आप संविधान का उल्लंघन करने के दोषी हैं। ऐसा होने पर जनसाधारण की संसदीय प्रजातन्त्र में निष्ठा नहीं रहेगी। लोग कहेंगे कि आप प्रजातन्त्र को चलने तो देते ही नहीं। आप देश में तानाशाही शासन के लिये मार्ग बना रहे हैं।

प्रधान मन्त्री ने यह पद ग्रहण करने पर इस बात का आश्वासन दिया था कि दैनिक उपभोग की वस्तुओं के मूल्य को स्थिर रखा जायगा। परन्तु सरकार उस आश्वासन का पालन करने में असफल रही है। आज देश के सभी भागों में मध्य वर्ग के लोग बहुत तंग हैं और किसी प्रकार का आन्दोलन आरम्भ करने के बारे में सोच रहे हैं। आज चारों ओर महंगाई के खिलाफ आवाजें आ रही हैं।

इन सभी बातों का मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं। इस देश का धनीवर्ग अधिक धनी होता जा रहा है और निर्धनों की स्थिति और खराब होती जा रही है। इस प्रकार देश में एकाधकारी पूंजीवाद स्थापित होता जा रहा है। इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमें बताया जाता है कि प्रगतिशील देश में ऐसी बात होती हैं। परन्तु इसके परिणाम जनसाधारण के लिये बहुत प्रतिकूल होते हैं। देश में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सरकार नियन्त्रण करने में नितान्त असफल रही है। कांग्रेस के सदस्य यदि गम्भीरता से विचार करें तो जानेंगे कि सरकार वास्तव में ही असफल रही है। मैं आशा करता हूं कि वे सदस्य जो देश के हितों को मान्यता देते हैं सच्ची बात करेंगे और इस प्रस्ताव के आरोपों का समर्थन करेंगे। इस सरकार को बदलना तो कठिन है परन्तु इसका पुनर्गठन किया जा सकता है और कुछ ईमानदार व्यक्ति इसमें लाये जा सकते हैं। तभी इस देश का कल्याण होगा।

श्री मुरारका (झुंझनूं) : श्रीमान् छः महीने की अवधि में यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। इस का मुख्य कारण केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट पर चर्चा करना है। मेरे विचार में प्रतिपक्ष वाले और अवसरों पर भी इस पर बोल सकते थे। इस प्रस्ताव का परिणाम क्या होगा यह सर्वविदित है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार सार्वजनिक आचरण के सर्वोच्च स्तर को कायम रखने में असफल रही है और सरकार ने अपनी शक्तियों का दुष्प्रयोग किया है। मैं उसको समझ नहीं पाया हूं। मेरे विचार में शिक्षा मन्त्री के भाषण के पश्चात् इस बात का सन्देह नहीं रहना चाहिये कि सरकार भ्रष्ट लोगों का संरक्षण कर रही है।

अब मैं संक्षेप में बताऊंगा कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है। हम यहां किसी पर अभियोग चलाने के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमें तो सरकार पर लगाये गये आरोपों पर विचार करना है।

सिराजुद्दीन कांड में जब जांच के बाद पता चला कि एक मंत्री का कुछ हाथ है तो उनको उनके मंत्रिमंडल से अलग होना पड़ा। इसी तरह प्रताप सिंह कैरों के बारे में हुआ। वह एक शक्तिशाली मनुष्य थे। एक अच्छे प्रबन्धक थे। परन्तु उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर अपना पद छोड़ना पड़ा।

उड़ीसा के नेताओं की बात लीजिये। उनके विरुद्ध शिकायतें थीं। उनकी जांच के लिये मंत्रिमंडल की एक उपसमिति गठित की गई। उस में देश के विख्यात विधिवेत्ता, योग्य वित्तीय

विशेषज्ञ थे। उनका यह निर्णय था कि उड़ीसा के नेताओं ने कोई आर्थिक लाभ नहीं उठाया परन्तु कुछ अन्य अनौचित्य हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन लोगों को पद छोड़ने पड़े।

केरल में जब साम्यवादी दल की सरकार थी तो उसने जब प्रशासन के नियमों का पालन नहीं किया तो केन्द्रीय सरकार को उसे हटाना पड़ा।

[**श्री तिरूमल राव** पीठासीन हुए
SHRI THIRUMALA RAO *in the chair*]

काश्मीर की स्थिति का ध्यान रखते हुए और वहां पर जनता की मांग पर बख्शी गुलाम मुहम्मद के विरुद्ध जांच करायी जा रही है। इसी प्रकार मैसूर तथा बिहार के मुख्य मंत्रियों के आचरण पर जांच हुई है। केन्द्र सरकार के एक उपमंत्री के विरुद्ध मामूली सी बात हुई थी और उनको उस समय तक मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया कि जब तक उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार साबित नहीं हुए। हमारे यहां मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध जांच करने के लिये पुलिस अधिकारी भेजे जाते हैं। क्या इस प्रकार का उदाहरण कहीं और मिल सकता है। मुख्य मंत्री अपने पद पर है और उनके विरुद्ध पुलिस पूछताछ कर रही है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह पता चलता है कि सरकार सार्वजनिक आचरण के सर्वोच्च स्तर कायम रखने में कितनी रुचि रखती है।

यहां मांग की गई है कि इस विषय में कानूनी जांच होनी चाहिये। यदि इसमें कोई विशेष बात होती तो मेरा विश्वास है कि सरकार ऐसा करने से हिचकचाती नहीं। हम भी तो प्रशासन की स्वच्छता चाहते हैं। परन्तु इस प्रकार की जांच किसी व्यक्ति विशेष की मांग पर नहीं करायी जा सकती। और इस विषय में तो जैसे उपसमिति ने कहा है कोई विशेष बात है ही नहीं।

यहां पर तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट पूरी है भी नहीं और उपसमिति ने अपना कार्य बहुत न्यायपूर्वक निभाया है। इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता ने एक आरोप लगाया है लोहे की शीटों के बारे में। श्री पटनायक ने सितम्बर, 1959 में कच्चे लोहे का संयंत्र चालू किया था। इसे अप्रैल, 1963 में उड़ीसा विकास निगम को हस्तांतरित कर दिया गया। इसका मूल्य लेखा निरीक्षकों ने निर्धारित किया था। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय ब्यूरो ने कहा है कि हम जान नहीं सके कि मूल्य ठीक प्रकार से निर्धारित किया गया था अथवा नहीं। इस प्रकार यह रिपोर्ट पूरी नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार और भी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में अनभिज्ञता व्यक्त की गई है।

एक और बात मुद्रांक शुल्क के बारे में है। आरोप है कि श्री पटनायक ने 97,000 रुपया जो इस शुल्क के रूप में देना था नहीं दिया।

परन्तु यदि तथ्यों को देखा जाये तो समझौते के अनुसार यह श्री पटनायक ने नहीं देना था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने समझौते को तो देखा ही नहीं। इस समझौते पर सरकार की ओर से श्री आर० एन० सिंह ने हस्ताक्षर किये थे। श्री सिंह श्री पटनायक के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्ता हैं। उपरोक्त समझौता जब तय हुआ था तो श्री सिंह उड़ीसा के उद्योग तथा वित्त मंत्री थे।

यहां पर और आगे जांच कराने की बात कही गई है। यह सुन कर मुझे बहुत हैरानी हुई है। जुलाई, 1963 में श्री पटनायक जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने उड़ीसा विधान सभा में प्रतिपक्ष के

[श्री मुरारका]

नेता को कहा था कि वह उड़ीसा एजेन्ट्स के बारे में जांच करें ताकि सब बातें स्पष्ट हो सकें। इस सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों से भी कहा गया था कि वे प्रतिपक्ष के नेता को सभी कागज़ात आदि उपलब्ध कराये जायें। परन्तु श्री सिंह स्वयं पीछे हट गये। इससे यह बात तो स्पष्ट हो गई थी कि श्री पटनायक ने कोई बात छिपाई नहीं। जब यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो हमें तथ्यों को प्रस्तुत तो करने देना चाहिये।

श्री कामत द्वारा सभा पटल पर रखी गई सी० बी० आई० की रिपोर्ट ने विशेष लेखा जांच की टिप्पणियों का उदारता से प्रयोग किया है। परन्तु यह लेखा जांच तो अभी समाप्त नहीं हुई।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि विशेष लेखा जांच के पश्चात् और लोक लेखा समिति की जांच के पश्चात् यदि मामला कानूनी जांच के योग्य हो तो यह बात उचित समय पर ही होगी। मुझे विश्वास है कि सरकार कोई बात छिपाना अथवा किसी अनुचित कार्य में ढाल बनना नहीं चाहती।

मंत्रिमंडल उपसमिति ने कहा है.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : माननीय मित्र एक दस्तावेज़ से पढ़ रहे हैं। वह इसे सभा पटल पर रख दें।

सभापति महोदय : अध्यक्ष का निदेश यह है कि यदि सदस्य स्वयं इसे सभा पटल पर रखना चाहें तो वह ऐसा कर सकते हैं। इसलिये इस समय माननीय सदस्य श्री मुरारका से यह मांग नहीं कर सकते।

श्री मुरारका : मैं तो श्री कामत के दस्तावेज से ही दोहरा रहा हूं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : पहले उन्होंने कहा था कि यह श्री कामत की रिपोर्ट में से ली गई है और अब वह कह रहे हैं कि यह मंत्रिमंडल उप-समिति की रिपोर्ट में से ली गई हैं।

श्री अ० कु० सेन : श्री मुरारका को बोलने ही नहीं दिया जा रहा, हर समय बाधाएं डाली जा रही हैं।

श्री मुरारका : मंत्रिमंडल उप-समिति ने यह तो नहीं कहा कि उसका निर्णय अन्तिम नहीं है।

अन्त में मुझे यही कहना है कि मंत्रि-मंडल उप-समिति की जांच उचित है और उनके समक्ष रखी गई सूचना के अनुसार है जब कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण है।

Shri U. M. Trivedi : The hon. Education Minister had said that we of the Government and the opposition should set a very high standard before ourselves and abide by it, I fully agree with him. If we had maintained that standard we would never have amended Sec. 7(c) of the Representation of the Peoples Act., then the rule was that any member of a legislature of Parliament will cease to be so if he happens to have a direct or indirect interest of any kind with Government. I say we proved our *mala fides* by amending this law for we knew that such persons will enter Government and it will not be possible for us to prevent them from indulging in these practices...

श्री श्रीनारायण दास : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने कहा है कि संसद् द्वारा उक्त अधिनियम बेईमानी से पारित हुआ, ऐसा कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : 'बेईमानी' शब्द अवश्य वापिस लिया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : आपने कहा है कि यह अधिनियम बेईमानी से पारित हुआ ? क्या आपने इस शब्द का प्रयोग किया है ?

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह एक सत्य है । और एक कृत्य विशेष के बारे में यही मेरा मत है जिसे मैं उक्त प्रकार से व्यक्त करता हूं ।

सभापति महोदय : मेरा निवेदन है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाये क्योंकि दूसरा पक्ष आपत्ति करता है। अब आप आगे की बात कहें ।

Shri U. M. Trivedi : The application given on 13-9-63 clearly states that Shri Biren Mitra took over the business of Orissa Agent, who entered into contracts with Orissa Government. They were agents of Kalinga Tubes. This would have been established if the papers were scrutinised by an ordinary I.T.O. but when the matter was referred to the Election Commission by the Governor, they said that we only see what is on the surface, we cannot draw inferences, for these we should have move powers—and the matter was left as it was. Further the signatures on all the business papers are those of the P.S. to the Chief Minister *i.e.*, Shri Kifait Ullah, Shri Mitra himself states that he started business with Rs. 2,076 and Shri Patnaik said I put him in business and in 4 years the firm's gross profit were over Rs. 15 lakhs. Still it is said that he has not been disqualified, I only say that our heads should hang in shame on allowing such persons to remain not only in Government but also in a legislature. We have to see whether such a person is fit to remain in public Service with this record of personal conduct and character.

Unfortunately the contagion has spread elsewhere also. In Bihar, the enquiry conducted against Mr. Sahai shows nothing against him. The enquiry Report reveals how far moral degradation has set in public life. We should be an example unto ourselves as to others. In order to uphold these high moral standards, I would appeal the Government to step down for once at least.

After all this is not their forefather's property. They should resign. We know what happened in Karion's Case. The complete report was published. Shri Kairon had to resign. What does it denote ? It means that the reins of the Government are in the hands of Corrupt people. They are misusing power. They are throwing mantle of protection on corrupt people. And it if this goes on the country will be ruined.

All this is due to our weak policy, we have no courage to take action against the high ups. Because of our weak policy we have not been able to solve this problem of Nagaland. Today our C.R.P. Jawans are put behind the bars because they fired on those who had entered Nagaland to commit fact. We are to bring humiliated them because we are weak, 3,000 acres of our land is in the unauthorised occupation of Pakistan in the North of Gujarat. Pakistan is already occupying 34,000 square miles of our territory. We had taken a vow that we will not spare even an inch of our territory. What happened to those

[Shri U. M.Trivedi]

vows. When are we going to get those territories vacated by the enemy. How long shall we be bluffing our people ?

There is a limited concern having 11 share holders. All of whom are Pakistani muslims. This concern supplies defence equipment to Pakistan as also to India. We are shutting our eyes to reality. How long shall we be doing this ? The Council of Ministers is not fit to carry the affairs of the Government.

I have received a letter from Dandi Vohra Pragti Mandal stating that there is one Mulla there who is preaching for Jinnah. He commands great respect there. But he is not prosecuted because he donates a few lakh rupees to Congress. It is a matter of great shame to Congress that it should lie so low and put the integrity of the country at stake for few lakhs of rupees.

There is a school in Godhra by the name of Anjumane Islam. It was decided under the National Defence Scheme that while the children assemble in the morning, they should first of all chant Bande Matram. Our teacher of that school was dismissed because he objected to the sitting of muslim league students. We can not bear that Government should shut its eyes to these crude realities.

In the Kerala elections Congress could not command majority and it is asking Mulsim League to join with it to form the Government. I have received a telegram to this effect just now. Is this Muslim League not a communal party ? Why should Congress join hands with an organisation which is prepared to sell India to Pakistan ? Is it not a weak policy ?

Shri Chagla said that a strong opposition is absolutely necesasry for the proper functioning of democracy and opposition can serve the country only if it is sincere. With this very purpose I have put all those things before you.

We had already written a letter to you and passed a resolution that Shiekh Abdulla should not be permitted to go out. We allowed him to go on Haj pilgrimage and he is making propaganda against India in Cairo.

We thought America was our friend. But we were wrong. Now China and Pakistan are uniting to give a blow to India and we shall not be able to meet this challenge.

China has already manufactured one atom bomb. Now she is preparing the second one. China is our enemy. She will use this bomb against us and yet we are sitting, keeping our eyes shut. We should also manufacture atom bomb and follow the policy of retaliation.

If we want to save the honour of our country, if we want to maintain the dignity and integrity of our country, then we should embolden our selves and give a good bye to this policy of weakness. We should treat high and low alike. Any body, howsoever high he may, if he is at fault, should be given stringent punishments.

श्री कृ० चं० पन्त (नैनीताल) : 3 जुलाई, 1963 को श्री पटनायक ने स्वयं यह पेशकश की कि उनके विरुद्ध आरोपों की जांच विपक्ष के नेता करें जो उड़ीसा विधान सभा

की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी थे। यह बात विचार करने की है। यदि आप इसको उच्च आदर्श नहीं कहेंगे तो और किसको कहेंगे ?

बाद में श्री रंगा ने आपत्ति उठाई कि विपक्ष के नेता को खामखा इस मामले में घसीटा जा रहा है। परन्तु वास्तव में बात यह है कि पहले उन्होंने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया और फिर जब उनकी ईमानदारी पर शक के कुछ लेख आये तो वह पीछे हट गये। परन्तु हमारे लिये यह खुशी की बात है कि उनको केन्द्र की सरकार पर अधिक भरोशा है कि उन्होंने जांच के लिये यह मामला केन्द्रीय सरकार को सौंप दिया।

जब विपक्ष के नेता पीछे हट गये तो मुख्य मंत्री ने अध्यक्ष से कहा और अध्यक्ष ने लोक लेखा समिति को इन सौदों की जांच करने का काम सौंपा। उसी समय मुख्य मंत्री ने आग्रह किया कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा जांच की जाये। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

श्री द्विवेदी ने कहा कि 18 महीने बीत गये हैं परन्तु प्रतिवेदन अभी तक नहीं आया है। परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि कागजात बहुत भारी हैं और उन्हें आश्चर्य है कि कैबिनेट उपसमिति ने इतने थोड़े समय में इन्हें किस प्रकार देख लिया। तब तो यह स्पष्ट है कि जब कागज़ात इतने अधिक हैं तो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भी अपना प्रतिवेदन देने में समय लगेगा।

13 अगस्त, 1964 को श्री पटनायक और श्री मित्रा के विरुद्ध आरोपों का अभ्यावेदन राष्ट्रपति को दिया गया। राष्ट्रपति ने इसे प्रधान मंत्री के पास भेज दिया।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*)

अब प्रधान मंत्री के सामने समस्या थी कि क्या वे आरोप वास्तव में सच्चे थे। इसलिये उन्होंने कैबिनेट उप समिति की सलाह मांगी और सी०बी०आई० के कुछ अधिकारियों को तथ्यों का पता लगाने के लिये उड़ीसा भेजा गया। सी० बी० आई० ने अपना प्रतिवेदन भेज दिया। परन्तु यह गौर करने की बात है। यह प्रतिवेदन अन्तिम प्रतिवेदन नहीं था। यह एक एकतरफा चीज थी। कैबिनेट उप समिति को श्री पटनायक और श्री मित्रा ने जो मामला पेश किया है उस पर और उड़ीसा सरकार की बातों पर विचार करना था। इन सब बातों की जांच कर के कैबिनेट उप समिति ने प्रधान मंत्री को अपनी सिफारशें दीं और उनके आधार पर प्रधान मंत्री ने 22 फरवरी, 1965 को सभा में वक्तव्य दिया। उसमें उन्होंने कहा कि उन सौदों से श्री पटनायक अथवा श्री मित्रा ने कोई आर्थिक लाभ नहीं उठाया है, कुछ अनौचित्य की बातें थीं और इनके परिणामस्वरूप श्री पटनायक और श्री मित्रा ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कुछ ही महीनों में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन हमारे सामने आ जायेगा और सब बातों का पता लग जायेगा। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि तथ्यों को दबाया गया है।

दूसरा आरोप यह लगाया गया है कि सरकार दोषी व्यक्तियों को बचाना चाहती है और न्यायिक जांच के लिये इन्कार करती है। परन्तु प्रश्न यह है कि न्यायिक जांच होनी चाहिये इस बात का फैसला कौन करेगा। सरकार करेगी या विपक्ष के मेरे मित्र ? इतना तो वह भी मानेंगे कि किसी भी व्यक्ति को केवल सन्देह पर और बिना उसकी बात सुने दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस के एक तरफा प्रतिवेदन पर अपने निष्कर्षों को निकालना उचित नहीं है। उपसमिति ने सब बातों पर विचार करने

[श्री कृ० चं० पंत]

के बाद न्यायिक जांच करने की सिफारिश करना आवश्यक नहीं समझा। उपसमिति ने जो फैसला दिया है वह एक मत से दिया है और इसका कोई भी सदस्य इस फैसले से असहमत नहीं है।

सरकार का कर्तव्य है कि दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाये, परन्तु दण्ड और दोष में तुलना होनी चाहिये। अतुलनात्मक दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये। अब चूंकि उप समिति ने बड़े सोच विचार के बाद यह सिफारिश की है कि न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिये। और इस निर्णय को बदलने के लिये नये तथ्यों को लाना होगा। फिर सरकार का यह निर्णय कसी व्यक्ति को न्यायालय में जाने से नहीं रोकता है। श्री पटनायक ने पहले ही एक समाचार के विरुद्ध मुकदमा दायर कर रखा है।

यह कहना गलत है कि राष्ट्र के हित को छोड़ कर दल के हित का ख्याल रखा जाता है। प्रधान मंत्री ने दल के अनुशासन का प्रयोग करते हुए ऐसा कदम उठाया जिसके लिये संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये यह आवश्यक है कि भविष्य के लिये ऐसे मामलों में परम्पराएं कायम की जायें।

श्री कामत और विपक्ष के सदस्यों ने सी० बी० आई० प्रतिवेदन का काफी प्रचार किया है। परन्तु उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। वे न्याय नहीं करना चाहते। उन्होंने श्री पटनायक और श्री मित्रा ने आरोपों पर जो अपने बयान दिये हैं उनका जिक्र भी नहीं किया यद्यपि श्री कामत को उनका पता था और जनता के सामने तसवीर का केवल एक ही पहलू रखा है। यह न्यायोचित नहीं है।

प्रत्येक सरकार गलती कर सकती है और प्रत्येक में कुछ गद्दार भी होते हैं। परन्तु हमें यह देखना है कि शासक दल इस के नेताओं के विरुद्ध लगाये अपराधों पर क्या कार्यवाही करता है। सरकार बुरे नतीजों का सामाना करने से पीछे नहीं हटी है। सरकार ने आचार संहिता बनाई है। परन्तु विपक्ष का भी कर्तव्य है कि वह सरकार का सहयोग दे।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलीन) : उड़ीसा का यह भ्रष्टाचार का मामला कोई अकेला नहीं है। एक के बाद एक ये तो चलते ही रहते हैं। मूंदड़ा काण्ड था, सिराजुद्दीन काण्ड था, उड़ीसा काण्ड है और केरल काण्ड है। चाहे ऐसा मामला किसी राज्य में हो चाहे केन्द्र में एक न एक मामला जनता के सामने रहता ही है।

केरल के मामले का मुझे व्यक्तिगत ज्ञान है। मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री और अन्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के घोर आरोप लगाये गये हैं कुछ अंग्रेजी बागान कम्पनियों को कई लाख रु० के कर से छूट दी गई और उन कम्पनियों ने मंत्री के लिये सैंकड़ों एकड़ भूमि में बागबानी की। कांग्रेस हाई कमांण्ड ने इन आरोपों पर लीपा पोती करने का निर्णय किया। यदि कांग्रेस हाई कमांड ने इन की जांच की होती तो उपचुनाव नहीं होते।

कुछ लोग यह मांग करते हैं कि वामपन्थी कम्युनिस्टों पर रोक लगा देनी चाहिये। मैं नहीं समझता कि चुनाव के मौके पर उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। वे यह तर्क देते हैं कि वे भारत की सुरक्षा के लिये खतरा हैं। परन्तु जब हम चोरबाजारी को बर्दाश्त कर रहे हैं, मनाफाखोरी को अप्रत्यक्ष तरीकों से प्रोत्साहन दे रहे हैं और मूल्यों को बढ़ने से नहीं रोक सके हैं। जब ये सब बातें देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकीं हैं तो उन मुट्ठी भर वामपन्थी कम्युनिस्टों से देश की अखण्डता को क्या खतरा हो सकता था।

सरकार को चाहिये कि इन को रिहा कर दे। और यदि ये केरल में एक मिली जुली सरकार बनाने में सफल भी हो गये तो भी आज उस राज्य में ऐसी समस्यायें हैं जिन को ये सुलझा नहीं सकेंगे और तब

लोगों को पता लग जायेगा कि उन्होंने गलत आदमियों को चुना है और इनका दल इस प्रकार अपने आप नष्ट हो जायेगा। परन्तु सरकार को इस में कुछ उदारता दिखानी होगी। सरकार की गलती है कि उसने उन को ऐसे समय में गिरफ्तार करके लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और उन को चुनावों में सफलता दिलाई ।

अब मैं भाषा के प्रश्न को लेता हूं । भारत एक बहुत बड़ा देश है जिस में 15 भाषाओं को मान्यता दी गई है और पांच राज्यों में हिन्दी का प्रयोग किया जाता है। परन्तु अन्य राज्यों पर हिन्दी थोपने का अर्थ यह होगा कि आप चन्द लोगों के हाथ में सरकार की बागडोर देना चाहते हैं। यही कारण है कि हिन्दी का विरोध किया जाता है। यदि सरकार को राष्ट्र भाषा ही चाहिये तो हमें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं से चालू सभी शब्दों को लेकर एक भाषा बनानी चाहिये और उसकी लिपि पर सभी राज्यों की सम्मति ली जानी चाहिये। इस समय हिन्दी इतनी विकसित नहीं है कि आधुनिक युग में इसका प्रयोग किया जाये। यदि आप इसको लोगों पर जबर्दस्ती थोपेंगे तो इसके बुरे परिणाम होंगे। याद रहे यदि सरकार का यही रवैया रहा तो शीघ्र ही देश का विभाजन हो जायेगा ।

हमारी योजनाएं त्रुटिपूर्ण हैं। देश के कोई भाग तक बहुत समृद्ध होते जा रहे हैं क्योंकि उन पर बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है और कई ऐसे भाग हैं जहां दरिद्रता बढ़ती जा रही है क्योंकि वहां पर सरकार कुछ भी खर्च नहीं कर रही है। यही कारण है कि केरल में लोगों ने कांग्रेस को मत नहीं दिया । केरल सरकार ने अपने इस ज्ञापन पत्र में बात कही है, अर्थात् प्रथम और द्वितीय योजनाओं में केरल में केवल 0.79 करोड़ रु० खर्च किया गया, जब कि समस्त भारत में 920 करोड़ रु० व्यय किये गये। तीसरी योजना में केन्द्र की ओर से उद्योगों में समस्त भारत में 1,325 करोड़ रु० लगाये जायेंगे और केरल में इस मद पर केवल 25 करोड़ रु० लगाये जायेंगे । यदि सरकार का यही रवैया है तो फिर हम केरल और दक्षिण के लोगों से निष्ठा की आशा कैसे कर सकते हैं । ऐसे व्यवहार से तो केन्द्रीय सरकार के प्रति उनकी घृणा और बढ़ेगी। आपको देश के सभी प्रदेशों का समान विकास करना चाहिये । आपको भेद भाव नहीं करना चाहिये केरल की आबादी बहुत अधिक है, परन्तु अभी तक हमें भारी अथवा बुनियादी उद्योगों का एक भी एकक नहीं दिया गया है। हमारे खनिज उद्योग 4 वर्ष से बन्द पड़े हैं और उनको पुनः चालू करने के लिये सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किये हैं। इस परियोजना पर अनुसंधान के लिये 63,300 रु० की आवश्यकता थी । परन्तु केन्द्रीय सरकार ने यह राशि देना स्वीकार नहीं किया और अब तक इनको पुनः जीवित नहीं किया जा सका। उस उद्योग की एक ब्रिटिश कम्पनी से मजदूरों को अपनी मजूरी लेनी थी और वह कम्पनी अपनी सारी सम्पत्ति यहां ही छोड़ गई है। 3,000 परिवार भूखे मर रहे हैं । उनको भारत सरकार से $7\frac{1}{3}$ लाख रु० लेना है। दक्षिण में उद्योग की हालत यह है ।

औद्योगिक पहलू को देखते हुए केरल में पानी के संसाधन सब से अधिक हैं। परन्तु दुख की बात है कि केरल को अपने उद्योगों को चलाने के लिये मद्रास से बिजली लेनी पड़ती है। जब भी नये उद्योग चलाने के लिये बिजली की आवश्यकता होती है मद्रास सरकार देने से इनकार कर देती है ।

हमने विदेशों से बड़े बड़े ऋण ले रखे हैं। सच तो यह है कि अमरीका हमारी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रख रहा है। देश के भीतर और देश के बाहर हमारे ऋणों की मात्रा बहुत बढ़ गई है। इसका बहुत बड़ा भाग प्रशासन व्यय पर नष्ट किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में

[श्री कृ० चं० पन्त]

बहुत पैसा डूब गया है और वहां पर प्रशासन पर बहुत ज्यादा पैसा व्यय किया जाता है। वहां काम कुछ नहीं होता है। इन सब बातों को देखते हुए हमारे लिये विदेशों से लिये गये ऋणों की अदायगी करना असंभव हो जायेगा। और नतीजा यह होगा कि हमारा देश एक दो और पंचवर्षीय योजनाओं में बिल्कुल दिवालिया हो जायेगा।

हमारी खाद्य नीति सरासर असफल रही है। हम अपनी आवश्यकता के जितना भी अनाज पैदा नहीं करते हैं। हम किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिये सिंचाई सुविधाएं नहीं देते हैं, खाद नहीं देते हैं। यदि हमने अपने किसानों को थोड़ी सी भी रियायतें दी होतीं तो हम अब तक खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो जाते।

आप देश की अखण्डता की बातें करते हैं। उधर केरल में लोग भूख से मर रहे थे और 3 औंस राशन के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये उन्हें दंगे फिसाद करने पड़े थे।

हमारे दफ्तरों में काम कुछ नहीं किया जाता है और मोटी मोटी तनख्वाहें दी जाती हैं। भारत का निर्वाचन आयुक्त एक बहुत बड़ा अधिकारी है। वामपंथी कम्यूनिस्टों को वही चुनाव चिन्ह दिया गया है जो चीन का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां की जाती हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 16 मार्च, 1965 / 25 फाल्गुन, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, the 16th March, 1965/Phulguna 25, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III—479 (Ai) LS—7-9-65-600.